

***प्रश्न 01** सेवानिवृत्त कार्मिक के gpf क्लेम के claim form के साथ क्या क्या दस्तावेज लगते है।*

अगर कोई शपथ पत्र या प्रपत्र लगता है तो उसका format भेजने का कष्ट करेंगे।

उत्तर 1 Sso id से sipf पर ऑन लाइन सब्मिट किये गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी

2 आवेदन पत्र में ही दिए गये शपथ पत्र को 50 रु के स्टाम्प पेपर पर लिख कर प्रमाणित करावे एवं सलग्न करे।

3 प्रथम से अंतिम gpf कटौती तक प्रमाणित Gpf की मूल पास बुक।

4 सेवा विवरण शुरू से अंत तक (Ddo वाइज) जिसकी जानकारी Gpf पास बुक में Ddo के प्रमाणित हस्ताक्षर से मिल जायेगी।

5 सेवानिवृत्ति/ सेवा समाप्ति आदेश

6 डेथ क्लेम होने पर डेथ सर्टिफिकेट

7 बैंक खाते की पास बुक की फोटो कॉपी या निरस्त चेक सलग्न करे

8 तीन वर्ष के GA 55 भी सलग्न करे

***प्रश्न 02** किसी कार्मिक के माह अप्रैल 20 के बिल से GIS के 220 रु की कटौती कर दी गई परन्तु Sso Id से Gpa प्रस्ताव सब्मिट नहीं किया गया *

उत्तर Sso Id से Gpa प्रस्ताव सब्मिट करना जरूरी है। यदि कार्मिक की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो Gpa प्रस्ताव के बिना नॉमिनी को भुगतान कैसे होगा अतः अभी भी आप कार्मिक की sso id से Gpa का प्रस्ताव सब्मिट कर देवे

नॉट GPA प्रस्ताव यदि गत वर्ष ऑनलाइन भर दिया गया हो एवं नॉमिनी में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसे दुबारा हर वर्ष ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है।

***प्रश्न 03** - Pay Manager पर वेतन या अन्य विपत्र के साथ upload documents पर डिजिटल साइन करना अनिवार्य है?*

उत्तर - यह अनिवार्य नहीं है। फिर भी ट्रेजरी द्वारा DDO हस्ताक्षरित डॉक्युमनेट मांगा जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डिजिटली साइन कर सकते हैं।

किसी पीडीएफ फाइल को डिजिटली साइन करने के लिए आपको Adobe Acrobat Reader Dc की जरूरत पड़ेगी जिसकी सहायता से आप पीडीएफ पर डिजिटली साइन कर सकते हैं।

*प्रश्न 04 श्रीमान् नमस्ते। एक सेवानिवृत्त कार्मिक का शेष उपार्जित अवकाशो का नगद भुगतान बिल बनाते समय बिल अलोकेशन नहीं हो रहा क्या कारण है *

उत्तर ifms पर बजट हेड 2071-01-115-01-01 में बजट चेक करें उक्त हेड में बजट प्राप्त होने एवम वह बजट पे मैनेजर पर मैपिंग होने के बाद ही बिल बनेगा

*प्रश्न 05 मार्च 20 की SI की कटौती तो PM पर सिस्टम से मई के बिल प्रोसेस करने अपने आप SI एरियर में शो हो रही है लेकिन SI ऋण की कटौती डबल नहीं हो रही है उसको कैसे अपडेट करे *

उत्तर 15/05/20 के बीमा विभाग के आदेश अनुसार मार्च 20 की बकाया SI प्रिमियम की राशि मई 20 के बिल से कटौती की जानी है अतः P M सिस्टम को अपडेट उस के अनुरूप अपडेट कर दिया गया है।

मई 20 का बिल प्रोसेस करने के बाद बकाया SIP की राशि ऑटो SI एरियर के रूप में आउटर,इंटर,एंड शेड्यूल में प्रदर्शित हो जायेगी।

यदि कोई कार्मिक अपने राज्य बीमा लोन की किस्त जो माह मार्च की बकाया है उसे मई में कटवाना चाहे तो उसकी सहमति से employee pay डिटेल्स में लोन की राशि बिल प्रोसेस करने से पहले डबल कर देवे उसके बाद बिल बनावे।

*प्रश्न 06 एक कार्मिक का प्रोबेशन 22 फरवर को पूर्ण हुआ था ! मार्च तक प्रोबेशन पूर्ण होने के आदेश भी हो गए ! परन्तु HOD से payamanager पर संशोधन मई में हुआ ! *

*अब उस कार्मिक की राज्य बीमा कटौती नहीं हो रही है ! Si policy number mandatory का मैसेज आ रहा है ! *

कृपया समाधान बतावे !

उत्तर master deta में नम्बर टेब में SI पॉलिसी न 032020 लिख कर SI की कटौती ऐड करे फिर पॉलिसी जारी होने पर सही पॉलिसी न लिख कर adit कर देना।

प्रश्न 07 एक कर्मचारी जो जून 2020 में रिटायर हो रहा है उसका सरेंडर उठाया जा सकता है क्योंकि कर्मचारी के खाते में 310 पी एल है कर्मचारी अब 10pl का भुगतान उठाना चाहता है।

उत्तर 300 +15 PL मंत्रालयिक या परिचारक कार्मिक के ही हो सकती है इस मेसे 15 PL को अगले 6 महीने में उपयोग करना होता है अन्यथा वह लेप्स हो जाती है।

इस केस में यदि कार्मिक ने इस वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश नहीं उठाया है तो वह 10 दिन का समर्पित लीव का भुगतान ले सकता है।।

नॉट शिक्षक बंधु अथवा अधिकारी जो कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है अथवा अन्य नॉन वेकेशनल विभाग के कर्मचारी के भी 300+15 हो सकती है।

*प्रश्न 08 मेरा 10 जनवरी 2015 को प्रोबेशन पूरा हुआ एवम 1/7/2016 को इंक्रीमेंट दिया गया क्या यह सही है *

उत्तर 6th वेतनमान में नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए उस पे बेंड में 6 महीने की सेवा अनिवार्य थी अतः 1/07/2016 को ही इंक्रीमेंट मिलेगा यह सही है।

नॉट→अब 7 वे वेतनमान में प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होने की तिथि से नेक्स्ट आने वाली 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है।

*प्रश्न 09 हमारे डीए एरियर के बिल 8 दिन पहले ट्रेजरी से पास दिखा रहा है पर जमा नहीं हुआ है ऐसा क्यों हो रहा है *

उत्तर बिल पास होने के बाद जयपुर से Ecs होता है जो अभी राशि की उपलब्धता पर हो रहा है उसके बाद ही राशि कर्मचारियों के खातों में जमा होगी इसके लिए इंतजार करें ।

प्रश्न 10 पे मैनेजर के टेलीग्राम पर नए ग्रुप में शामिल हो गए क्या पुराना ग्रुप छोड़ देना आवश्यक है?

उत्तर जी हां नये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो गए हैं तो पुराने को लेफ्ट कर देवे नई जानकारी एवम पोस्ट नये ग्रुप में ही शेयर होगी।

प्रश्न :- मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।

उत्तर⇒ राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉण्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है।

डुप्लीकेट पॉलिसी बॉण्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे।

फिर उक्त चालान की प्रति संलग्न कर आवेदन पत्र और 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करें।

उक्त प्रकरण अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉण्ड प्राप्त करें।

पेमेनेजर इन्फो ग्रुप

प्रश्न :- यदि कोई महिला कार्मिक maternity leave पूर्ण करने के बाद भी मजबूरी वश Join नहीं कर पाये तो उसको कौनसा अवकाश दिया जाएगा ?

उत्तर⇒ वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-1(5) वित्त/नियम/96 दिनांक 26.02.2002 के अनुसार मातृत्व अवकाश के साथ CL के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है।

लेकिन लगातार अवकाश की अवधि अधिक होने के कारण अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

प्रश्न(11) हमारे मास्टर data लॉक हो गया है अब किसी भी कार्मिक के स्थाईकरण होने पर उसकी बेसिक pay detail update के लिए request डाले हुए भी लगभग 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कार्मिक के basic pay & bank में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक HOD लेवल पर ही REQUEST पेंडिंग दिखाता है। इसके लिए क्या कोई letter डिस्पैच या email करना पड़ेगा। अगर email करना पड़े तो कृपया email share करें।

उत्तर Hod से ही data Approved होने पर ही सुधार होगा। अभी लोक डाउन होने से work at home से कार्य हो रहा है इसलिए विलम्ब हो रहा है आप इस मेल आई डी पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

caosecedu@gmail.com

प्रश्न(12) मई 2020 बिल में मार्च 2020 की SI की कटौती करनी है तो क्या SI अधिघोषणा पत्र बिल के साथ अपलोड करने है जो कि मार्च 2020 के बिल के साथ अपलोड नहीं किए थे ?

उत्तर 15/05/20 के आदेश में ऐसे कोई निर्देश नहीं है फिर भी यदि आप प्रथम घोषणा एवं अधिक घोषणा पत्र अपलोड कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है आप उनको अपलोड कर सकते हैं।

प्रश्न(13) पेमेनेजर पर एक कर्मचारी की जन्मतिथि 10/05/1963 और सेवानिवृत्ति तिथि 05/10/2023 आ रही है जबकि नियमानुसार 31/05/2023 करनी है इसमें सुधार कैसे होगा ?

उत्तर जन्मतिथि का उचित प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पेज की प्रमाणित फोटो कॉपी साथ लगा कर ट्रेजरी में आवेदन करे यह सुधार ट्रेजरी से ही होगा।

प्रश्न(14) ग्रेज्युटी सामान्य डेथ पर मान्य है या दुर्घटना डेथ पर ही मान्य हैं ?

उत्तर ग्रेज्युटी सभी कार्मिको को मिलती है। इसके लिए डेथ होना जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त कार्मिक को भी ग्रेज्युटी का भुगतान होता है परन्तु मृत्योपरांत इसके भुगतान के नियम अलग होते हैं एवं गणना करने का तरीका भी भिन्न होता है।

प्रश्न(15) मैंने जिस pc पर दो दिन पहले एक बिल digital sign से succesfully हो गए उसी pc पर आज जब एक सरेंडर बिल बनाया तो डिजिटल sign में पिन मांगने तक की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर फिर से sign file के ऑप्शन पर क्लिक करने पर भी bill sign sucsefully का pop नहीं आता है और टोटल फ़ाइल 3 आती परंतु sign file जीरो ही रहती है। प्लीज समाधान बताएं।

उत्तर paymanager में बिल बना लिये और esign में दिक्कत आ रही है पहले activ x की सेटिंग चेज करे एवं उसे enable कर देवे फिर निम्न वेब लिंक पर पेमेनेजर लॉगिन करके पुनः कोशिश करे। आपका समाधान हो जाएगा।

164.100.153 22/paymanager


प्रश्न(16) 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की SI कटौती अब वापस अपडेट क्यों नहीं हो रही है ?

उत्तर 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक की SI कटौती में छेड़ छाड़ करने पर वह अपडेट नहीं होती है।

इस हेतु आप bulk deduction में जा कर जोड़े वर्तमान slabe के अनुसार तो ऐड हो जायेगी लेकिन आपको अन्य amount ऐड करना है तो यह ट्रेजरी से ही ऐड होगा।

प्रश्न(17) बिल रिवर्ट करने पर रिवर्ट successfully शो हो रहा है फिर भी बिल रिवर्ट ऑप्शन दिखा रहा है ऐसा क्यों ?

अब क्या करे ?



उत्तर बिल DDO स्तर से रिवर्ट कर दिया है तो उस बिल को डिलीट कर देवे फिर वही बिल नम्बर लगा कर ऑब्जेक्शन दूर करके दोबारा नये सिरे से बिल बनाने का प्रोसेस पूरा करे। आपका समाधान हो जाएगा।

प्रश्न (18) किसी कार्मिक की SI पॉलिसी 1800 रुपये कट रही है है फिर SI पॉलिसी एरियर 3000 क्यो कट रहा है जबकि further contract नहीं भरा गया है ?

उत्तर राज्य बीमा की कटौती मार्च 2020 के वेतन से बढ़ाई गई है अतः बेसिक पे के अनुसार स्लैब देखे

उसके अनुरूप SI एरियर की राशि ऑटो शो होगी। 1800 रु के स्थान पर नई स्लैब में कटौती 3000 रुपए है।

प्रश्न(19) माह मई के वेतन में कुछ कार्मिकों के SI ARREAR गलत SHOW हो रहा है उसे कैसे ठीक किया जाए ?

जबकि SI Arrear अपने आप आ रहा है।

उत्तर निदेशक बीमा विभाग के आदेश अनुसार मार्च 20 के बिल से SI की नई दरें लागू की गई हैं उसके अनुरूप ही स्लैब के हिसाब से मई के बिल में SI arrear की कटौती शो हो रही है।

उक्त कटौती ऑटो जरनेट हो रही है इसलिए इसमें सुधार करना अभी सम्भव नहीं है इस हेतु आप पेमेनेजर की हेल्प लाइन पर स्क्रीन शॉट सहित एप्लिकेशन मेल करें।

paymanagerrj@gmail.com

प्रश्न (20) नवनियुक्त कार्मिक को PRAN फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए या ऑफ लाइन। कृपया सटीक सलाह देवे।

उत्तर PRAN नम्बर जारी करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकता है लेकिन ऑनलाइन जारी प्राण नम्बर का State Government में Inter sector sifting करवाना पड़ता है इसके बिना कार्मिक की NPS कटौती खाते में जमा नहीं होती है।

ऑनलाइन जरनेट प्राण नम्बर का State Government में sector sifting में सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच होती है जिससे sifting में बहुत विलम्ब हो जाता है अतः इस सम्बन्ध में GPF विभाग द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार GPF आफिस में ऑफलाइन प्राण का आवेदन पत्र भर कर प्राण नम्बर जरनेट करवाया जाना चाहिये। इसमें NPS की कटौतियां तुरन्त खाते में जमा होने लग जाती हैं।

प्रश्न:-(21) हमारे एक कार्मिक की सेवानिवृत्ति PL की राशि प्राप्त हो गई है। अब यह मैपिंग क्या है ? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ?

उत्तर IFMS पर बजट आने के बाद विभाग द्वारा paymanager पर बजट मैपिंग किया जाता है जो अपने आप विभाग करता है आपको कुछ नहीं करना है। इसमें दो चार दिन लगते हैं अभी लॉक डाउन होने से मैपिंग में थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है।

प्रश्न:- (22) किसी कर्मचारी को शाला दर्पण से रिटायरमेंट होने से 31 मार्च 2020 को रिलीव कर दिया परन्तु मार्च की सैलरी नहीं बना पाए। अब पेमेंनेजर से सैलरी कैसे बनाएं ?

उत्तर शाला दर्पण से सेवानिवृत्ति के दिन अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाता है जो नियमानुसार करना ही पड़ता है।

शाला दर्पण से कार्यमुक्त करने पर pay manager पर बकाया सेलेरी बिल बनाने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कार्मिक को बकाया वेतन का भुगतान तो करना ही पड़ेगा।

यदि कार्मिक की सेलेरी paymanager पर ऑटो स्टॉप हो गई है तो पहले उसे रिलीज कर देवे फिर उसका बकाया वेतन बना लेवे।

प्रश्न:-(23)किसी कार्मिक की मृत्यु 14 फरवरी को हुई तो उस कार्मिक की सैलरी 13 तक बनेगी या 14 तक।

और जो वेतन बनेगा क्या उसमें सभी कटौतियां होगी ? विद्वान साथियों कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर मृत्यु वाले दिन को कार्यदिवस माना जाता है इसलिये 14 तक वेतन का भुगतान होगा एवम 15 से पारिवारिक पेंशन देय होगी।

ऐसे प्रकरण में Rpmf के अलावा अन्य कोई कटौती नहीं होगी।

प्रश्न:-(24) मैं पशुधन सहायक पोस्ट पर L8 का कर्मचारी हूँ लेकिन फिर भी मार्च 2020 की सैलरी कोरोना

फण्ड में नियमानुसार 2 दिन की कटनी थी जबकि मेरे 5 दिन की कट गई है। मास्टर डाटा में सर्विस कैटेगिरी state service लिखी हुई है जब हम subordinate कैटेगिरी में आते हैं। रिफण्ड का समाधान बतावे।

उत्तर सर्विस केटेगरी में subordinate की जगह state service लिखे जाने से 5 दिन की कोरोना कटौती हुई है आप पेमेनेजर पर सर्विस केटेगरी चेंज करने हेतु रिक्वेस्ट करे जो HOD से approved होने पर सुधार होगा।

जो 2 दिन की जगह 5 दिन की कोरोना रिलीफ फण्ड में कटौती हो चुकी है वह अब रिफण्ड नहीं होगी।

प्रश्न:-(25) प्रोबेशन में वरिष्ठ अध्यापक का अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है ?

वरिष्ठ अध्यापक ने डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिवस का अवकाश लिया था और पीईईओ महोदय ने स्वीकृत भी कर दिया। क्या नियमानुसार कार्य हुआ है ?

उत्तर प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते हैं।

30 दिन से अधिक अवधि होने पर WPL राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा एवं सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

प्रश्न:-(26) मेरा प्रोबेशन 09.03.2020 को पूर्ण हो चुका है। स्थायीकरण आदेश मई 2020 में जारी हो चुके हैं।

मैंने अपनी SSO ID से प्रथम घोषणा पत्र भरकर DDO से अप्रूवल भी करा लिया है।

अब समस्या यह है कि PAYMANAGER के MASTER DATA को HOD को फॉरवर्ड कर दिया था जिससे अब SI नम्बर एड नहीं हो रहे हैं। समाधान बताए।

उत्तर डेटा प्रोबेशन से रेगुलर एवं पे एंड लेवल HOD से approved होने के बाद ही SI की कटौती add

होगी जब तक wait करे।

प्रश्न:-(27) एसआई आई नंबर जारी करवाने की प्रक्रिया से अवगत करवाए।

उत्तर:-राज्य बीमा की प्रथम कटौती जब मार्च महीने में की जाती है तब पॉलिसी हेतु SSO ID से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है जो बिल के साथ लगता है। उसी के आधार पर GPF ऑफिस से राज्य बीमा पॉलिसी का बॉन्ड जारी किया जाता है।

प्रश्न:-(28)राज्य बीमा के प्रथम घोषणा पत्र व अधिक घोषणा पत्र की भरी गई प्रतियों को अब किस माह के वेतन बिलो के साथ लगाकर ट्रेजरी भेजना है ?

उत्तर अभी लॉकडाउन में बिल की हार्ड कॉपी भी ट्रेजरी नहीं ले रही है इसलिए स्थिति सामान्य होने के बाद जब ट्रेजरी बिल की हार्ड कॉपी मांगे उस समय बिल के साथ संलग्न करनी है।

प्रश्न:-(29) कोई कर्मचारी 31.05.2020 को सेवानिवृत्त हो रहा है। क्या वह 31 मई से पूर्व सरेंडर उठा सकता है ?

उत्तर वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश पूर्व में नहीं लिया है तो अधिकतम 15 दिन का समर्पित अवकाश का भुगतान उठाया जा सकता है।

प्रश्न:-(30) प्रोबेशन आगे बढ़ने पर क्या seniority आगे बढ़ती है ?

उत्तर बिल्कुल नहीं।

Seniority का निर्धारण चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है।

प्रश्न:- (31) मैंने 2018 में राजकीय नोकरी जॉइन की थी और वो 5 माह बाद किन्ही कारणों से छोड़ दी थी किन्तु तब मेरे SSO ID वगैरह बन गए थे और मुझे तनख्वा भी मिली थी।

अब पुनः मैंने नई भर्ती से उसी विभाग में वही जॉब जॉइन की है तो क्या अब मुझे नई ID बनवानी है या पुरानी ID ही चलेगी। क्योंकि बिना ID के तनख्वाह नहीं बनेगी।

उत्तर:- वही Employee ID, Paymanager ID एवम SSO ID काम में आयेगी।

यदि दूसरी नई बनवाते है तो पहले वाली ID सम्बन्धित विभाग से डिलीट करवानी होगी।

प्रश्न:- (32) मैं medical department में हूँ।

Covid 19 के कारण सभी अवकाश निरस्त होने के कारण मैं पितृत्व अवकाश का उपयोग नहीं कर पाया और 3 महीने भी पूरे हो गए।

अगर Covid के बाद पितृत्व अवकाश ले सके ऐसा कोई प्रावधान हो तो बताए जी।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर पितृत्व अवकाश नियमानुसार प्रसूति के दिन से 3 महीने की अवधि में ही देय होता है इसमें कोई शिथिलन का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न:- (33) मैंने 1st ग्रेड में 30 जून 2017 मध्यान्ह पश्चात में जॉइन किया था इसलिए मेरा स्थाईकरण 1/7/2019 को हुआ

तो मेरा 1/7/2019 को इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं ?

उत्तर दो वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 01/07/2019 को वेतन निर्धारण होगा एवम अगला इंक्रीमेंट

01/07/2020 में मिलेगा।

प्रश्न:- (34) यदि किसी कर्मचारी ने मार्च माह का वेतन आहरित नहीं किया है तो उसके मई माह का वेतन कैसे बनेगा ?

2. उक्त कर्मचारी six pay से वेतन आहरित कर रहा है। कर्मचारी gpf का है जब उसके मार्च माह का वेतन बनाया जाता है तो 15 दिन की जगह 22 दिन का वेतन बन रहा है तथा CM Corona ded कितने दिन का काटना है उक्त कर्मचारी का six pay में मूल वेतन 25870 है। जबकि अप्रैल माह का वेतन आहरित कर दिया है।

उत्तर मार्च का वेतन 15 दिन का partial pay में बनावे राशि ऑटो कैल्कुलेट होगी एवम 3 दिन की राशि कोरोना फण्ड में कटौती होगी।

प्रश्न:- (35) क्या 1 जुलाई को यदि पितृत्व अवकाश पर हो तो इंक्रीमेंट प्रभावित होता है ?

और यदि इंक्रीमेंट प्राप्त कर लिया हो तो क्या होगा ?

उत्तर एक जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा किसी अन्य अवकाश पर रहता है तो नियमित वेतनवृद्धि 01 जुलाई को ही लगती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।

ऐसे मामलों में किसी ने आर्थिक लाभ 1 जुलाई से आहरित कर लिया है तो उससे अंतर राशि की वसूली होगी।

प्रश्न:- (36) मेरे स्टाफ में एक कार्मिक का मूल वेतन 71300 है। उनके पूर्व में SI 1800 कटती थी। उनकी new slab में न्यूनतम 3000 है लेकिन उनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है तो क्या 1800 ही रहने दे या न्यूनतम 3000 करें ?

उत्तर 01/04/2020 को जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनके SI की कटौती में कोई वृद्धि नहीं होगी उनकी पुरानी कटौती यथावत रहेगी।

प्रश्न:-(37) मेरे विद्यालय में एक कार्मिक व्याख्याता पद पर कार्यरत है जिसका प्रोबेशन टाइम चल रहा है पर मार्च महीने की सैलरी में उसका वेतन पूरा बन रहा है 50% नहीं बन रहा सभी तरह के प्रयास करके देख लिए पर उसका वेतन 50% नहीं बन रहा कृपया मार्गदर्शन करें

उत्तर सर्विस केटेगरी subordinate करने से यह समस्या पैदा हुई है उसे state service करावे इसके सुधार हेतु रिक्वेस्ट जरनेट करे यह सुधार HODसे होगा।

प्रश्न:-(38) फैमली डिटेल से एक नाम हटाने के लिए कार्मिक ने DDO को रिक्वेस्ट भेजी। DDO ने रिक्वेस्ट को approve किया। रिक्वेस्ट HOD के पास पेंडिंग दिखा रही है। बीकानेर बात की तो बताया कि कार्मिक की रिक्वेस्ट HOD पर show नहीं हो रही है। कृपया समाधान बताएं।

उत्तर रिपोर्ट में HOD Report में स्टेटस चेक करे यदि पेंडिंग HOD बता रही है तो उसका स्क्रीन शॉट खींचकर बीकानेर HOD को मेल करे।

caosecedu@gmail.com

प्रश्न:-(39) वर्ष 2018 में एक दिन की सैलरी मध्याह्न पश्चात की वजह से ज्यादा उठ गई। अब उसको वापिस जमा करवाने का क्या तरीका है ? क्या ROP से जमा हो सकती है ? यदि चालान बनवाना है तो किस हेड में राशि जमा होगी ? क्या उस राशि पर ब्याज जमा करवाना है ? यदि करवाना है तो किस दर से? श्रीमान कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर अधिक भुगतान की वसूली वेतन बिल से ROP में की जा सकती है एवम E grass से इसका 0202-01-102-03-02 हेड में चालान भी बनाया जा सकता है।

वसूली में जब ब्याज वसूली के निर्देश होने पर ही ब्याज वसूल किया जाता है अन्यथा ग्रांस अमाउंट के

आधार पर वसूली की गणना की जाती है।

प्रश्न:-(40) मैं पूर्व में पुलिस कांस्टेबल था और पुलिस में मैंने 16 जनवरी 2016 को जॉइन किया था। पुलिस सेवा से रिलीव होकर 29 अगस्त 2019 को मैंने तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुझे 9 साल बाद ACP में क्या फायदा मिलेगा। कृपया बताये।

उत्तर चूंकि कांस्टेबल पद का लेवल अध्यापक पद के लेवल से कम है इसलिए अध्यापक पद पर सीधी भर्ती पर कार्य ग्रहण तिथि से 9/18/27 वर्ष की गणना ACP के लिये की जाएगी।।

समान लेवल से समान लेवल के अन्य पद पर नियुक्ति होती है तो पूर्व पद की सेवा अवधि भी केवल एसीपी के लिए गणना योग्य होती है पदोन्नति के लिए नहीं।

दिनांक 28 मई 2020

रोजाना दस प्रश्न

आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज में *रोजाना दस प्रश्न* के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर शेयर किए जा रहे हैं।

हालांकि प्रश्नोत्तरी बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी आप राजकीय नियमों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

एडमिन पैनल

पेमेनेजर इन्फो चैनल

प्रश्न-(41) कार्मिक को तीसरी सन्तान होने पर क्या क्या नुकसान होते हैं?

उत्तर दो से अधिक संतान होने पर देय एसीपी 3 वर्ष बाद मिलती है। जैसे

9+3= 12 वर्ष

18+3= 21 वर्ष

27+3=30 वर्ष

एवं पदोन्नति पर भी 3 वर्ष बाद जॉइन करने का अवसर मिलता है।

प्रश्न:-(42) क्या विकलांग भत्ता ग्रीष्मावकाश शीतकालीन अवकाश और मध्यावधि अवकाश में देय होता है ? कृपया मार्गदर्शन करें।

उत्तर उपरोक्त अवकाश में विकलांग भत्ता देय नहीं है इन अवकाश काल में केवल वर्किंग डेज़ के अनुसार आनुपातिक भुगतान होता है।

प्रश्न:-(43) फोरगो के करने का क्या लाभ है ?

और फोरगो नहीं करने का लाभ हानि भी बताने का कष्ट करें।

उत्तर 1 27 /30 वर्ष की तीसरी एसीपी मिल गई है तो फोरगो में कोई नुकसान नहीं है।

2 फोरगो करने पर देय एसीपी पुनः पदोन्नति में जॉइन करने के बाद निर्धारित तिथि में फोरगो अवधि को जोड़ कर मिलती है।

3 9+3=12 वर्ष

18+3=21 वर्ष

27 +3=27 वर्ष

नोट फोरगो करने पर वित्तीय एवम वरिष्ठता दोनों में नुकसान होता है अतः फोरगो बहुत सोच विचार कर करना चाहिये।

प्रश्न:-(44) एक कार्मिक 31 मई 2020 को रिटायर हो रहा है उस दिन रविवार है।

क्या कार्मिक को 31मई को ही शाला दर्पण से कार्यमुक्त किया जाएगा और उसके अंतिम साइन कब तक होंगे ?

उत्तर:- कार्मिक को 31 मई 2020 को अवकाश होने पर भी मध्याह्न पश्चात अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। उस दिन कर्मचारी को उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है परन्तु कर्मचारी स्वयं उपस्थित हो जाए और उसके 31मई 2020 को उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा दिए जावे तो भी कोई परेशानी नहीं है।

प्रश्न:-(45) एक प्रधानाचार्य महोदय को 27 वर्षीय ACP प्रकरण भिजवाना है। यह किस प्रकार व किसके माध्यम से भेजा जाएगा ? साथ ही यह बताये कि यह प्रकरण ऑनलाइन भिजवाना है या ऑफ लाइन भिजवाना है।

उत्तर निदेशक कार्यालय से प्राप्त चेक लिस्ट एवं निर्देशानुसार प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करे एवं स्थानीय लेखा अधिकारी की टिप्पणी सहित प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में बीकानेर डाक से भेजे जावे।

अभी लोक डाउन की स्थिति में CBEO आफिस से प्रकरण Email के द्वारा भेज सकते है।

प्रश्न:-(46) राज्य में 22 मार्च से विद्यालय बन्द है। एक विकलांग अध्यापक जिसे विकलांग भत्ता मिलता है। इस कर्मचारी की covid 19 में विकलांग होने से कभी इयूटी भी नहीं लगाई गई। मेरा प्रश्न यह है कि इस कार्मिक को मार्च, अप्रैल व मई का विकलांग भत्ता मिलेगा या नहीं यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा ?

उत्तर स्कूल में अवकाश नहीं है और इस अवधि में लॉक डाउन है अतः इस अवधि में work at home का प्रावधान है इसलिये मार्च एवं अप्रैल में लोक डाउन अवधि में विकलांग भत्ता पूरा देय होगा।

मई माह में 17 से ग्रीष्मावकाश है उसमें 16 दिन का अनुपातिक विकलांग भत्ता मिलेगा। मई माह का पूरा विकलांग भत्ता नहीं देना है अन्यथा 15 दिन के विकलांग भत्ते की अनिवार्यतः वसूली होगी।

प्रश्न:- (47) PD वेतन मद के एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2020 को हो गई है। वेतन प्रीपेमेनेजर पर sub ddo द्वारा बनाया जा रहा था। 240 PL के भुगतान हेतु बजट डिमांड की प्रक्रिया पे मेनेजर कार्मिक के अनुरूप ही रहेगी या अलग रहेगी।

बजट डिमांड प्रपत्र में DDO कोड कौनसे लिखने हैं- sub ddo वाले, cbeo कार्यालय वाले या फिर स्कूल के पे मेनेजर वाले।

उत्तर P D मद वाले कार्मिकों के 240 दिन PL भुगतान हेतु मुख्य DDO (CBEO) आफिस से बजट की डिमांड की जाएंगी उसके बाद बजट प्राप्त होने पर बिल बनेगा।

प्रश्न:- (48) कोई Ldc L-5 में 33300 वेतन प्राप्त कर रहा है अब उसको 27 वर्ष एसीपी प्राप्त होने पर वह L-6 या L-8 में से किस लेवल में फ्रीट होगा और फीटिंग में मूल वेतन क्या होगा ? कृपया समस्या हल करें।

उत्तर ACP में L5 से L6 मिलेगी और वेतन 34400 होगा जबकि L5, L6 और L7 तीनों वेतन स्तर समान हैं।

प्रश्न:- (49) मेरी अप्रैल की सैलरी GA55 पर शो क्यों नहीं हो रही है ?

उत्तर बिल ECS होने के बाद TV number व Date जारी होने के बाद GA 55 में शो होगी।

प्रश्न:- (50) क्या हम HOD लेवल से एम्प्लोयी डेटा वेरीफाई हुए बिना डिजिटल सिग्नेचर से सैलरी बिल सकते हैं ? जानकार साथीगण मार्गदर्शन करावें।

उत्तर अभी बिल बना सकते हैं लेकिन वित्त विभाग के आदेश अनुसार वेतन बिल माह जून 2020 paid in जुलाई 2020 के बिल HOD से डेटा Approved के बिना नहीं बनेंगे।

प्रश्न - मुझे मेरे कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सहायक कर्मचारी) का वर्दी बिल बनाना है तो मुझे पे-मैनेजर पर किन किन बातों का ध्यान रखना है ?

उत्तर- वर्दी बिल हेतु सामान्य जानकारी

1. आपके कार्यालय में कार्यरत सहायक कर्मचारी का वेतन जिस हेड से उठता है उस हेड में बजट है या नहीं वह चेक करे।
2. वर्दी भत्ता का ऑब्जेक्ट हेड 37 होता है उसी में बजट होने पर बिल बनावे।
3. आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी यदि महिला कर्मचारी है तो उनको वर्दी भत्ता -1950/- वित्तीय वर्ष (एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही)के अनुसार मिलेगा तथा यदि पुरुष कर्मचारी है तो उनको वर्दी भत्ता 1650/- प्रति वर्ष के अनुसार मिलेगा।
4. वर्दी भत्ता हेतु संस्था प्रधान के कार्यालय से वर्दी के भुगतान हेतु कार्यालय आदेश व FVC (व्यय बिल GA108 भरा जाएगा) निकाले। यह आदेश वर्दी बिल के साथ उपकोष कार्यालय में जाएगा।

पे-मैनेजर से वर्दी बिल का प्रोसेस

1. सर्वप्रथम पे-मैनेजर पर ddo log in करे फिर बिल प्रोसेसिंग पर क्लिक करे उसमें दो ऑप्शन आएंगे

A. बिल आलोकेशन

B. मोडिफिकेशन

आप A. पॉइंट बिल आलोकेशन पर क्लिक करे। उसमें आपको बिल टाइप में fvc को सेलेक्ट करना है उसके नेक्स्ट पॉइंट sub bill type में लिवरिस को सेलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट हेड में 37 टाइप करे (जो वर्दी बिल का हेड है) उसके उपरांत नियमानुसार बिल महीना व बिल नम्बर सेलेक्ट करते हुए फाइनल सबमिट करे।

2. फिर आपको other bil को सेलेक्ट करते हुए FVC बिल प्रोसेस पर जाते हुए जिस सहायक कर्मचारी का बिल बनाना है उस सेलेक्ट करे और कार्यालय आदेश के अनुसार संवत् क्रमांक व डेट तथा अमाउंट भरे फिर सबमिट करे

➔ FORWARD DDO➔ FORWARD TREASURY

➔➔ बिल का प्रिंट निकालने हेतु रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हुए Advice Inner व outer निकाल के बिल पूर्ण किया जाता है।



- प्रश्न:- (51) Personal paymanager आईडी में SI नम्बर SHOW हो रहे हैं। अपडेट करने पर CPF नम्बर पूछ रहा है लेकिन DDO की PAYMANAGER ID पर SI नम्बर SHOW नहीं हो रहे हैं। जिसकी वजह से SI की कटौती एड नहीं हो रही है। समाधान बताए।

- उत्तर → CPF न 0000000 लिख देवे फिर SI पॉलिसी नम्बर 032020 फीड करे कटौती एड हो जाएगी।

- प्रश्न:- (52) मेरा साथी ने 2005 में जोइन किया है उसकी ID में RJBH1998..... में वर्ष गलत है। जिला भी चेन्ज कर लिया। कैसे बदलेगा कृपया पूरा प्रोसेस बताएँ।

- उत्तर एम्प्लॉई ID में वर्ष 2005 की जगह 1998 लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पहले न्यू ID जरनेट करते समय GPF ऑफिस से गलत फीड हो गया। अब इसको सुधार करवाना है तो जिस GPF ऑफिस से यह ID बनाई गई थी वही से सुधार होगा। अगर सुधार नहीं भी करवाये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा

- प्रश्न:- (53) किसी कार्मिक की DPC च.श्रे.क. से कनिष्ठ सहायक पद पर 19/09/2019 को हुई है। मूल वेतन 20800 हैं। DPC सत्र (2018-19) की है। कार्मिक का दिनांक 19/09/2019 को कितना मूल वेतन होगा? क्या कार्मिक को 01.04.2018 से नोशनल लाभ देय होगा या नहीं?

- उत्तर peon से कनिष्ठ सहायक पर पदोन्नति होने पर केवल लेवल चेंज होता है।
- इस प्रकरण में 18-19 की डीपीसी है और पदोन्नति 19-20 में हुई है, अतः लेवल 5 में काल्पनिक वेतन निर्धारण 31.3.19 को होगा जिससे कार्मिक को एक वेतन वृद्धि का फायदा होगा। वास्तविक लाभ कार्यग्रहण तिथि से मिलेगा।

•

- प्रश्न:- (54) GPF कार्मिक की एक माह के वेतन में GPF कटौती अधिकतम कितनी कर सकते हैं ? कार्मिक प्रतिमाह 20000 रुपये की GPF कटौती करवाना चाहता है। क्या कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक से कोई लिखित एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी ? कृपया मार्गदर्शन करें

•

- उत्तर⇒ कार्मिक के सकल वेतन में से कुल कटौतियां 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस आधार पर आप कटौतियों की राशि की गणना कर GPF की कटौती निर्धारित कर सकते हैं।

•

- प्रश्न:- (55) 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में (आवास + भोजन व्यवस्था हो) TA तथा DA की दरें क्या होगी?

•

- उत्तर⇒ प्रशिक्षण में जहाँ आवास एवं भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ नियमानुसार 25% TA & DA का भुगतान होता है।

•

- प्रश्न:- (56) Pripaymanager पर मार्च की Si कटौती जो कि एरियर के रूप में मई के बिल से होनी है डिडक्शन में SI Arrear (293) add करना है या अपने आप कटौती हो जाएगी ?
- कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें।
-
- उत्तर⇒ Pripaymanager पर सिस्टम अपडेट होने पर मई की सेलेरी प्रोसेस करने पर स्वतः ही ऑटो SI की बकाया कटौती व SI एरियर की राशि इनर शीट, आउटर शीट एवं शेड्यूल्स में शो होगी।
-
- प्रश्न :- (57) मेरी समस्या है कि एक कार्मिक 16 जनवरी 2020 को रिटायर हुए हैं। उनका जुलाई से दिसंबर का DA ARREAR तो प्रोसेस हो गया परन्तु जनवरी वाले बिल में show data करने पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उचित समाधान बताने का कष्ट करें।
-
- उत्तर⇒ मास्टर data के Status में रिटायर्ड करने से नाम शो नहीं हो रहा है इसलिये आप डिफरेंस शीट बना कर DA एरियर को सेलेरी एरियर में बनावे।
-
- प्रश्न:- (58) किसी कार्मिक की मार्च में प्रथम एसआई कटौती हो रही है तो उसके वेतन बिल में इनर सीट पर एसआई नंबर 032020 दिखा रहा है परंतु एसआई शेड्यूल में यह नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है ?
-

- उत्तर⇒ SI नम्बर 032020 अंकित किया गया है यह प्रथम कटौती मार्च 2020 में की गई है। यह सूचित करता है कि जब इनके वास्तविक पॉलिसी नम्बर आने पर वह नम्बर आप फीड कर देंगे। उसके पश्चात ही वास्तविक पालिसी नम्बर शेड्यूल में शो होंगे।

- प्रश्न :-(59) क्या परिवीक्षाकाल अवधि समाप्त हो जाने के बाद परिवीक्षाकाल अवधि की PL और ML मिलती हैं ? अगर नहीं तो पूर्व DDO द्वारा सेवा पुस्तिका में जोड़ी हुई PL-ML का क्या किया जाये ?

- उत्तर⇒ परिवीक्षाकाल में PL एवं ML अर्जित नहीं होती है। आप पूर्व से सेवा में है तथा विद्यमान पुराने पद का वेतन आहरण कर रहे हैं तो आप केवल पूर्व में अर्जित PL एवम HPL का उपयोग कर सकते हैं।

- प्रश्न:-(60) मेरा स्थाईकरण 13 मार्च 2020 को हुआ था। मैंने मार्च की SI कटौती 1200 मार्च के वेतन एरियर (19 दिन का एरियर) से कर दी थी। अब मई की सेलेरी बनाने पर ऑटोमैटिक मार्च की SI कटौती SI एरियर से ले रहा है। इसको कैसे हटाए कि मार्च की SI कटौती दोबारा मई में न हो।

- उत्तर⇒ मई के बिल से मार्च की SI कटौती SI एरियर में ऑटो जरनेट हो रही है इसको हम डिलीट या adit नहीं कर सकते हैं अतः आप paymanager की हेल्प लाइन पर मेल करके आपकी समस्या उनको बतावे।

- paymanagerrj@ gmail.com
- प्रश्नोत्तर के नीचे विशेष नोट लगाकर इसे संशोधित किया गया है।
- प्रश्न - कालातीत बिल क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। TA और मेडिकल में कालातीत होने की अवधि क्या होती है ?

- उत्तर- अवधि पार बिलो को प्री चेक कराने बाबत आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है।
- 1→दो साल से अधिक अवधि होने पर विपत्र अवधि पार हो जाते है।
- 2→TA बिल यात्रा की डेट से और मेडिकल बिल डॉक्टर के साइन डेट से एवम अन्य एरियर बिल आदि पे फिटिंग की आर्डर डेट से अवधि पार की गणना होती है।
- 3→2 वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
- 4→3वर्ष से अधिक अवधि पार विपत्र के साथ एक निर्धारित राशि का बॉन्ड लगा कर Deo Hq भेजते है जिसे Deo ऑफिस से DD ऑफिस भेजा जाता है । जहाँ AAO उसे प्री चेक करते है।
- 5→बजट आने पर ही बिल प्री चेक हेतु भेजे जैसे बिल ट्रेजरी भेजते है उसी तरह बिल तैयार कर प्री चेक हेतु deo ऑफिस भेजे वहाँ से प्री चेक होने पर paymanager से फिर कवरिंग लैटर निकाल कर ट्रेजरी भेजे।

- 6⇒ यह ध्यान रहे कि सारी प्रक्रिया एक ही वित्तीय वर्ष में पूरी हो जानी चाहिये।
- विशेष नोट:- आजकल deo hq की जरूरत नहीं है। cbeo में कार्यरत AAO-II ही इसके लिए अधिकृत है।
- अतः 2 वर्ष से अधिक अवधि वाले विपत्र सीबीईओ कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय द्वारा एवं 3 वर्ष से अवधि वाले विपत्र संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रथम द्वारा पूर्व जांच किये जाते हैं।
- प्रश्न:- (61) New DDO का रजिस्ट्रेशन पेमेनेजर पर और ट्रेजरी में करवाने की जानकारी से अवगत करावे।
-
- उत्तर- पेमेनेजर पर DDO का रजिस्ट्रेशन हेतु निम्न प्रक्रिया करे।
- Master Data⇒ DDO REGISTRATION⇒ VERIFY OTP⇒ ENTER OTP⇒ SUBMIT
-
- 1- ट्रेजरी में नमूने के हस्ताक्षर वाला निर्धारित प्रपत्र एवम Ddo के उस स्कूल में पदस्थापन का आदेश मय जोड़निंग रिपोर्ट संलग्न करे।
-
- 2 Dsc डॉंगल को पूर्व ट्रेजरी से disactivet करावे एवम नई ट्रेजरी से उसे एक्टिवेट करावे।
-
- प्रश्न:- (62) वरिष्ठता सूची निर्माण में वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होता है।
-

- उत्तर:-डीपीसी वर्ष की सूची और सीधी भर्ती में चयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। इसमें कार्यग्रहण कब किया गया है उसका कोई मतलब नहीं होता है।
- नोट- एक ही वर्ष में पदस्थापित डीपीसी वाला कार्मिक RPSC से चयन हो कर आने वाले कार्मिक से वरिष्ठ होता है चाहे RPSC वाले कार्मिक ने पहले कार्यग्रहण किया हो।
-
- प्रश्न:-(63) मैंने मार्च का बिल अपने घर से बनाया है मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैंने प्रिंट नहीं लिया लेकिन अब डिजिटल सिग्नेचर वाली रिपोर्ट प्रिंट नहीं हो रही है कृपया बताने का कष्ट करें रिपोर्ट कहा से निकलेगी ?
-
- उत्तर निम्न प्रोसेस फॉलो करें
- इसके लिए पहले जिस बिल की esign report निकालनी है उसके रेफरेन्स नम्बर अंकित कर लेवे।
- फिर Authorization> offline bill submission> download signed report
- इसमें दो ऑप्शन है जिसमें रेफरेन्स नम्बर डाल कर रिपोर्ट डाउन लोड करें।
- 1 ddo लेवल इसमें बिना esign रिपोर्ट निकलेगी
- 2 ट्रेजरी लेवल इसमें esign वाली रिपोर्ट निकलती है।
-



- प्रश्न:- (64) श्रीमान में यह जानना चाहता हूं कि कोई कर्मचारी चिकित्सकीय अवकाश पर है और कार्यालय उसकी इस महीने का वेतन रोक रहा है। उस समूह का बिल प्रोसेस करने के बाद जब अनुपस्थिति विवरण पत्र अपलोड करें तब उसको अनुपस्थित

- दर्शाया जाना चाहिए या नहीं।

•

- उत्तर⇒ कर्मचारी के अवकाश स्वकृति के अभाव में वेतन रोका जा रहा है तो उसके कितने दिन का वेतन रोका गया है उसे अनुपस्थिति विवरण पत्र में दर्शाना चाहिए एवं अनुपस्थिति विवरण अपलोड करना भी अनिवार्य होगा जिसमें अनुपस्थिति के प्रकार में लिए गए अवकाश का विवरण तथा दिनांक से दिनांक तक में तिथियां अंकित की जावे।

•

- प्रश्न:- (65) अप्रैल 20 का बिल अभी बना रहे हैं। इस बिल में GIS की कटौती वेतन से कर सकते हैं या चालान से करवायी जाये। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिलावे।

•

शैक्षिक समाचार राजस्थान

- उत्तर⇒ पेमेनेजर सिस्टम से GIS कटौती बिल में add हो जाती है तो बिल में काटे अन्यथा कार्मिक की sso id से चालान बनावे एवं भरे हुए चालान की कॉपी एवम GPA प्रस्ताव की कॉपी बिल के साथ लगा देवे।

•

- प्रश्न:- (66) GA-141 कैसे एवं क्यो भरा जाता है तथा यह किसके लिए जरूरी हैं ?

•

- उत्तर→ GA-141 सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रिंसिपल को भरना पड़ता है। ये स्वयं Ddo होते हैं परन्तु उनकी सेवापुस्तिका नियंत्रण अधिकारी CBEO के कार्यालय में रहती है। इनकी सेवापुस्तिका में सेवा सत्यापन GA-141 के आधार पर किया जाता है।

- GA-141 में इस वर्ष 01/04/19 से 30/06/19 तक एवं 01/07/19 से 31/03/20 तक आहरित वेतन एवम भत्तों के बारे में जानकारी भरनी पड़ती है। जिसके आधार पर सर्विस बुक में सेवा सत्यापन CBEO द्वारा किया जाता है।

-

- प्रश्न:- (67) क्या निलम्बित कर्मचारी को चिकित्सा पुनर्भुगतान होगा ? कृपया मार्गदर्शन करें।

-

- उत्तर→ पुनः बहाल होने पर मिलेगा। निलम्बन काल में निर्वाह भत्ते का भुगतान होता है एवं इसके अलावा सभी सुविधाएं पुनः बहाल होने तक स्थगित रहती हैं।

-

- प्रश्न:- (68) किसी DDO ने अपने अधीनस्थ 4 कर्मिकों के जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक थी उनके SI की कटौती 1300 से 2200 बढ़ा दी और मार्च व अप्रैल के बिल पास भी करवा दिये अब इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा ?

-

- उत्तर आगे मई के बिल में कटौती वापस 1300 कर देवे और जो मार्च व अप्रैल की गलत कटौती कर दी है उसका पूरा विवरण लिखे एवं GA 55 तथा शेड्यूल की कॉपी लगा कर GPF आफिस प्रकरण भेजे वहा से वह राशि ऑनलाइन रिफंड हो जायेगी।

•

- प्रश्न:- (69) DA arrear बनाते समय जुलाई का महीना उन कर्मचारियों का नहीं जुड़ रहा है जो PD Head से अगस्त 19 में आये थे। उसी प्रकार उन कर्मचारियों का जुलाई का महीना PD head में जो गए थे उनका भी जुलाई का DA arrear नहीं जुड़ रहा है समाधान बताये।

•

- उत्तर⇒ डिफरेंस शीट बना कर DA एरियर को सेलेरी एरियर में बना देवे और सेलेरी एरियर बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य लगा देवे कि वह विपत्र सेलेरी एरियर में क्यों बनाया गया है।

•

- प्रश्न:- (70) मैं जब पेमेनेजर पर मेरे विद्यालय के कार्मिक की डिटेल्स वेरिफाई करती हूँ तो डाउनलोड में दूसरे कार्मिक का डेटा ओपन होता है। जिस कार्मिक की डिटेल्स शो हो रही है उसका डेटा ओपन होता है। समाधान बतायें।

•

- उत्तर⇒ यह टेक्निकल प्रॉब्लम है समस्या का स्क्रीन शॉट खींच कर पेमेनेजर की हेल्पलाइन पर मेल करे।

- paymanagerrj@gmail.com

•

- T A सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

- 1- टी ए बिल में बस/ट्रेन किराया जितना बनता है उतना ही जोड़ें (आमतौर पर बस किराया एक

रुपया/किलोमीटर)

- 2- दैनिक/विराम भत्ते की दर मूल वेतन के अनुसार जिस श्रेणी में कार्मिक आता है, उसी अनुसार जोड़ी जावे।
- 3- दैनिक/विराम भत्ता 6 घंटे से कम पर शून्य, 6 से 12 घंटे तक 70% और 12 घंटे से ऊपर पूरा देय होगा।
- 4- मील भत्ता उस स्थान की दर के अनुसार देय होगा।
- 5- incidental charges जो कि पहले मिलता था वह अब से बंद कर दिया गया है।
- प्रश्न- शिक्षा विभाग के पी डी कार्मिक अपना TA बिल किस प्रकार उठाएंगे ?
- उत्तर- पीडी वाले कार्मिकों को TA बिल फॉर्म बाजार से लेना है तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए 3 प्रति में भरकर पीईईओ को देना है।
- पीईईओ के द्वारा कार्मिक से प्राप्त बिल के आधार पर सम्पूर्ण राशि का एक बिल प्री - पे मेनेजर के सब डीडीओ लॉगिन से other benefit के नाम से बनाया जायेगा।
- इसके बाद पीईईओ द्वारा बनाये गये other benefit बिल की हस्ताक्षरित प्रति तथा कार्मिक द्वारा दिये गये ऑफलाइन बिल की 2 प्रति (1 प्रति पीईईओ को अपने पास रिकॉर्ड में रखनी है) सीबीईओ कार्यालय में भेजनी है।

- तत्पश्चात सीबीईओ ऑफिस से पीईईओ द्वारा बनाये गये बिल के आधार पर डीडीओ लॉगिन से other benefit में जाकर बिल बनाया जाएगा।
- ऑनलाइन बनाये गये बिल के साथ कार्मिक द्वारा दिये गये ऑफलाइन बिल की 1 मूल प्रति (1 प्रति सीबीईओ को अपने पास रिकॉर्ड में रखनी है) ट्रेजरी को भेजनी है।
- इस प्रकार पीडी मद के साथियों को TA बिल का भुगतान किया जायेगा।
- प्रश्न:- (71) Document Digital Signature करते समय बिल नम्बर सेलेक्ट करने के बाद, Sign By DSC सेलेक्ट करने के बाद, Select Signature सेलेक्ट करने के बाद, DSC को OK करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद जब Sign File पर क्लिक करने करते हैं तो आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है कृपया जानकार साथीगण से मार्गदर्शन अपेक्षित है।
-
- उत्तर → निम्न URL लिंक से लॉगिन कर कोशिश करे।
- <http://164.100.153.22/paymanager/> पर लॉगिन करें साइन हो जाएंगे।
-
- प्रश्न-(72) प्रोबेशन में कार्मिक को यात्रा (TA) के दौरान Daily allowance देय है या नहीं।
- प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करे।
-



- उत्तर:-राजकीय कार्य हेतु यात्रा करने वाला कोई भी कार्मिक चाहे वो परिवीक्षा काल मे हो अथवा संविदा पर उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है।

- परिवीक्षा काल/संविदा कार्मिक का मूल वेतन वही माना जायेगा जो उनका नियत पारिश्रमिक (fix वेतन) है।

- प्रश्न:- (73) किसी कर्मचारी की सत्र 2019 -20 में नगदीकरण उपार्जित अवकाश पी एल की सैंक्शन निकाल दी हो और सर्विस बुक में भी इंद्राज कर दिया हो तो क्या उस आदेश के अनुसार सत्र 2020 -21 में बिल बनाया जा सकता है ?

- उत्तर⇒ बिल वर्ष 2019 -20 में आहरित क्यों नहीं हुआ उसका उचित कारण अंकित कर इस वर्ष 2020-21 में उक्त बिल बनाया जा सकता है।

- प्रश्न -(74) एक कार्मिक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त होगा तो क्या उसे 1 जुलाई को इंक्रिमेंट देय होगा ?

- उत्तर⇒ इस सम्बन्ध में अभी कोई आदेश नहीं है अतः 30 जून 20 को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको को जुलाई 2020 का इंक्रिमेंट देय नहीं है।



- प्रश्न :-(75) एक कार्मिक ने च0श्रे0 क0 पद से 3 एसीपी ली फिर कनिष्ठ सहायक पद में पदोन्नति हुई। अभी उसका लेवल 5 व वेतन 36400 में है। अब उसकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक पद पर लेवल 8 में हो गई तो वरिष्ठ सहायक पद पर वेतन निर्धारण कितने पर होगा ?

- उत्तर एक कार्मिक को अपनी सेवा में तीन एसीपी मिलती है अतः तीनो एसीपी मिलने के बाद पदोन्नति होती है तो L 8 में समान स्टेज और समान स्टेज नही होने पर ऊपर की स्टेज में केवल वेतन फिटिंग का लाभ देय होगा।

- प्रश्न:-(76) एक कार्मिक का मई 19 का वेतन बनाते समय एनपीएस कटौती 5522 के स्थान पर 4097 हो गई यानि 1425 रुपए कम कटे। अब ध्यान आया तो कार्मिक का कहना है कि मेरे 1425 रुपए की कटौती कीजिए। अब कटौती कैसे करे। कोई विकल्प हो तो अवश्य बताये सर।

- उत्तर 1425 रु का कर्मचारी की SSO ID से NPS का चालान बना कर जमा करावे।

- प्रश्न:-(77) हमारे IFMS पर RMSA मद में 4 post SHOW हो रही थी लेकिन अब शो क्यों नहीं हो रही है जबकि बजट आवंटित हो चुका है ।

- उत्तर→उक्त बजट हेड परिवर्तित हुआ है अतः इस हेड में वही पोस्ट है जो पहले पुराने हेड में थी। IFMS पर नये हेड में पोस्टो का अभी मैपिंग नहीं हुआ है इसलिए IFMS पर पोस्ट शो नहीं हो रही है जबकि नये हेड में बजट आवंटित कर दिया गया है अतः बिल आहरित करने में कोई परेशानी नहीं है।

•

- प्रश्न:- (78) pripaymanager पर एक कर्मचारी के HRA ELEGIBLE CITY 8% करते है तो employee ID already exists बताता है और आटोमेटिक 24% हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ?

•

- उत्तर→ DDO (CBEO office) अथवा Sub ddo peeo से data अपडेट करावे सही हो जायेगा।

•


- प्रश्न:- (79) अप्रैल माह में किसी कार्मिक की NPS की कटौती होने से रह गई और उसका पेमेंट हो चुका है। अब मई माह में NPS की कटौती दुगुनी कैसे करें या NPS एरियर कैसे ऐड करें ?

•

- उत्तर→ मई में nps की कटौती दुगुनी ऐड नहीं होगी। अप्रैल की NPS राशि का कार्मिक की SSO ID से NPS का चालान जरनेट कर जमा करा देवे।

•

- प्रश्न- (80) किसी कार्मिक की नियुक्ति L 5 में कनिष्ठ सहायक के पद पर है अब 9 वर्ष की एसीपी कौनसे लेवल में स्वीकृत होगी ?



-

- उत्तर:-इनको 9 वर्ष की सेवा पर एसीपी L5 से L6 स्वीकृत होगी।

-



प्रश्न:- (81) एक कार्मिक की पदस्थापन स्थान से 15 किलोमीटर से दूर covid 19 के निगरानी दल में एक माह के लिए ड्यूटी लगाई गई है। क्या वह TA/DA का हकदार है ?

यदि हां तो कितना एवं किस प्रकार बिल बनाया जाएगा ? मार्गदर्शन देवे?



उत्तर:- सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश में TA/DA देने का उल्लेख करने पर 15 km से अधिक दूरी पर राजकीय यात्रा करने पर नियमानुसार TA & DA मिलता है लेकिन 29 दिन से अधिक प्रतिनियुक्ति होने पर यह देय नहीं होता है।



प्रश्न:- (82) जिन कार्मिकों के SI नम्बर नहीं चढ़े हैं उनके बिल में प्रथम घोषणा पत्र को अपलोड करते समय ऑप्शन में उनका नाम नहीं आ रहा है। कैसे होगा?



उत्तर:- अभी लोक डाउन के चलते घोषणा पत्र बिल के साथ अपलोड करने में शिथिलन दिया गया है। लोक डाउन खुलने के बाद जब ट्रेजरी बिल की हार्ड कॉपी मांगेगी उस समय बिल के साथ लगा देना।



प्रश्न:- (83) अगर कोई कर्मचारी अपना वेतन हेड बदलवाना चाहता है तो क्या बदल सकता है। कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- जिस हेड में पद IFMS पर स्वीकृत हुआ है एवं कार्मिक का पद जिस हेड में शाला दर्पण पर आवंटित है उसी के अनुरूप हेड रहेगा। कर्मचारी के बजट हेड का निर्धारण HOD से होता है।

कर्मचारी अथवा DDO कोई भी कार्मिक का हेड नहीं बदल सकता है।



प्रश्न:- (84) यदि किसी कार्मिक की ऑफलाइन समय का वेतन अभी भी बकाया हो उसको नहीं दिया गया तो उसको बनाने का क्या तरीका होगा ?

इसके अलावा यदि उस समय का वेतन नहीं बना उसके लिए यदि कोई परमिशन लेनी हो उसके बारे में कोई परिपत्र लेटर आदि हो तो उसका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।



उत्तर:- वेतन बकाया का No due प्राप्त करे जिसमे विलम्ब का कारण स्पष्ट अंकित हो। फिर वर्तमान ddo बकाया वेतन बिल बना सकता है। प्रकरण 2 वर्ष की अवधि से पुराना होने के कारण प्री चेक की प्रक्रिया भी पुरी करनी पड़ेगी।



प्रश्न:-(85) हमने पिछले वित्तीय वर्ष में बिल बनाए थे लेकिन वो किसी कारणवश ट्रेजरी से पास नहीं हो पाए। अब वो बिल ट्रेजरी से रीवर्ट नहीं हो पा रहे हैं।

श्रीमान जी समस्या का समाधान किया जाए जिससे बिल बनाए जा सके।



उत्तर:- बिल पास हो कर कर्मचारी के खाते में जमा होने की प्रक्रिया के निम्न विभिन्न स्तर हो गए हैं जैसे- बिल बनाना • ट्रेजरी से बिल पास होना • रिजर्व बैंक के नाम ECS फ़ाइल जरनेट होना • फिर उस बिल का कर्मचारी के बैंक में Ecs होना • पेमेंट खाते में जमा होना • TV न जारी होना।

इस केस में यह पूरी प्रक्रिया उस वित्त वर्ष में सम्पन्न नहीं होने से बिल का भुगतान नहीं हुआ इसलिये आप ट्रेजरी से उस बिल को कैंसिल करावे फिर आप DDO स्तर से बिल को डिलीट करे एवं इस नए वर्ष में दोबारा बिल बनावे।



प्रश्न:- (86) मृत राजकीय कार्मिक का मेडिकल बिल बनाया गया। फरवरी माह से अब तक पेमेनजर पर मेडिकल बिल बैंक पास बता रहा है लेकिन T V नंबर जारी नहीं हुए। मृत कार्मिक के खाते में राशि नहीं आई। जब ट्रेजरी में सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनकी ओर से मेडिकल बिल में कोई अॉब्जेक्शन नहीं है। मेडिकल बिल को ट्रेजरी से पास कर बैंक को फारवर्ड कर दिया। TV नंबर जारी नहीं हुए। फिर उप कोषागार के माध्यम NIC जयपुर में ईमेल किया गया। इस समस्या के समाधान हेतु ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण ट्रेजरी वाले कह रहे हैं कि अब मेडिकल बिल को वापस बनाना होगा क्योंकि मेडिकल बिल में टेक्निकल समस्या आई है जो कि जयपुर NIC पेमेनजर से ही समाधान हो सकती है। ट्रेजरी से समाधान नहीं हो पाएगा अब यदि मैं मेडिकल बिल वापस बनाता हूँ तो बजट तो पहले वाले मेडिकल बिल में चला गया है यानि लेप्स हो गया है। पुनः बजट मंगवाना बहुत ही मुश्किल है। बजट भी ज्यादा है। सर निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करायें।



उत्तर:-आपको वह बिल ट्रेजरी से कैंसिल करवाना होगा फिर नये वर्ष में बजट जारी करावे और पुनः नये

सिरे से बिल बनाने का प्रोसेस पूरा करे।



प्रश्न:- (87) एक कर्मचारी के फिक्सेशन का एरियर बिल बना रहे है उस बिल पर कौन कौन से प्रमाण पत्र लगाने अनिवार्य है ?



उत्तर:- बिल के साथ जो प्रमाण पत्र आवश्यक है वह सम्बन्धित बिल के inner sheet पर ऑटो जरनेट होते है अलग से कोई प्रमाण पत्र अब देने की जरूरत नहीं है।



प्रश्न:- (88) क्या माह मई 2020 के वेतन बिल के साथ माह मार्च की SIP के अलावा SI लोन और SI intrest की भी कटौती की जानी है या नहीं ? उचित सुझाव देवे।



उत्तर:- इस हेतु अलग से निर्देश की आवश्यकता नहीं है। SI लोन और SI ब्याज की बकाया कटौती यदि कार्मिक कहे तो कटौती की जानी चाहिए।

SI लोन की कटौती नहीं करने से कर्मचारी की ही अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा।



प्रश्न:- (89) किसी कार्मिक का अप्रैल माह का पूरा वेतन बन गया है किंतु उसका वेतन केवल 11 दिन का बनाना था अब उसकी ROP में NPS की की कटौती किस हिसाब से करनी होगी ?

जबाब की प्रतीक्षा रहेगी।



उत्तर:- अधिक भुगतान की कटौती वेतन से ROP में की जा सकती है अथवा Egras से चालान बना कर भी वसूली हो सकती है।

अधिक भुगतान की वसूली Gross Amount के आधार पर निकलती है एवं Nps हो तो Govt अंशदान की राशि को भी दिनों के अनुपातिक रूप से गणना कर उस राशि को भी वसूली राशि में जोड़ना पड़ता है।



प्रश्न:- (90) एम्प्लोयी के प्रान नंबर गलत थे उनको डिलिट कर दिए अब ऐड नहीं हो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि डेटा लॉक हो चुके हैं। अब एम्प्लोयी का वेतन नहीं बन पा रहा है। डेटा कैसे अनलॉक कराए ?



उत्तर:- कार्मिक की ID से रिक्वेस्ट जरनेट कर DDO को भेजे जो HOD को फोरवर्ड होगी तत्पश्चात HOD द्वारा रिक्वेस्ट Approved होने पर यह सुधार होगा।



प्रश्न:- (91) ऑब्जेक्शन या रिवर्ट बिल को पुनः सही कैसे करे ?



1;- पहले ट्रेजरी से बिल रिवर्ट होगा।

2:- उसके बाद DDO स्तर से बिल को रिवर्ट करे।

3:- Authorization में जा कर उस बिल को डिलीट कर देवे।

3:- अभी नए Updates के अनुसार Bill को Delete करने के बाद फिर से नया Bill Allocation नहीं करना है।

4:- अब objection दूर कर पुनः बिल का दोबारा नये बिल की तरह पूरा प्रोसेस करे।



प्रश्न:- (92) किसी कार्मिक की मार्च व की सैलरी नहीं बन पाई लेकिन अब बनाना चाहते हैं परन्तु कोरोना की कटौती एड नहीं हो रही हैं। सब प्रकार के प्रयास फेल हो गए , मार्गदर्शन करावे।



उत्तर:- हर तरह से प्रयास करने से कोरोना कटौती एड नहीं हो रही है तो Egras से चालान बना कर जमा करावे एवं चालान की कॉपी बिल के साथ लगा देवे।

हेड 8448-120-07-10



प्रश्न:- (93) TA बिल Esign से बनाने का प्रोसेस बतावे?



उत्तर:- (1) सबसे पहले कार्मिक अपनी एम्प्लॉई ID से TA का बिल बना कर ddo को फोरवर्ड करे एवं हार्ड कॉपी ddo को प्रस्तुत करें।

(2)-बजट उपलब्ध होने पर DDO TA का निम्न प्रोसेस पूरा कर बिल बनावे।

1-TA का बिल नम्बर लगावे।

2- बिल का प्रोसेस करे।

3-अपलोड डोकुमेंट्स टेब में Annexer with esign, उपस्थिति प्रमाण पत्र,यात्रा का आदेश अपलोड करे।

4- फोरवर्ड to Ddo

5-फोरवर्ड to ट्रेजरी

6-डाउन लोड बिल रिपोर्ट

7-Esign बिल पर करे।

8-Esign बिल की रिपोर्ट प्रिंट करे।



प्रश्न-(94) क्या TA Bill में आउटर इनर के अलावा Annexure पर भी ddo के digital signature होते हैं ? यह ट्रेजरी द्वारा आक्षेप लगाया गया है ?



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:- यदि ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन लगाया है तो Annexure पर डिजिटल साइन करने के लिए पहले इसकी पीडीएफ बनावे।

Adobe acrobate Reader Dc डाउन लोड कर किसी भी पीडीएफ पर esgin कर सकते हैं। फिर उस पीडीएफ को अपलोड डोकुमेंट्स में अपलोड कर देवे।



प्रश्न:- (95) डिजिटल साइन करने के सारे स्टेप पुरे करने के बावजूद sign successfully का msg नहीं आ रहा है जबकि डिजिटल sign करने से पूर्व आउटर इनर और शेड्यूल भी डाउनलोड कर ली। टोटल फ़ाइल 3 दिखा रहा है। पासवर्ड डालने के बाद वो msg नहीं आ रहा है।



उत्तर:-पुराने activ x को कन्ट्रोल पैनल से हटा कर Activ X का new वर्जन डाउनलोड करें एवं सेटिंग सही करे तथा activ x तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग सही करे।



प्रश्न:-(96) IFMS पर पोस्ट विवरण पी ई ई ओ क्षेत्र के बजट हैड की भी प्रदर्शित हो रही हैं। माध्यमिक विद्यालय की तो प्रदर्शित हो रही है। क्या प्राइमरी के विद्यालयों की भी पोस्ट विवरण आई एम एम एस मिलाना है ?



उत्तर:- (1)सेकण्डरी सेट अप की अभी स्वीकृत पोस्ट IFMS पर मद अनुसार शो होती है।

(2)Peeo अधीनस्थ एलिमेंट्री के स्वीकृत पदों का मिलान शाला दर्पण के अनुसार होता है यह पद IFMS पर देखने पर शो नहीं होते है।



प्रश्न:-(97) एक कनिष्ठ सहायक जो मृत आश्रित के रूप अनुकम्पा नियुक्ति से मंत्रालयिक सेवा से संबंधित है उसकी नियुक्ति तिथि 4 जुलाई 2009 है और कार्मिक ने 2 वर्ष 4 जुलाई 2011 में पूरे किए तथा कार्मिक के द्वारा टाइप टेस्ट 19 मार्च 2020 को किया गया। इस कार्मिक को वेतन वृद्धि का लाभ कब से देय होगा और इसकी एसीपी में 9 वर्ष की गणना कब से की जाएगी ?



उत्तर:-1- दो वर्ष पूर्ण होने पर 4/7/11 को नियमित वेतन निर्धारण होगा इस हेतु टाइप टेस्ट पास करने की अनिवार्यता नहीं है।

परन्तु नियमित वेतन निर्धारण दो वर्ष में कम्प्यूटर (RSCIT) योग्यता अर्जित करने के बाद नियमित वेतन मिलेगा अन्यथा देरी से कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने पर परिवीक्षाकाल उतने दिन आगे खिसक जाएगा।

2:-नियमानुसार नियमित वेतन वृद्धि एक जुलाई से लगेगी जो नोशनल होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ टाइप टेस्ट पास करने की तिथि 19/03/2020 से मिलेगा।

3- एसीपी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही देय होगी परन्तु इसका भी आर्थिक लाभ टाइप टेस्ट पास करने की तिथि से देय होगा।

Note- (1) वेतन वृद्धियों व एसीपी के आदेश टाइप टेस्ट पास करने के बाद ही हो सकेंगे।

(2) जो विधवा स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगती है उसे टाइप टेस्ट की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

(3)पॉइंट न दो एवं तीन के संदर्भ में पहले कई लोगो को संशय था कि नियमित सेवा कब से मानी जावे इसका स्पेस्टीकरण कार्मिक विभाग ने आदेश दिनांक 02/06/2020 में दिया गया है।



प्रश्न:-(98) एक प्रधानाचार्य का शहर (शहर ब्लॉक) से ग्रामीण क्षेत्र के विधालय (बिलाडा ब्लॉक) में स्थानान्तरण होने पर उन्होंने कार्यग्रहण नहीं कर मेडिकल अवकाश ले लिया लेकिन वेतन आहरित नहीं हुआ। इसके स्थान पर आनेवाले प्रधानाचार्य का वेतन आहरित हुआ।

फिर तीन महीने बाद उक्त प्रधानाचार्य का उसी विधालय मे पुनः पदस्थापन हो गया लेकिन बकाया वेतन आहरण के आदेश बिलाडा ब्लॉक के विधालय से हुए है तो उनका उक्त अवधि का मेडिकल अवकाश कौन स्वीकृत करेगा ?

शहर ब्लाक वाले कह रहे हैं कि आपके बकाया वेतन के आदेश बिलाडा से हुए हैं इसलिए सीबीईओ बिलाडा अवकाश स्वीकृत करेंगे।

जबकि सीबीईओ बिलाडा कह रहे हैं कि आपने बिलाडा ब्लॉक में कार्यग्रहण नहीं किया है। अवकाश के बाद पुनः शहर ब्लॉक में ही कार्यग्रहण किया है इसलिए आपका अवकाश शहर ब्लॉक से ही स्वीकृत होगा।

कृपया नियम के परिप्रेक्ष्य मे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें कि अवकाश स्वीकृत कौन करेगा ?



उत्तर:-जहाँ सेवा पुस्तिका रहेगी वही से अवकाश स्वीकृत होगा।

वेतन आहरण जहाँ से होगा उनके द्वारा GA 141 भेजा जाएगा उसी आधार पर सेवा सत्यापन होगा।

अगर उक्त अधिकारी ने नवीन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है तो पूर्व में जहाँ कार्यरत थे वही से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। फिर वेतन चाहे कही से भी आहरित किया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।



प्रश्न- (99).मेरे नियुक्ति सर्वप्रथम पटवारी पर दिनांक 4/01/2014 को हुई।

2. इसके पश्चात तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर दिनांक 14/05/2015 को हुई।

3 इसके पश्चात दिनांक 1/08/2019 को व्याख्याता पद पर हुई।

अतः श्रीमान मेरी ACP की गणना पटवारी 04/01/2014 या तृतीय श्रेणी अध्यापक 14/05/2015 से या व्याख्याता पद 01/08/19 से की जाएगी।

जबकि सभी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है।



उत्तर:-Rps 2017 rule 15(4) के अनुसार प्राध्यापक पद अनुसार पद पर सीधी भर्ती की तिथि 01/08/2019 से 10 वर्ष बाद प्रथम एसीपी 01/08/29 को मिलेगी।।



प्रश्न:-(100) एक कार्मिक जो अब सेवा निवृत्ति हो चुका है उसका 15 दिन का सरेंडर अक्टूबर 2014 में उठाया था उसके बाद एसीपी लगने के कारण बेसिक में अन्तर आ गया सरेंडर एरियर बनाने पर डाटा नोट फाउन्ड आ रहा है कृपया समाधान बताये।



उत्तर:-कारण स्पष्ट करते हुए डिफरेंस शीट बनावे एवम सेलेरी एरियर में बना देवे।

एसीपी की सेक्शन 2 वर्ष की अधिक अवधि पार हो चुकी है तो प्री चेक की प्रक्रिया पूरी करें।



प्रश्न:-(101) एक कार्मिक की 2005 में वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी। 9 वर्ष पश्चात 2014 में प्रथम ACP का लाभ मिल गया और 2015 में

व्याख्याता पद पर DPC हो गयी।। अब अगली ACP कब देय होगी ?



उत्तर:-प्रथम नियुक्ति तिथि में 20 वर्ष बाद 2025 में द्वितीय एसीपी मिलेगी।



प्रश्न:-(102) मेरी 11/9/2012 को 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर जॉइनिंग हुई और 28/9/2018 को सेकिंड ग्रेड में मेरी dpc हो गयी। अब मेरी प्रथम acp कब लगेगी ?



उत्तर:-पहली एसीपी लगने से पहले प्रमोशन हो गया है इसलिये अब दूसरी एसीपी नियुक्ति तिथि से 18 वर्ष बाद 11/09/2030 में मिलेगी।



प्रश्न:-(103) प्रोबेशन पीरियड में जिन बीएलओ को PL मिली है। क्या वो प्रोबेशन पूर्ण होने पर सर्विस बुक में जुड़वा सकते हैं ?



उत्तर:-प्रोबेशन काल में PL एवं HPL अर्जित ही नहीं होती है अतः यह सेवा पुस्तिका में नहीं जुड़ेगी।



प्रश्न:-(104) Paymanager पर डिजिटल सिग्नेचर केवल 2 फ़ाइल inner व outer पर ही हो रहा है schedules पर क्यों नहीं हो रहा है ?



उत्तर:-Activ X का new वर्जन डाउन लोड करे उससे पहले कन्ट्रोल पैनल से पुराने वाले Activ x को हटा देवे।

नोट:- नया वर्जन लेने हेतु paymanagerrj@gamil. com पर मेल करे सब्जेक्ट में activ x लिखे वहा से लिंक प्राप्त होगा जिसे डाउन लोड करे।



प्रश्न:-(105) पंचायत सहायक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी या नहीं ?



उत्तर:-पंचायत सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है अतः यह सुविधा इनके लिए मान्य नहीं है।



प्रश्न:-(106) थर्ड ग्रेड अध्यापक का 2 वर्षीय प्रोबेशन पूरा हो गया है। उसके स्थायीकरण से संबंधित कौन-कौन से पत्रावली फॉर्म के साथ लगेगी एवं कौन सा फॉर्म भरकर सबमिट कर सीबीओ ऑफिस भेजे। पहले शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर यह आप्सन था अब वह ऑप्शन नहीं है।

जानकारी प्रदान करावे।



उत्तर:-स्थाईकरण हेतु आवेदन पत्र अपने Cbeo के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजा जाता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलग्न करे।

1-निर्धारित फॉर्म

2-दो वर्ष का परीक्षा परिणाम

3-दो वर्ष में आकस्मिक अवकाश सहित अन्य लिए गये समस्त प्रकार के अवकाशो का विवरण

4-एक वर्ष में 15 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश लिया है तो अधिक दिनों की वसूली कर चालान की प्रति।

5-सेवा संतोषप्रद का प्रमाण पत्र

6-कोई अवैतनिक अवकाश लिया है तो अलग से उसका प्रकरण जिसमे pl फॉर्म,मेडिकल प्रमाण पत्र आदि मय प्रिंसिपल की अभिशंसा सहित।

नोट:- प्रोबेशन में आकस्मिक अवकाश की गणना संशोधित आदेश अनुसार (एक जुलाई से 30 जून) के आधार पर की जाती है।



प्रश्न:-(107) एसीपी प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ?



उत्तर:- निम्न डॉक्यूमेंट लगावे।

1-निर्धारित आवेदन पत्र

2-दो से अधिक संतान सम्बन्धित शपथ पत्र 50रु के स्टाम्प पर नोटरी /प्रिंसिपल से प्रमाणित युक्त।

3- पूर्व के स्वीकृत सभी एसीपी के आदेश एवं उनके वेतन निर्धारण आदेश की प्रतियां

4-पूर्व में कभी प्रमोशन फोरगो किया गया है तो उसका पूरा विवरण।

5-सातवे वेतनमान में जो फिक्सेशन हुआ है उसके आदेश एवं वेतन फिटिंग आदेश की प्रति

6- मूल सेवा अभिलेख

7-एसीपी हेतु 7 वर्ष की ACR की समीक्षा होती है यदि 7 वर्ष की ACR पूर्व में नहीं भरी गई है तो वह भी सलग्न करे।

उक्त तरीके से तैयार आवेदन पत्र Cbeo के माध्यम से नियुक्ति अधिकारी को भेजे जाते हैं।



नोट:-शिक्षा विभाग में शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर में ऑन लाइन एसीपी का आवेदन करने हेतु मांड्यूल विकसित किया है जिसके चालू होने पर एसीपी के लिए उस पर ऑन लाइन आवेदन पत्र सब्मिट करना होगा।



प्रश्न:-(108) मेरी प्रथम नियुक्ति 2011 में पाली जिले में अध्यापक के पद पर हुई फिर 2016 में स्वेच्छिक जोधपुर जिले में ट्रांसफर हो गया अब मेरी वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होगा ?



उत्तर:- 3rd ग्रेड अध्यापक के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर पुरानी वरिष्ठता लेप्स हो जाती है जिस जिले से आये है उसके Deo से एक प्रपत्र 6 भर कर लाना होता है एवं नये जिले में जहा जाँइन किया है वहाँ उसे जमा कराना होता है जिसके अनुसार नये जिले में कार्यग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे नाम जोड़ा जाता है।



प्रश्न-(109) एक महिला कार्मिक 1 जुलाई 2019 इन्क्रीमेंट के समय मातृत्व अवकाश पर थी और उन्होंने वापस 24 दिसम्बर 2019 को कार्यग्रहण किया। डीडीओ द्वारा उनको मातृत्व अवकाश के दौरान रेगुलर सैलरी भुगतान किया जा रहा था। कार्मिक को इन्क्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा या 24 दिसम्बर 2019 से क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मातृत्व अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं मानते हैं इसलिए इन्क्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई 2019 से ही मिलेगा। उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:-एक जुलाई की आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी अवकाश पर रहने पर वेतन वृद्धि नियमित रूप से एक जुलाई को ही स्वीकृत होती है परंतु इसका आर्थिक लाभ पुनः अवकाश से कार्यभार ग्रहण करने पर मिलता है।।

मातृत्व/पितृत्व अवकाश में अवकाश से पूर्व आहरित विद्यमान वेतन के अनुसार ही नियमित वेतन भुगतान करने का नियम है।

नोट:- केवल आकस्मिक अवकाश को ही अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता है।



प्रश्न:-(110) फिक्स पे वाले प्रोबेशन कालीन कर्मिकों का वेतन प्रोसेस नहीं हो रहा है। मेरे 5 वेतन हैड में से 3 में फिक्स पे कार्मिक हैं। इन तीनों बिलों को monthly salary process tab में जाकर जब salary प्रोसेस करते हैं तो salary प्रोसेस नहीं होती है और ना ही कोई msg शो होता है जबकि इन बिलों में से फिक्स पे कार्मिक को छोड़ कर अन्य कर्मिकों के बिल प्रोसेस करते हैं तो salary process successfully

का msg आता है व salary प्रोसेस हो जाती है। ऐसा किस कारण से हो रहा है व इसका क्या समाधान है अनुभवी साथी मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-इनके मास्टर डेटा में fix pay की जगह seventh pay का सुधार करे एवं 3rd ग्रेड टीचर है तो pay लेवल L10 की जगह LP 10 तथा बेसिक 23700 करे बिल प्रोसेस हो जायेगा यह सुधार यदि Ddo स्तर पर नहीं हो तो authorization से रिक्वेस्ट जरनेट कर Hod की फोरवर्ड करे। Hod से रिक्वेस्ट aproved होने पर सुधार हो जायेगा।



प्रश्न:-(121) किसी कार्मिक का RPMF तय स्लैब से ज्यादा कट गया। अब उसका कुछ समाधान संभव हो तो मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-RPMF की अधिक कटौती होने पर रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है।



प्रश्न:-(122) एक कार्मिक की पोस्टिंग 10 dec 2019 को हुई। अब प्राण नंबर आने पर बिल बना रहे हैं। dec के बिल से हितकारी निधि ऐड करने पर एम्प्लॉई pay detail में हितकारी शो हो रही है पर बिल प्रोसेस करने बाद रिपोर्ट देखने पर न तो इनर व न ही कॉंपरेटिव सेड्युएल में हितकारी निधि कटौती शो हो रही है। क्या करे ?



उत्तर:- अब दिसम्बर के बिल में राशि पेमेनेजर सिस्टम में सही तरीके से add नहीं हो रही है तो निदेशक एवम सचिव हितकारी निधि बीकानेर के नाम से DD बना कर बीकानेर भेजे एवं DD की फोटो कॉपी बिल के साथ लगावे।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:-(123) कार्मिक का नाम सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार paymanager पर नहीं आ रहा है यानि कार्मिक का नाम mismatch हो रहा है जिसके कारण 300 PL की राशि का बिल नहीं बन पा रहा है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि कार्मिक का नाम कैसे सही हो ?



उत्तर:- सर्व प्रथम Sipf पर DDO लॉगिन से नाम सही करावे उसके बाद एम्प्लॉई की व्यक्तिगत पेमेनेजर लॉगिन से नाम सुधार की रिक्वेस्ट जरनेट करे जो एम्प्लॉई ID से फेच होगी उस रिक्वेस्ट के साथ नाम सुधार हेतु सर्विस बुक के पहले पेज की कॉपी

अपलोड करें एवम DDO की फॉरवर्ड करे। DDO उसे Hod को फ़ॉरवर्ड करेंगे जो Hod से Approved होने के बाद पेमेनेजर पर नाम मे सुधार होगा।



प्रश्न:- (124) एक महिला कार्मिक का मातृत्व अवकाश 5 मई को पूरा हुआ है। निदेशालय स्तर से शिथिलन के कारण उस महिला कार्मिक ने अभी तक इयूटी जोइन नहीं की है। क्या मई माह का बिल बना सकते हैं ?



उत्तर:-मातृत्व अवकाश पूरा होने के बाद इनको लॉक डाउन होने से इयूटी जॉइन करने की सूचना DDO को ईमेल द्वारा देनी चाहिए थी।

निदेशक के आदेश अनुसार HQ से अनुपस्थित लोगों के भी वेतन रोकने के आदेश नहीं है।



प्रश्न:-(125) किसी कार्मिक ने मार्च में join किया है lockdown की वजह से pran number अभी नहीं आया है। उसकी सैलरी कैसे बनाये जबकि GPF वाले बोल रहे हैं pran number की जगह जीरो लिख दो।



उत्तर:- दिनांक 01/01/2017 से नये कार्मिकों के Fix वेतन से नियमानुसार NPS की कटौती करना अनिवार्य है अतः PRAN नम्बर के अभाव में वह कटौती करना सम्भव नहीं है अतः प्राण नम्बर के अभाव में बिल नहीं बनेगा।



प्रश्न:-(127) प्रथम नियुक्ति 3rd ग्रेड अध्यापक 01/12/98,

सीधी भर्ती 2nd ग्रेड नियुक्ति 28/09/2006 और पदोन्नति 1st ग्रेड 03/08/2015

आज तक एक भी एसीपी नहीं मिली। अब एसीपी कब मिलेगी ?



उत्तर:-पहली एसीपी मिलने से पहले प्रमोशन हो गया। अब दूसरी एसीपी सीधी भर्ती 2nd की नियुक्ति तिथि 28/09/06 में 20 वर्ष सेवा पर 28/09/26 को देय होगी।



प्रश्न:-(128) कोई कार्मिक सोमवार से शनिवार तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर medical leave लेता है तो क्या छुट्टियों के दोनों और रविवार को ऐड कर सकते हैं ? इसमें छह medical leave कटेगी या सात कृपया स्पष्ट करें कोई आदेश हो तो भी बताएं।



उत्तर:-इस प्रकार के प्रकरण में डॉक्टर ने जिस दिन से कार्मिक को फिट बताया गया उसके अनुसार जॉइन करना पड़ेगा उस दिन अवकाश है तो Next working day को ड्यूटी जॉइन करनी होगी उसके अनुसार मेडिकल अवकाश की गणना करे।



प्रश्न-(129) ई-ग्रास से चालान जनरेट कर राशि बैंक में जमा कराने के पश्चात चालान का ऑनलाइन सत्यापन का क्या प्रोसेस है ?



उत्तर:-IFMS पर रेवेन्यू रिपोर्ट से चेक कर चालान का मिलान करे।



प्रश्न:-(130) एक कार्मिक की Employee ID paymanager पर शुरू से ही गलत दर्ज हो गई परन्तु किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से वेतन रोक रखा है। ID सही कहाँ से होगी। कृपया उचित मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-SIPF से कार्मिक की सही आई डी का प्रिंट संलग्न कर एक लैटर जिला ट्रेजरी को भेजे यह सुधार ट्रेजरी से होगा।



प्रश्न:-(131) पेमेनेजर पर कार्मिक के SI/GPF/PRAN नम्बर अपडेट कैसे करे ?



उत्तर:-पेमेनेजर के new अपडेट के अनुसार SI/GPF/PRAN नम्बर अपडेट करने के लिए निम्न प्रोसेस करे।

1:-DDO लॉगिन से sipf पोर्टल पर यह नम्बर स्किम डिटेल्स में अपडेट करे यह नम्बर sipf से पेमेनेजर पर फेच हो कर ऑटो शो होते है।

2:-फिर कार्मिक की व्यक्तिगत ID से नम्बर टेब से रिक्वेस्ट जरनेट कर DDO को फोरवर्ड करे इस हेतु नम्बर से सम्बंधित आवश्यक डोकोमेंट्स अपलोड करें जैसे SI की पॉलिसी, पास बुक के पहले पेज की कॉपी, प्राण कार्ड की कॉपी आदि।

3:-DDO उस रिक्वेस्ट को view कर approved या रिजेक्ट कर सकता है। यदि रिक्वेस्ट व अटेच डोकोमेंट्स सही है तो Ddo उसे hod को फोरवर्ड कर देगा।

4:-Hod से रिक्वेस्ट approved होने के बाद यह सुधार की प्रक्रिया पूरी होगी।

नोट:-एक बार रिक्वेस्ट जरनेट होने के उसे रिजेक्ट करनी है तो वह जहा पेंडिंग बता रही है वहाँ से रिजेक्ट करवाने के बाद ही कार्मिक दोबारा रिक्वेस्ट कर सकेगा।



प्रश्न:-(132) विद्यालय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर पे मैनेजर पर नाम चेंज करने का क्या प्रोसेस है या ये स्वतः ही हो जाता है ?



उत्तर:-क्रमोन्नति आदेश संलग्न कर आवेदन जिला ट्रेजरी को भेजे।



प्रश्न:-(133) परिवीक्षाकाल में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति कौन करेगा ?



उत्तर:-दो वर्ष के परिवीक्षाकाल में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश इनके नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक मण्डल कार्यालय से स्वीकृत होगा।

30 दिन से अधिक राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग स्वीकृत करेगा।



प्रश्न:-(134) 15 दिन का समर्पित अवकाश लेने पर उसका सेक्शन आदेश बिल के साथ अपलोड करना आवश्यक है ?



उत्तर:-जी हाँ, सेक्शन आदेश अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा बिल पारित नहीं होगा।



प्रश्न:-(135) एक कर्मचारी अपने सेवाकाल में अधिकतम कितनी बार फोर गो कर सकता है ?



उत्तर:- जब भी प्रमोशन हो यह जॉइन नहीं करना चाहे फोरगो कर सकते हैं। फोरगो करने से उसको due acp पुनः प्रमोशन पर जॉइन करने के बाद due date में फोरगो अवधि जोड़ने के बाद स्वीकृत होगी।

फोरगो से वरिष्ठता एवम आर्थिक दोनों नुकसान होते हैं अतः फोरगो बहुत सोच विचार कर करना चाहिए।



प्रश्न:-(136) मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण मैं अपने हस्ताक्षर पहले की तरह नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपने सर्विस बुक में हस्ताक्षर परिवर्तन करने हैं यदि शिक्षा विभाग का कोई हस्ताक्षर परिवर्तन का नियम है तो मुझे अवश्य अवगत करावे।



उत्तर:-DDO को कारण बता कर आवेदन पत्र देवे जिसके आधार पर वे हस्ताक्षर चेंज करनी की अनुमति देंगे तथा सेवापुस्तिका में नए हस्ताक्षर करवा कर DDO उसे प्रमाणित कर देंगे। इस हेतु सेवापुस्तिका में अलग स्थान निर्धारित है।



प्रश्न:-(137) क्या निजी पे-मैनेजर आई-डी से डी.ए. की पे-स्लिप डाउनलोड हो सकती है ?



उत्तर:- pay slip तो वेतन की निकलती है। DA की पे स्लिप नहीं होती। अगर अधूरा ज्ञान हो तो प्रश्न न करे अन्यथा आप हंसी के पात्र ही बनेंगे।

DA एरियर की जानकारी TV नम्बर जारी होने के GA 55 में देख सकते हैं।



प्रश्न:- (138) एक अध्यापक जो स्कूल में कार्यरत है। उनके दिसम्बर 19 में 300 प्लस 4 पीएल हो गई तो वह 15 पी एल का सरेंडर उठाने के लिए 304 में से 15 घटाएंगे या 300 में से 15 घटाएंगे।



उत्तर:- अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारी है इनके 300+4 PL नहीं जुड़ती है यह गलत जोड़ी जगई है।

इनके अधिकतम 300 PL जुड़ती है एवं अन्य लेप्स हो जाती है। समर्पित लेने के बाद अब इनके खाते में $300-15=285$ PL शेष रहेगी।



प्रश्न (139)- वरिष्ठ अध्यापक की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रूकने पर पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पदोन्नति होगी या नहीं।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:- नियत समय से एक वर्ष बाद पदोन्नति होगी।



प्रश्न-(140) एक वरिष्ठ अध्यापक निलम्बन के बाद जांच अधीन ही बहाल होकर 6 मार्च 2020 को बाद दोपहर कार्यग्रहण करता है। उसका 6 दिन का निलम्बन काल का वेतन अन्तिम भुगतान पत्र के आधार पर आधा बनाया जाना है तथा बाकि दिनों का पूरा बनाया जाना है।

अब प्रश्न यह है कि

1. पेमेंनेजर पर दो भाग में इसे कैसे बनाया जायेगा क्योंकि पेमेंनेजर पर मार्च का आंशिक वेतन नहीं बन रहा है।
2. बाकी दिनों के वेतन से कितने दिन का वेतन स्थगित रहेगा।
3. मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी कटौती होगी।
4. इन सबके लिए पेमेंनेजर पर वेतन की सेंटिंग कैसे होगी ?



उत्तर:- (1) 6 दिन का निर्वाह भत्ते का बिल अलग से बनावे।

2- शेष 09 दिन का full pay पार्टली पे से बनावे एवं उस में से कोरोना की 3 दिन की कटौती बेसिक pay के हिसाब से काटे।

यह बिल भी अलग बनावे।

3- 16 दिन का वेतन स्थगित रहेगा जो बाद में आदेश होने पर बनेगा।



प्रश्न :- (141) एक कार्मिक जो गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर गया और अब चिकित्सा अवकाश से वापस लौटने की संभावना नहीं है यानि चिकित्सक द्वारा उसको फिटनेस दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि कार्मिक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसी परिस्थिति में उसका वेतन किस आधार पर बनाया जाएगा जबकि उसके अवकाश खाते में अवकाश शेष है।



उत्तर:- राजस्थान सेवा नियमों के नियम 81 के अनुसार:-

(1) प्रथम परिस्थिति में उसके लिए जब चिकित्सक निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये कभी सेवा में लौट सकता है या नहीं, ऐसी परिस्थिति में उसकी सलाह पर 12 माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) दूसरी परिस्थिति में उसी कार्मिक के बारे चिकित्सक द्वारा ये सलाह दे दी जाए कि वह अब राजकीय सेवा करने में सक्षम नहीं है तो उसके अवकाश में 6 माह की वृद्धि की जा सकती है।

इन दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिक को फिटनेस नहीं चाहिए। केवल रोग प्रमाण पत्र पर चिकित्सक की स्पष्ट अभिशंषा होनी चाहिए। यह अवकाश 120 दिन तक DDO एवं उससे अधिक होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।



प्रश्न:-(142) 2004 के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का NPS/ प्राण नंबर ऑनलाइन जारी करने हेतु कार्मिक व नियोक्ता द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की प्रोसेस बताने का श्रम करावे ?



उत्तर:-नये अपडेट के अनुसार अब GPF ऑफिस ऑफ लाइन प्राण के फॉर्म स्वीकार नहीं करेंगे।

कार्मिक अपना फॉर्म भर कर DDO को देंगे एवम DDO उसे NsdI साइट पर Nodal Office लॉगिन से ऑनलाईन एप्लीकेशन सब्मिट करेंगे। इस हेतु यूजर id SGV नम्बर +00 होगा और पासवर्ड by डिफॉल्ट nsdl@123 होगा।



प्रश्न:-(143) किसी कार्मिक को NSDL लॉगिन से Nps AC देखने का पासवर्ड याद नहीं है। अब पासवर्ड री सेट कैसे होगा ?



उत्तर:-NsdI साइट पर PRAN A/c देखने के लिए user id कार्मिक का PRAN नम्बर ही होता है ।

पासवर्ड याद नहीं है तो साइट पर forget passwored से रीसेट करे इस हेतु मोबाइल पर ओटीपी भी आयेगा।



प्रश्न-(144) किसी कार्मिक का दो विषयों की डीपीसी लिस्ट में नाम है तो क्या उसे किसी एक विषय से नाम हटवाने के लिए भी संशोधन हेतु परिवेदना देनी पड़ेगी क्योंकि वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हेतु उपस्थित होना चाहता है। दोनों विषयों की काउंसलिंग होने पर उसे एक ही काउंसलिंग में उपस्थित होना है दूसरी में उपस्थित नहीं होने पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ?



उत्तर:-कोई दिक्कत नहीं आएगी जिस विषय पर वह शामिल होना चाहते हैं उस विषय की कौन्सलिंग में शामिल हो सकते हैं।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:-(145)TA Bill बनाते समय (DA day/time) में 2 pm से समय जोड़ रहा है जैसे 9am से 4pm तक कुल समय 7 घंटे हो रहे हैजबकी pay manager पर 2 घंटे ही आ रहा है जिसके कारण DA rate नहीं आ रही है समाधान बताये ?



उत्तर:- यह टेक्निकल समस्या है ब्राउज़र बदल कर बाद में कोशिश करे।



प्रश्न:-(146) अगर किसी कार्मिक का april month में NPS कुछ (251₹) कम काट

दिया है इसका समाधान क्या है ?



उत्तर:-कार्मिक की SSO की ID से 251 रु का Nps का चालान जरनेट कर जमा करावे।



प्रश्न:-(147) RSCIT की पुनर्भरण राशि का बजट हेड कौनसा है ? हमारी RSCIT मद की राशि आज तक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया अवगत कराएं सर।



उत्तर:- RSCIT शुल्क का पुनर्भरण कार्यालय मद 05 से बिल आहरित कर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है अतः कार्यालय मद 05 में पहले ऑफ लाइन प्रपत्र भर कर बजट की डिमांड करे।



प्रश्न:-(148) किसी विकलांग कार्मिक का विकलांग भत्ता वित्तीय वर्ष 2019-20 में (मध्यावधि अवकाश और शीतकालीन अवकाश का) नहीं काटा गया था। अब उस कार्मिक से विकलांग भत्ते की रिकवरी कैसे की जाये ?



उत्तर:- वसूली की राशि की गणना आनुपातिक दिनों के आधार पर करे। साथ ही वसूली का एक कार्यालय आदेश बनावे एवं अगले महीने के वेतन मे से ROP में वसूली करे। आप चाहे तो Egrass से अधिक भुगतान की वसूली के हेड (0202-01-102-03-02) में चालान भी बना सकते हैं।



प्रश्न:-(149) यदि बिल Treasury forward हो गया परंतु 48 घण्टे तक भी Esign नहीं

हो पाए और बाद में हो जाएं या नहीं हो पाए इस स्थिति में क्या करना होगा कोई समाधान हो तो बताएं ?



उत्तर:- बिल ट्रेजरी से रिवर्ट करावे फिर DDO स्तर से बिल रिवर्ट कर उसे डिलीट करे फिर वही बिल नम्बर लगा कर नये बिल की तरह पुनः पूरा प्रोसेस करे।



प्रश्न:-(150) मास्टर डाटा verify होने के बाद किसी कार्मिक के फैमिली मेम्बर की DOB चेंज करने की क्या process है ?



उत्तर:- कर्मचारी की ID से रिक्वेस्ट जरनेट करे जिसे DDO को फॉरवर्ड करे वे HOD को फोरवर्ड करेंगे। Hod से approved होने पर सुधार होगा।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:- (151) निदेशालय बीकानेर से कार्मिको का डेटा वेरीफाई करवाने के लिए निदेशालय के व्हाट्सएप्प ईमेल आई डी व फॉरमेट पोस्ट करे?



उत्तर:-केवल DDO से पे मैनेजर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट फोरवर्ड करावे ईमेल या कोई फॉर्मेट भर कर भेजने की आवश्यकता नहीं है।



प्रश्न:- (152) एक कार्मिक का वेतन जून 2016 तक ऑफलाइन बनता था। जुलाई 2016 से paymanager से बनना शुरू हुआ। अब GPF Ledger (SIPF) में जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक कटौती 0 दिखा रहा है। कृपया उचित समाधान बताएँ।



उत्तर:- 1-पेमेनेजर पर अपनी एम्प्लॉई आई डी एवं Gpf नम्बर चेक करें। अगर गलत हो तो सही करावे।

2- उक्त दोनों सही हो तो GA 55, बिल के शेड्यूल की प्रतियां, GPF पास बुक की फोटो कॉपी ले कर GPF आफिस सम्पर्क कर Sipf पर कटौतियां अपडेट करावे।



प्रश्न:- (153) किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट मई 2021 में है तो उस कर्मचारी की SI और GPF की कटौतियां कब से बंद करनी हैं ?



उत्तर:-SI की पॉलिसी सेवानिवृति तिथि से पहले आने वाली 01अप्रैल को परिपक्व हो जाती है अतः इस केस में SI की अंतिम कटौती November 2020 तक होगी एवं दिसम्बर 2020 में क्लेम भेज देवे।

GPF की अंतिम कटौती सेवानिवृति से तीन महीने पहले बन्द होती है अतः इनकी GPF की अंतिम कटौती फरवरी 2021 तक होगी।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

प्रश्न:- (154) Children care leave कौन स्वीकृत करते हैं व कितने दिनों की मिलती है ?

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

उत्तर:- 120 तक की CCL DDO ही स्वीकृत कर सकते हैं इससे अधिक दिनों की CCL निदेशक कार्यालय से स्वीकृत होती है।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

प्रश्न:- (155) पेमेंनेजर पर किसी कार्मिक का डेटा HOD को वेरीफाई हेतु भिजवाने के लिए DDO को डिजिटल साइन से भिजवाया जाए या बिना डिजिटल साइन से ?

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

उत्तर:- डिजिटल साइन से डेटा Hod से वेरिफाई करवाने है। इसका Authorization में option दिया हुआ है।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

प्रश्न:- (156) एक कर्मचारी के lic एड करनी है लेकिन end date सेलेक्ट नहीं होती है। आगे के साल क्रॉस हो रहे है। क्या करे ?

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

उत्तर:- मास्टर में जाकर deduction master में Add LIC का ऑप्शन है वहाँ से एड करे।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

प्रश्न:- (157) Pripaymanager पर दिसम्बर 19 का वेतन बनाते समय हितकारी निधि की कटौती show नहीं हो रही है। समाधान बताने का कष्ट करें।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

उत्तर:-उपनिदेशक एवं सचिव हितकारी निधि बीकानेर के नाम DD बनावे एवं उसकी कॉपी बिल के साथ लगावे एवं DD बीकानेर भेजे।

👍👍👍👍👍👍👍👍

प्रश्न:-(158)मैंने सुना है, दुर्घटना बीमा के लिए 220 रु (जिनकी नई ज्वाइनिंग है और प्राण नंबर और सैलरी नहीं आई है) का बीमा अभी 31 तारीख से पहले ही करवाना जरूरी है जिसे कैश देकर ही करवा लेना चाहिए।

क्या यह सही है ?

👍👍👍👍👍👍👍👍

उत्तर:-अपनी SSO id से 220 रु का चालान जरनेट कर जमा करा देवे साथ ही GPA प्रस्ताव भी सब्मिट करे।

जब भी प्रथम वेतन का बिल बने उसके साथ चालान एवं GPA प्रस्ताव की कॉपी अपलोड कर देना ।

👍👍👍👍👍👍

प्रश्न-(159) किसी कर्मचारी का सितम्बर व अक्टूबर का डी ए 17% से उठ गया जिसे वापिस जमा करा दिया। अब जब डी ए एरियर बनाया गया तो उस कर्मचारी का उक्त महीना का एरियर शो नहीं हो रहा है।

एरियर कैसे बनेगा ?

👍👍👍👍👍👍👍👍

उत्तर:-उचित कारण का उल्लेख कर DA एरियर सेलेरी एरियर में बनावे ।

👍👍👍👍👍👍

प्रश्न:-(160) मेरे विद्यालय के 3 शिक्षक जो फिक्स वेतन पर कार्य कर रहे थे उनका मार्च माह का वेतन उनके मास्टर डेटा में लेवल गलत होने की वजह से आहरित नहीं किया गया था। उसे अब HOD से सही करवा दिया गया है। कृपया बतावें अब उनका वेतन कैसे आहरित करें क्योंकि अब जब उक्त माह वेतन बनाते हैं तो स्थगित किया गया वेतन नहीं आ रहा है।

👍👍👍👍👍👍👍👍

उत्तर:- अब मार्च 20 का वेतन पार्शियल पे में बनावे जिसमे कोरोना फण्ड की राशि भी काटे।



प्रश्न-(161) मेरा जन्मदिन 01/05/1990 है तो रिटायरमेंट दिनांक क्या होगी जबकि मेरे पेमेनेजर डाटा मे 31/05/2050 सो हो रहा है यदि गलत तो सही कैसे होगा ?



उत्तर-आपकी सेवानिवृत्ति तिथि 30/04/2050 होनी चाहिए आप सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की कॉपी /10 वी बोर्ड का प्रमाण पत्र लगा कर ट्रेजरी को आवेदन कर पेमेनेजर पर यह सुधार करावे।



प्रश्न:- (162) क्या मई के बाकी वेतन बिल भी डिजिटल साइन बगैर पास नहीं होंगे ?



उत्तर:- माह जून 2020 paid in जुलाई 2020 के वेतन बिल डिजिटल साइन से भेजना अनिवार्य है।



प्रश्न:- (163) एक कार्मिक का महात्मा गांधी विद्यालय में चयन हुआ है एवं उसे 29/05/20 को कार्यमुक्त किया गया है। अब उसके मई का वेतन पूरा बनावे या 29 दिन का बनावे।



उत्तर:- कोई कार्मिक एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है या किसी प्रोजेक्ट में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उस माह working days के हिसाब से वेतन बनाया जाता है।

इस केस में कार्मिक Sec विभाग से Sec विभाग में ही जा रहा है इसलिये पूरे महीने का वेतन बना कर LPC जारी की जावे।



प्रश्न:- (164) चिकित्सा विभाग में नर्स 2 के पद पर मेरी जोड़निंग 12 फरवरी 2016 की है। 9 फरवरी 2019 में मेरा एकसीडेंट हो जाने के कारण मुझे 118 दिन का अवकाश लेना पड़ा। नयी जोड़निंग होने के कारण मेरा 65 दिन का पेमेंट काटा गया (अर्जित pl व मेडिकल जोड़कर) क्या मुझे एडवांस में pl व मेडिकल नहीं मिल सकती थी ? RSR के हिसाब से उचित राय दे।



उत्तर:-, नियंत्रण अधिकारी चाहे तो Leave not due अवकाश खाते में जमा नहीं होने पर भी स्वीकृत कर सकते हैं। यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है।

(यदि नियंत्रण अधिकारी आश्वस्त हो कि कार्मिक अवकाश से लौटने के बाद अर्जित कर लेगा जब ही वे स्वीकृत करते हैं अन्यथा नहीं)



प्रश्न:- (165) एक तृ वे श्रृं का शिक्षक एक ही मण्डल के जिला भीलवाड़ा से टॉक में स्थानांतरित होकर जाता है तो उस शिक्षक की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता समाप्त होगी या नहीं ? उसकी मण्डल स्तरीय वरिष्ठता वही रहेगी या बदलेगी ? कृपया अधीकृत आदेश से अवगत करावे।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:- 3rd ग्रेड टीचर की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर बनती है एवं जिला ट्रांसफर होने पर पुरानी वरिष्ठता विलोपित हो जाती है।



प्रश्न:- (166) बिल स्टेटस में ऑब्जेक्शन शो हो रहा है। बिल रिवर्ट करने हेतु पहले डिजिटल सिग्नेचर डिलीट करने है। डिजिटल सिग्नेचर में ऑब्जेक्शन वाला बिल शो नहीं हो रहा। समाधान हो तो बताएं।



उत्तर:- बिल रिवर्ट करे फिर उस बिल का प्रोसेस डिलीट कर देवे वही बिल आवश्यक सुधार पर पुनः नये बिल की तरह प्रोसेस करे।



प्रश्न:-(167) मेरी पोस्टिंग 2012 की है। मेरी SI कटौती 1300 रुपये है। अब मुझे लोन की आवश्यकता है। क्या SI की जमा राशि पर मुझे लोन मिल सकता है और मिलेगा तो कितने %?



उत्तर:- आप लोन ले सकते है SI में लोन नियमानुसार पॉलिसी के समर्पित मूल्य के 90% के बराबर लोन स्वीकृत किया जाता है।




प्रश्न:-(168) एक अध्यापक 6th pay commission में सैलरी ले रहा है-

Basic - 22830

HRA -2283

D.A. - 37441

इनको मार्च में कितनी सैलरी मिलेगी और CM Corona relief fund कितनी राशि कटेगी ?



उत्तर:- आदेश के अनुसार मार्च 20 का वेतन 15 दिन का ऑटो जरनेट हो कर बनेगा एवं कोरोना फण्ड में बेसिक के आधार पर 3 दिन की राशि कटेगी।



प्रश्न:-(169) मैं पहले जोधपुर सिटी में पोस्टेड था। अक्टूबर 19 में फलौदी ट्रांसफर कर दिया। मुझे छः माह तक HRA 16% मिलना चाहिए परन्तु प्रिंसिपल सर के ध्यान में आया नहीं या पता नहीं कैसे मुझे अभी तक 16% HRA से बिल बना रहे है।

इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अब क्या किया जाए ?



उत्तर:-अधिक भुगतान की वसूली भरे एवं इसे आगे से HRA 8 % सही करावे। गलती किसी की हो अधिक भुगतान की वसूली आप से ही होगी।



प्रश्न:- (170) एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि अध्यापक पद पर 1.1.2009 है। 01/01/2011 को उसका स्थायीकरण हो गया। उक्त कार्मिक 1.7.2017 को सीधी भर्ती से व्याख्याता पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण करता है। इस कार्मिक ने 2013 में ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसकी एवज में अर्जित उपाजित अवकाश जोड़ा नहीं गया। उक्त उपाजित अवकाश अगस्त 2017 में जोड़ा गया। क्या प्रोबेशन काल में पूर्व में अर्जित उपाजित अवकाश जोड़ा जा सकता है ?



उत्तर:- प्रोबेशन पीरियड से पहले पूर्व पद पर स्थाई होकर अर्जित अवकाश (PL/HPL), प्रोबेशन पीरियड के दौरान सेवा पुस्तिका में जोड़े भी जा सकते हैं और उपभोग भी किए जा सकते हैं।



प्रश्न:- (171) क्या DDO के डिजिटल सिग्नेचर के बाद और ट्रेजरी को बिल फॉरवर्ड करने से पहले कोई गलती रह जाती है तो बिल को डिलीट कर नये सिरे से वापस बना सकते हैं ?

(2) क्या पहले ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद डिजिटल सिग्नेचर होने पर गलती पर बिल रिवर्ट करवाना पड़ता था ? कृपया जानकारी दे।



उत्तर:- बिल ट्रेजरी फोरवर्ड नहीं किया है तो DDO अपने स्तर पर बिल में आवश्यक सुधार अपने स्तर पर कर सकते हैं।

यदि बिल ट्रेजरी फोरवर्ड कर दिया है तो उसमें सुधार हेतु पहले बिल ट्रेजरी से रिवर्ट कराना होगा।



प्रश्न:- (172) एक कार्मिक पीडी हेड वाले को एनपीएस के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ? उसकी सर्विस 2 वर्ष 10 माह ही है। मृत्यु 13 अप्रैल 2020 को हुई थी।



उत्तर:- निर्धारित क्लेम फॉर्म, सेवा समाप्ति आदेश, डेथ सर्टिफिकेट आदि भर कर DDO के माध्यम से GPF आफिस भेजे।



प्रश्न:- (173) यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय भोजन व आवास भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है ?



उत्तर:- TA rules के अनुसार दैनिक भत्ता निम्नानुसार देय होता है।

1:- 6 घण्टे तक Nil

2:- 6 घण्टे से 12 घण्टे तक 70%

3:- 12 घण्टे से अधिक पर पूरे

दिन का दैनिक भत्ता मिलता है।

नोट:- आवासीय प्रशिक्षण अथवा बैठक में जहा चाय, नाश्ता खाने, आवास, आदि की व्यवस्था आयोजक करते हैं वहाँ नियमानुसार 25% दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।



प्रश्न:- (174) मेरी पोस्टिंग 1993 की है परन्तु मेरी एम्प्लोई आईडी में 1998 है। क्या यह सही है ? यदि नहीं तो कैसे संशोधन होगा ?



उत्तर:- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसको सुधार करवाना है तो उस SIPF कार्यालय से संपर्क करे जिसके द्वारा यह जारी की गई थी।



प्रश्न:- (175) क्या कोई परित्यक्ता या विधवा नौकरी जॉइन करने के पश्चात पुनर्विवाह कर सकती है ? यदि वह उसे घोषित किये बिना सिर्फ अपनी संतानों को शाला दर्पण, paymanager या sipf इत्यादि में जोड़ने का दबाव बनाए तो नियम क्या कहते हैं ? क्या इस प्रकार का अधोषित विवाह उसकी नौकरी से उसे किसी नियम के तहत पृथक करता है ? कई ऐसे कार्मिक अपनी संतानों की ट्यूशन फीस की छूट हेतु भी दबाव बनाते हैं। कृपया आप तर्कवितर्क द्वारा स्पष्ट करने का कष्ट करें।



उत्तर:- विधवा एवम परित्याग महिला नौकरी लगने के बाद विवाह कर सकती है। उसके विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर एवं उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर शाला दर्पण एवं Paymanger पर उसके परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज कर सकते हैं।



प्रश्न:- (176) एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी पेंशन मिल रही है।

2013 में उसकी पत्नी को उस कर्मचारी की एवज में अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही मिल जाती हैं और वो नौकरी भी कर रही हैं साथ ही साथ पेंशन भी उठा रही हैं। क्या यह सही है। स्पष्ट करे।



उत्तर- अनुकम्पा नौकरी पर वेतन एवं मृत पति की पारिवारिक पेंशन दोनों देय है लेकिन DA दोनों में से किसी एक पर मिलता है।

मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में DA नहीं मिलता है। DA उसको नौकरी की सेलेरी पर देय होता है।



प्रश्न:- (177) किसी कार्मिक के खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितने उपाजित अवकाश जोड़े जा सकते हैं ?

जैसे कोई मंत्रालयिक कर्मचारी को वर्ष में 30 पी एल देय होती है। उसको कार्यग्रहण के बदले 10 पी एल स्वीकृत करने पर एक वर्ष में 40 पी एल हो जाती है। क्या यह नियमानुसार सही है ?



उत्तर:- राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कार्मिक के एक कलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक उपाजित अवकाश उसके अवकाश खाते में नहीं जोड़ी जा सकती है।

नोट:- कार्यग्रहणकाल नियम 1981 के अनुसार प्रशासनिक/राज्य हित में स्थानांतरण होने पर कार्यग्रहणकाल का उपभोग नहीं करने पर योगकाल के रूप में उपाजित अवकाश अतिरिक्त जोड़ी जाती है। उनका प्रतिवर्ष देय होने वाली अधिकतम सीमा से कोई संबंध नहीं है।

(लेकिन अवकाश कालीन कार्मिक की 300 तथा गैर अवकाश कालीन कार्मिक की 300+15 की अधिकतम सीमा लागू होगी)



प्रश्न:- (178) ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनकी अधिवाषिकी आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पे मैनेजर ID अभी भी है तो उनका क्या किया जाये ? क्या उन्हें कहीं transferr कर सकते हैं ? जबकि उनसे संबंधित वेतन, भत्ते कुछ भी बकाया नहीं है।



उत्तर:- Paymanager ID को डिलीट कर नहीं हटा सकते हैं। सुविधा के लिए एक अलग रिटायर्ड ग्रुप बना कर सभी ऐसी अनावश्यक ID को उसमें डाल कर रख सकते हैं।



प्रश्न:- (179) एक कार्मिक का सेलेरी एरियर का बिल एक डाक्यूमेंट्स के अभाव में ओब्जेक्सन हो गया। त्रुटि वश डिजिटल साईन को डिलीट करने से ही पूर्व बिल रिवर्ट कर दिया। क्या उस बिल के साथ डाक्यूमेंट्स अटेच कर वापस सबमिट कर सकते हैं ? कृपया पूरा प्रोसेस बताये।



उत्तर:- उस बिल का प्रोसेस डिलीट कर दो एवं उसी बिल को दोबारा नये बिल की तरह बना देवे।



प्रश्न- (180) एक कार्मिक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनका सरेंडर बिल नहीं बन रहा है। जब बिल प्रोसेस करते हैं तो अटेच ppo नम्बर बताया जा रहा है और जब ppo अटेच किया जाता है तो no रिकॉर्ड फाउंड बताता है जबकि कार्मिक 07/19 में सेवानिवृत्त हुआ था।



उत्तर:-1 यह समस्या paymanager एवं PPO में नाम मिसमैच के कारण होती है आप कार्मिक का नाम paymanager एवम PPO में मिलान करे यदि दोनों में मिसमैच है तो PPO के अनुसार paymanager में उनके नाम में आवश्यक सुधार करावे।

2:- इसके साथ ही कार्मिक की जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि एवं प्रथम नियुक्ति तिथि भी पेमेनेजर पर चेक करें। अगर गलत हो तो उसे सही करावे।



प्रश्न:- (181) एक कार्मिक का सेलेरी एरियर बिल एक डाक्यूमेंट्स के अभाव में ओब्जेक्सन हो गया। त्रुटिवश डिजिटल साईन को डिलीट करने से ही पूर्व बिल रिवर्ट कर दिया। क्या उस बिल के साथ डाक्यूमेंट्स अटेच कर वापस सबमिट कर सकते हैं ? कृपया पूरा प्रोसेस बताये।



उत्तर:- बिल डिलीट कर दो और उसी नम्बर से दोबारा नया बिल बना देवे।



प्रश्न:- (182) हमारे विद्यालय में एक वरिष्ठ अध्यापिका 31.5.20 को सेवानिवृत्त हुए हैं। पेंशन कूलक के साथ नवीन PL डिमांड निर्धारित फॉर्म भर कर भेज दिया था। कृपया बताएं कि इस PL का बजट स्वतः ही हमारे स्कूल के हेड में (ifms) आ जायेगा या फिर से निर्धारित फॉर्म में डिमांड करनी पड़ेगी।

या ये बजट ट्रेजरी में आएगा।

कहाँ चेक करे ?



उत्तर:- PPO जारी होने के बाद IIFMS पर 2071-01-115-01-01 हेड में बजट चेक करे यदि बजट स्वतः प्राप्त हो जाता है तो बिल बनावे अन्यथा सम्बन्धित पेंशन कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में बजट की डिमांड करे।



प्रश्न:- (183) मेरा तृतीय श्रेणी अप्रैल 2019 में पदस्थापन हुआ और अब द्वितीय श्रेणी 2018 भर्ती में चयन हुआ है और मैंने एनओसी लेकर के काउंसलिंग करवाई। क्या मुझे प्रोबेशन काल अलग अलग करना पड़ेगा या तृतीय श्रेणी वाला जुड़ जाएगा ? मुझे कौन सा वेतन लेना चाहिए ? सर मैं नया कार्मिक हूँ पूरी जानकारी बताइए।



उत्तर:- 3rd ग्रेड में दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए 2nd ग्रेड में नई जोइनिंग पर 2 वर्ष का पूर्ण प्रोबेशन काल होगा और 2nd ग्रेड का fix वेतन मिलेगा।



प्रश्न:- (184) मेरी date of joining 02-07-1987 है। प्रथम ACP इसी दिनांक से दी गई व द्वितीय ACP जिला परिषद से चयनित दिनांक से दी गई है अर्थात् 04-12-1990 से दी गई। क्या यह सही है ?



उत्तर:- अब संशोधित आदेश के अनुसार जिला परिषद से चयनित तिथि 04/12/1990 से ही बकाया एसीपी देय होगी आपको जो एसीपी दी गई है वह सही है।



प्रश्न:- (185) एक कार्मिक का गलती से जनवरी का SI deduction हो गया और ट्रेजरी ने बिल पास भी कर दिया अब amount वापस लेने का क्या प्रोसेस है ?



उत्तर:- GA 55, शेड्यूल की कॉपी संलग्न कर Gpf आफिस को राशि रिफण्ड हेतु आवेदन करे।



प्रश्न:- (186) किसी कार्मिक की मृत्यु के पश्चात उसकी SI राशि उठाने के लिए बजट की मांग किस मद में की जाती है ?



उत्तर:- SI के भुगतान हेतु अलग से बजट की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट कर नॉमिनी के हस्ताक्षर से उसे GPF आफिस भेजे।




प्रश्न- (187) 15 दिवस उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए बिल बनाये गए हैं। PL कार्यालय आदेश अपलोड कैसे करना है ?



उत्तर:- PL की सेक्शन को पीडीएफ में करवर्ट करे फिर Acrobat reader Dc के द्वारा पीडीएफ पर E sing करे अथवा सेक्शन आदेश को स्केन करे एवं पीडीएफ बनावे फिर उस पीडीएफ को अपलोड डोकोमेंट्स में अपलोड कर देवे।



प्रश्न:- (188) 03 के लिए प्रस्ताव बीकानेर किस मेल पर किये जाते हैं मेल आई डी बतावे।



उत्तर:-03 के प्रस्ताव Deo Hq/Cbeo की टिप्पणी सहित Deo/Cbeo ऑफिस से ही बीकानेर ईमेल किये जाते हैं अतः प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर Deo/Cbeo के आफिस में भेजे।



प्रश्न:- (189) क्या Treasury से digital dongle verify करवाने के बाद सभी employee का master data hod से digitally verify करवाना होगा ?



उत्तर:- जी हाँ। सभी के मास्टर डेटा डिजिटल साइन से Hod को फोरवर्ड कर verified करवाना अनिवार्य है। इसके अभाव में माह जून 2020 के बिल नहीं बनेंगे।



प्रश्न:- (190) हमारे एक अध्यापक साथी जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त होंगे। क्या उनका सत्र 2020-21 का अभी पूरा 15 सरेंडर (PL) का बिल बना सकते हैं या नहीं ?



उत्तर:- यदि पूर्व में वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं उठाया है तो सरेंडर लीव का का बिल बनाया जा सकता है।



संशोधित उत्तर

प्रश्न:- (176) एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी पेंशन मिल रही है।

2013 में उसकी पत्नी को उस कर्मचारी की एवज में अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही मिल जाती हैं और वो नौकरी भी कर रही हैं साथ ही साथ पेंशन भी उठा रही हैं। क्या यह सही है। स्पष्ट करे।



उत्तर- अनुकम्पा नौकरी पर वेतन एवं मृत पति की पारिवारिक पेंशन दोनों देय हैं। तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19/05/2017 के आदेश अनुसार पेंशन एवम वेतन दोनों में से एक पर DA मिलता था।

अब वित्त विभाग के आदेश:-F12(4) FD/Rules/2008 Jaipur Date 27/06/2018 के द्वारा अनुसार 19/05/2017 के आदेश को संशोधित कर विधवा कार्मिक को 01/06/2018 से उसकी पारिवारिक पेंशन एवम नियमित वेतन दोनों पर नियमानुसार DA देय होता है।



प्रश्न:- (191) किसी कार्मिक का बोनस बिल 2018 में बजट अभाव में नहीं बन पाया तथा उसके बाद लिपिकीय भूल के कारण वह बिल आज तक नहीं बना। अब जब उक्त कार्मिक का रिटायरमेंट दिसंबर 2020 में है तो बोनस बिल नहीं बन पाने की जानकारी हो पाई है। अब बोनस बिल बनाने की प्रक्रिया क्या होगी ? कृपया सुझाव दें।



उत्तर:- विलम्ब का कारण बताते हुए बकाया बोनस का बिल बना सकते हैं।

यदि बिल oct 2020 के बाद बनाते हैं तो प्री चेक की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।



प्रश्न:- (192) वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में एक्स सर्विसमेन कटेगरी से एक व्यक्ति का सामाजिक विज्ञान एवं हिन्दी विषय दोनों में चयन हुआ। उन्होंने सामाजिक विज्ञान से जालौर जिले में नियुक्ति ले ली। अब इस भर्ती की काउन्सिलिंग दोबारा हो रही है तो अगर वह अध्यापक हिन्दी विषय से जोड़निंग लेता है तो क्या उन्हे प्रोबेशन दोबारा पूरा करना पड़ेगा ? प्रोबेशन 18 माह का हो चुका है। काउंसिलिंग दोबारा कोर्ट के आदेश से हो रही है।



उत्तर:- कोर्ट के रिशफल रिजल्ट से दूसरे विषय में सीधी भर्ती में चयन होने पर 2 वर्ष का प्रोबेशन पुनः जोड़निंग डेट से ही गिना जायेगा।



प्रश्न:- (193) बिल अॉब्जेक्सन स्टेटस में कुछ नहीं है जबकि सभी बिल कवरिंग वाले बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों ?



उत्तर:- बिल ट्रेजरी फोरवर्ड करने के 48 घण्टे में उस पर ट्रेजरी में टोकन न जारी नहीं होने पर वह बिल कवरिंग लेटर में ऑटो दिखाई देता है उन बिलों का कवरिंग लेटर जरनेट करे।



प्रश्न:- (194) किसी कार्मिक का paymanager पर subordinate के स्थान पर state service होने के कारण उसकी CM corona relief की राशि अधिक कट गई। अब वह राशि वापस कैसे आ सकती है ?

कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।



उत्तर:- इसमें अब राशि रिफंड नहीं होगी भविष्य के लिए मास्टर डेटा में आवश्यक सुधार करवा देवे।



प्रश्न:- (195) अपने परीक्षा काल में कोई भी कार्मिक कितने दिवस लीव विदाउट पे रह सकता है जिससे उसकी स्थायीकरण तिथि आगे नहीं खिसके। आपसे निवेदन है कि इस संबंध में सही जानकारी देते हुए नवीनतम आदेश भी उपलब्ध कराई जाने का श्रम करें।



उत्तर:- नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है इससे अधिक अवधि में पूरी अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ता है।



प्रश्न:- (196) एक कार्मिक का 5 माह का एनपीएस नहीं काटा गया। अब उस कार्मिक का बकाया 5 माह का एनपीएस कैसे जमा करवाए ?



उत्तर:-कार्मिक की SSO ID से NPS का चालान जरनेट कर जमा करावे।




प्रश्न:- (197) सैलरी बिल दिनांक 27-5-20 को digital sign करके भेज दिये। आज तक टोकन नम्बर नहीं लगे। ट्रेजरी से पता करने पर कहा कि बिल ही पहुंचा नहीं जबकि मेरे पास ट्रेजरी फौरवर्ड दिखा रहा है। रिवर्ट कराके सारी प्रकिया पुनः अपनायी (2.30pm) अब भी टोकन नम्बर नहीं लगा तथा बिल digital sign new में show हो रहा है। क्या एेसा हो सकता है ?



उत्तर:-48 घण्टे में बिल पर ट्रेजरी में टोकन नम्बर नहीं लगते हैं तो बिल ऑटो कवरिंग लेटर में शो होता है आपके वह बिल esign में शो हो रहा है तो बिल को डिलिट कर पूरा प्रोसेस दोबारा करे।



प्रश्न:- (198) सेवानिवृत्त कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान हेतु बजट आवंटन के लिए अजमेर संभाग की मेल आई डी बतावे ?



उत्तर:-पेंशन विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों की मेल आई डी निम्नानुसार है।

1. निदेशालय पेंशन विभाग जयपुर

dir-pen-rj@nic.in

2. पेंशन कार्यालय जोधपुर

jdpen-jod-rj@nic.in

3. पेंशन कार्यालय कोटा

jdpendension.kota@rajasthan.gov.in

4 📍 पेंशन कार्यालय बीकानेर

jdpenbik@gmail.com

5 📍 पेंशन कार्यालय अजमेर

jd Pensionajmer@yahoo.in

6 📍 पेंशन कार्यालय उदयपुर

jd Pension.udaipur@gmail.com

7 📍 पेंशन कार्यालय भरतपुर

jd Pensionbharatpur@gmail.com



प्रश्न:- (199) New पेंशन स्कीम में कार्मिक के C.Pen.F. A/c No. और Pran No. में क्या अंतर है। GPF खाता नम्बर की तरह कार्मिक के खाता नम्बर C.Pen.F. A/c No से कार्मिक की कटौती जमा होती है या Pran No से। कृपया स्पष्ट जानकारी दें। कई बार कार्मिक के बिलों में दोनों नम्बर एक ही होते हैं क्या ये सही है ?



उत्तर:- पहले NPS की कटौती cpenf नम्बर से होती थी अब जब से NPS कार्मिकों के PRAN नम्बर आवंटित किए गए हैं तब से NPS की कटौती प्राण नम्बर से ही कार्मिक के खाते में जमा होती है जिसे कार्मिक NSDL की साइट पर अपने user ID & Password से देख भी सकता है।



प्रश्न:- (200) किसी कार्मिक का वृत्तिवश HRA एड नहीं हुआ। बिल पास होकर अकाउंट में वेतन भी जमा हो गया। अब उन्हें HRA की राशि का भुगतान कैसे करे ? मार्गदर्शन करावे।



उत्तर:- डिफरेंस शीट बना कर सेलेरी एरियर में HRA का अंतर बिल बना लेवे साथ ही बिल में उचित कारण अंकित करे तथा HRA सेक्शन की कॉपी अपलोड करें।



प्रश्न:- (201) अगर कोई विद्यालय UPS से सेकंडरी में क्रमोन्नत होता है तो उसके DDO कोड कैसे आते हैं ? क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा ?



उत्तर:- क्रमोन्नति आदेश संलग्न कर एक निर्धारित फॉर्म भर कर जिला ट्रेजरी में देवे वहां से DDO कोड जारी होते हैं। इससे पहले स्कूल का आयकर विभाग से TAN नम्बर जारी करावे।



प्रश्न:- (202) किसी कार्मिक ने तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 11-04-18 को जॉइन किया और प्रोबेशन पूर्ण होने से पूर्व ही 58 दिन का अवकाश (अवैतनिक) ले लिया। प्रश्न है कि

1. क्या पेरो यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है ? अगर नहीं तो 30 दिन का कौन करेगा और उसके बाद के कौन करेगा ?
2. अवकाश के दौरान वेतन कटौती नहीं हो पाई तो अब कैसे होगी और epenf govt share भी कैसे वापस होगा ? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।



उत्तर:- प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते हैं उससे अधिक अवधि होने पर सरकार का प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होता है। इसमें सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

अधिक भुगतान की वसूली होगी इसमें Nps Govt अंशदान की राशि भी जोड़नी होगी।



प्रश्न:- (203) बिल में Insurance Assistant objection लगा है। इसे कैसे दूर करेगे ?



उत्तर:- यह बीमा विभाग के सहायक द्वारा बिल की जांच में ऑब्जेक्शन लगाया है। इसे दूर करने के लिए कार्मिको की GPF/NPS/SI की कटौतियां चेक कर सही करे एवं बिल से सम्बन्धित कोई घोषणा पत्र हो तो वह अपलोड करे।



प्रश्न:- (204) अगर अप्रैल माह के बिल बनाने में सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती नहीं की गई है तो क्या आगे के किसी और महीने में की जा सकती है ? क्या उसके बिना अप्रैल माह का बिल पास हो जाएगा ? कृपया समस्या समाधान करें।



उत्तर:- कार्मिक की SSO ID से 220 रु का चालान जरनेट कर भरे एवम चालान की कॉपी एवं GPA प्रस्ताव की कॉपी बिल के साथ लगावे।



प्रश्न:- (205) NPS में पिताजी एवं पत्नी दोनो को नोमिनी चयन कर रखा है। पिताजी के डेथ हो जाने पर नोमिनो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?



उत्तर:- दोनों के 50%-50% शेयर किया हुआ होगा। अब निर्धारित फॉर्म S2 भर कर पत्नी के नाम 100% शेयर कर नॉमिनी के नाम को अपडेट करावे।



प्रश्न:- (206) DA bill rejected by RBI. what is reason.

मृतक कर्मचारी का बिल है इस समस्या क्या हल है ?



उत्तर:- मृत कार्मिक का बैंक A/C बन्द कर दिया है इसलिए बिल को ट्रेजरी से cancelled करावे एवं बिल डिलीट कर देवे। उसके बाद पेमेनेजर पर नॉमिनी ऐड कर बिल वापस बनावे क्योंकि इस बिल का भुगतान नॉमिनी को होगा।



प्रश्न:- (207) मई के सैलरी बिल में सैलरी रिपोर्ट शो नहीं हो रही है और पता नहीं चल रहा है कि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं ?



उत्तर:- इसके लिए Authorization में view bill status में देखें।



प्रश्न:- (208) कार्मिक की retirement date 31/08/2029 paymanager पर आ रही हैं जबकि कार्मिक की death 26/01/2019 को हो गयी। कृपया paymanager पर date कैसे change होगी। यह बताने का कष्ट करें।



उत्तर:- कार्मिक के मास्टर डेटा में status death अपडेट करें। वह डेट की डेट मांगेंगे, वहाँ date of death अपडेट कर दें।



प्रश्न:- (209) अगर कोई बिल ट्रेजरी फोरवर्ड कर दिया जाता है तथा डिजिटल साइन देरी से किए जाते हैं जिसकी वजह से कवरिंग लेटर जारी हो जाता है इस स्थिति में कवरिंग लेटर ट्रेजरी को कैसे भेजा जाएगा ?



उत्तर:- कवरिंग लेटर अभी ऑफ लाइन नहीं जाता है। आप रेफरेंस नम्बर सहित ट्रेजरी को फोन से सूचित कर दें या ईमेल से कवरिंग लेटर ट्रेजरी को भेज दें।



प्रश्न:- (210) Egras से GIS चालान बनाते हैं तो अप्रैल to मार्च करना चाहिए या मई to अप्रैल करना चाहिए। यह किस अवधि का होता है ?



उत्तर:-Egras से GIS 220 रु का चालान बना रहे है तो अवधि में 01/05/20 से 30/04/2021 फीड करे।



प्रश्न:-(211) मेरे बिल्स में clear copy upload करने सम्बन्धित objection लगा था। नया अपडेट आने के कारण बिल डिलीट नहीं हो रहे हैं और अगर उन्हें रीवर्ट करके दोबारा treasury फॉरवर्ड करता हूँ तो वहीं objection show होने लगता है। क्या समाधान हो सकता है? बिल ऑफलाइन सबमिट किए गए थे।



उत्तर:-नये अपडेट के अनुसार बिल का प्रोसेस डिलीट करें फिर पुनः बिल का प्रोसेस कर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर बिल का आगे का प्रोसेस नये बिल की तरह पूरा करें।



प्रश्न:-(212) अगर किसी कनिष्ठ सहायक ने Medclaim policy card बनवाया हो तो उसे क्या फायदे मिलेंगे? कम से कम कितने तक का refund bill के through हो जाता है और reimbursement के क्या क्या मानदंड हैं। कृपया बताएं।



उत्तर:- मेडिकलेम पॉलिसी धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को 24 घण्टे से अधिक किसी मान्य हॉस्पिटल में indoor भर्ती हो कर उपचार कराने पर नियमानुसार राशि का पुनर्भरण किया जाता है।

इस हेतु कार्मिक को अपनी SSO ID से क्लेम ऑनलाइन सबमिट करना होता है एवं हार्ड कॉपी GPF कार्यालय भेजनी पड़ती है।



प्रश्न:-(213) किसी कार्मिक का 2 वर्षीय प्रोबेशन पीरियड मेडिकल के कारण 1 साल आगे बढ़ गया तो कार्मिक को एसीपी का लाभ कब से देय होगा? यह फिक्सेशन की डेट से होगा या जॉइनिंग की डेट से होगा।



उत्तर:- एसीपी के लिए गणना नियुक्ति तिथि से होगी लेकिन प्रोबेशन एक वर्ष आगे बढ़ गया है तो एसीपी भी due date के एक वर्ष बाद ही स्वीकृत होगी।



प्रश्न:-(214) कृपया यह बताये कि मेरे 21 जनवरी 2020 को 2 वर्ष पूर्ण हो गए व फिक्सेशन के ऑर्डर 29 मई 2020 को आये है तो क्या मैं मई के वेतन से (51 कटौती मार्च 2020) करवा सकता हूँ?



उत्तर:-वेतन निर्धारण होने के बाद एरियर से 51 कटौती हो जाएगी एरियर बिल के साथ प्रथम घोषणा पत्र अपलोड कर देना।



प्रश्न -(215) 01 जुलाई 20 को मेरे 9 साल पूरे हो रहे हैं तो क्या मुझे 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं? अगर लगेगा तो क्या मेरे 9 साल के इंक्रीमेंट में जुलाई वाला इंक्रीमेंट जुड़ेगा या नहीं?



उत्तर:- पहले एक जुलाई 20 का नियमित इंक्रीमेंट लगेगा उसके बाद स्वीकृत एसीपी में वेतन निर्धारण होगा।



प्रश्न:-(216) एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट भरी हुई है लेकिन प्रधानाचार्य अवकाश पर या पद रिक्त है। क्या ऐसी स्थिति में कार्यवाहक टी.सी जारी कर सकता है?



उत्तर:- प्रिंसिपल के लंबे अवकाश पर होने पर या पद रिक्त होने पर कार्यवाहक संस्था प्रधान IC पर हस्ताक्षर कर सकता है परंतु इस सम्बन्ध में पहले अपने CBEO से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।



प्रश्न:-(217) एक कार्मिक की एसीपी 2 से अधिक संतान होने के कारण 3 साल आगे खिसक गई। क्या अब भविष्य में पदोन्नति होगी या वो भी 3 साल के लिए आगे खिसक जाएगी या समय पर ही मिलेगी?



उत्तर:- जी हॉ आगे वाली सभी एसीपी भी due date के तीन वर्ष बाद मिलेगी तथा पदोन्नति भी तीन साल बाद मिलेगी।



प्रश्न:-(218) एक कार्मिक 76 दिन की APO अवधि में मुख्यालय जयपुर था। उसने वहीं उपस्थिति दी। क्या अब APO अवधि का वेतन आहरण करने पर hra 16% मिलेगा जबकि पूर्व में 8% मिल रहा था ?



उत्तर:- आपके APO अवधि का वेतन आहरण किस स्थान से हुआ है उस स्थान पर देय HRA की दर से ही भुगतान होगा।

नोट:- पदस्थापन की प्रतीक्षा में जिस स्थान पर उपस्थिति दी उस स्थान पर देय दर पर मकान किराया भता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कार्य ग्रहण से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया है तो ही देय है।



प्रश्न:-(219) अध्यापक ग्रेड 3rd जिसकी ग्रेड पे 2800/- है दिनांक 01-07-2012 को 11510/- (Basic) वेतन ले रहा है। 01-07-2013 को उसको कितना वेतन (Basic) मिलेगा ?

(नोट रहे 01-07-2013 को ग्रेड पे संशोधन हुआ है और अध्यापक ग्रेड 3rd की ग्रेड पे 2800/- के स्थान पर 3600/- हो गई है।)



उत्तर:- 1.7.13 को पैबैंड व ग्रेड पे दोनों संशोधित की गई है अतः 1.7.13 को विद्यमान पैबैंड 5200-20200 में रनिंग पे संशोधित पैबैंड 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 में 9300 से कम है। तो रनिंग पे 9300 + ग्रेड पे 3600 कुल बेसिक पे 12900 रु होगी।

रनिंग पे पहले से ही 9300 से अधिक है तो केवल ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 संशोधित होगी।



प्रश्न:-(220) किसी कार्मिक ने मार्च में SIP के लिए further Declaration में 5000/- के लिए SSO ID से online आवेदन किया था लेकिन लिपिक ने पुरानी SIP 2200/- को ही निरंतर रूप से रखा।

विद्वान साथी उचित समाधान बताये कि SIP को 5000/- तक अब बढ़ा सकते हैं या नहीं जबकि further declration में 5000/- है। इस लिपिकीय गलती का उचित समाधान बताये।



उत्तर:-मई 20 के वेतन में SI की कटौती 5000 करके बिल बना देवे इसमें मार्च एवम अप्रैल 20 के SI कटौती का SI एरियर ऑटो कट जायेगा।



प्रश्न:-(221) एक कार्मिक के paymanager पर pran number गलत है। अब ना ही कार्मिक की Pran ID से और ना ही DDO की ID से सुधार हो पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-पहले SIF पर DDO लॉगिन से PRAN नम्बर सही करे उसके बाद कार्मिक की व्यक्तिगत पेमेनेजर ID से डेटा SIF से फेच होगा फिर रिक्वेस्ट जरनेट करे जो DDO द्वारा Hod को फोरवर्ड होगी फिर Hod से approved होने पर सुधार होगा।



प्रश्न:-(222) एक कर्मचारी के माह मार्च के वेतन प्रोसेस के समय cm relief fund corona ऐड करने के लिये error आ रही है लेकिन यह डिडक्शन ऐड नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बिल प्रोसेस भी नहीं हो रहा है।



उत्तर:-सर्विस केटेगरी subordinate करे। fix pay की जगह seventh pay करे एवम pay लेवल LP वाला सलेक्ट करे। बिल प्रोसेस हो जाएगा।

उसके बाद भी यदि कोरोना रिलीफ की राशि ऐड नहीं हो तो उसका चालान बना देवे।



प्रश्न:-(223) एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कार्मिक जिसका PPO Number allotted हो चुका है और IFMS पर बजट भी आ चुका है। रिटायरमेंट की तिथि भी पेमेंनेजर पर बदल दी गई है जिस दिन उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत हुई है।

समस्या ये है कि पे मैनेजर पर PPO NUMBER enter tab में Employee ID लिखने पर PPO नम्बर वेरिफाइड नहीं हो रहा और निम्न संदेश प्रदर्शित होता है।

एरर 404

कृपया उचित समाधान बताएं।



उत्तर:-IFMS से बजट पेमेंनेजर पर मैपिंग नहीं हुआ है अतः पेमेंनेजर पर बजट मैपिंग होने तक इंतजार करें।



प्रश्न:-(224) किसी कार्मिक का Retirement 31 जुलाई 2013 को हुआ है। उसके गबन के केस के कारण provisional पेंशन बनी है। 2014 में SE द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए। 2013 में वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या अब वर्तमान में स्वीकृत वेतन वृद्धि को वापस किया जा सकता है?



उत्तर:-विभागीय जांच पूर्ण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्णय में एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय दिया गया है तो उसकी पालना कर एक वेतनवृद्धि निरस्त कर उसके अधिक भुगतान की वसुली करे एवं उसके आधार पर पेंशन प्रकरण बना कर भेजे।



प्रश्न:-(225) अगर किसी कनिष्ठ सहायक ने Mediclaim policy card बनवाया हो तो उसे क्या क्या फायदे मिलेंगे ?

कम से कम कितने तक का Refund bill के through हो जाता है और Reimbursement के क्या क्या मानदंड हैं कृपया बताए।



उत्तर:- मेडिकलेम पॉलिसी धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को 24 घण्टे से अधिक किसी मान्य हॉस्पिटल में indoor भर्ती हो कर उपचार कराने पर नियमानुसार राशि का पुनःभरण किया जाता है। इस हेतु पहले मेडिकलेम का कार्ड बनवाना आवश्यक है।

क्लेम के भुगतान के लिए कार्मिक को अपनी SSO ID से क्लेम ऑन लाइन सब्मिट करना होता है एवं हार्ड कॉपी Gpf कार्यालय भेजनी पडती है।



प्रश्न:-(226) DSC का टेजरी से Reaistration करवाने के बाद उस DSC को किसी भी Laptop/Pc में काम लिया जा सकता है या नहीं। कृपया मार्गदर्शन कीजिये ?



उत्तर:- DSC डोंगल का उपयोग जिस सेट पर करना है उस में Activ x होना चाहिए एवं इंटरनेट explorer की सेटिंग करनी पड़ेगी।



प्रश्न:-(227) एक कनिष्ठ सहायक जिसका प्रोबेशन 6 फरवरी 2019 को पूर्ण हुआ है उसके नियमित वेतनमान के आदेश 7 मई 2020 को हुए हैं। उसकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी या मार्च 2020 से होगी। कृपया समाधान बताये ?



उत्तर:-दो वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वेतन निर्धारण होगा उसके बाद SI की प्रथम कटौती मार्च 2019 से होगी जो बनने वाले एरियर से होगी।



प्रश्न:-(228) मैंने sunday 31 मई को बिल treasury फारवर्ड करके डिजिटल sign कर दिए लेकिन कल 2 जून तक बिल status में no status दिखा रहा था और टोकन no. नहीं दिया bills को treasury वालो ने आज देखा तो bills covering letter में शो हो रहे हैं जबकि bills को समय पर ही sign करके भेज दिया फिर भी time barred हो गए तो क्या मुझे कवरिंग लेटर generate करना चाहिए जिससे आज बिल पास हो सके ?



उत्तर:-टेजरी में 48 घण्टे में टोकन नम्बर जारी नहीं होने पर बिल ऑटो कवरिंग लेटर टेब में शो होता है जिसका कवरिंग लेटर जरनेट करना पड़ता है अतः कवरिंग लेटर जारी कर टेजरी भेजे।



प्रश्न:-(229) मैं परीवीक्षा साथियो के बिल नहीं बना रहा हूँ जिस ग्रुप मे कार्मिक हैं उससे प्रोसेस मे नाम के आगे टिक लगाने के बाद कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। मास्टर डेटा पूर्ण रूप से सही है। क्या कारण हो सकता है ?



उत्तर:-इनकी NPS की कटौती चेक करें इसके साथ ही fix की जगह 7 pay एवम पे लेवल LP वाला सलेक्ट करे।



प्रश्न:-(230) किसी कार्मिक की आई डी pripaymanager पर है लेकिन वो खुलती नहीं है कृपया मार्गदर्शन करें कैसे खोले ?



उत्तर:- पहले Cbeo या Peeo से Pri PM पर मोबाइल नम्बर अपडेट करावे फिर फॉरगेट पासवर्ड रीसेट करे।



प्रश्न:-(231) क्या प्रोबेशन पीरियड में CCL (चाइल्ड केयर लीव) ले सकते हैं?



उत्तर: सामान्यतः यह CCL अवकाश प्रोबेशन अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह अवकाश प्रोबेशन में स्वीकृत हो सकता है।

ऐसी स्थिति में परीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।



प्रश्न:-(232) हमारे DA एरियर के बिल 26 दिन से स्टेटस में पास शो हो रहे हैं लेकिन ecs नहीं हुए हैं। साथ में वो बिल कवरिंग लेटर में भी शो हो रहे हैं तो क्या उनका कवरिंग लेटर जनरेट करें या ecs हो जाएगी?



उत्तर:-राजकोष में देखे अगर बिल पास बता रहा है तो ESC हो जायेगे। Ifms में भी देख सकते हैं। यदि उस बिल का बजट माईनस हो गया है तो ECS हो जायेगा। दोनों में चेक कर ले बिल पास होना नहीं बता रहा है तो टेजरी से कॉन्टेक्ट करे। यदि वे कहे तो कवरिंग लेटर जनरेट करे।



प्रश्न:-(233) बजट के अभाव में 150 कार्मिको की माह मई 2020 की सेलेरी अभी तक नहीं बनाई गई अब सेलेरी बनाने पर pripaymanager में माह मार्च 2020 की राज्य बीमा की कटौती नहीं हो रही है कृपया समाधान बताएं?



उत्तर:-बजट की डिमांड करे बजट आने पर ही बिल बनेंगे एवं उसमे नियमानुसार कटौतियां भी हो जायेंगी।



प्रश्न:-(234) क्या किसी अध्यापक को 24 जून को विद्यालय जाना आवश्यक है जबकि उसके पास 10 आकस्मिक अवकाश शेष है।



उत्तर:- वेकेशन के क्रम में CL देय नहीं होती है अतः 24/06/20 को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है यदि कोई विशेष कारण हो तो 24/6/20 के लिए PL/ML ले सकते हैं।

सत्र 2019-20 की शेष CL का उपयोग 25 जून से 30 जून 2020 तक कर सकते हैं।



प्रश्न:-(235) जुलाई माह में increment की वजह से 1 जुलाई को जाना होता है लेकिन जो कर्मचारी प्रोबेशन में है क्या उसको भी एक जुलाई को स्कूल जाना अनिवार्य होता है या नहीं क्योंकि प्रोबेशन वालों का कोई increment तो लगता नहीं? कृपया करके इस बारे में गाइड करें।



उत्तर:- एक जुलाई को स्कूल में जॉइन करने पर सत्र 2020-21 के लिए 15 CL उपयोग करने हेतु जमा होगी।



प्रश्न:-(236) एक कर्मचारी की CRA NSDL पर प्राण नम्बर के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 दिन पहले किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक स्टैटस में captured ही दिख रहा है जबकि 72 घण्टे में प्राण नम्बर जारी होते हैं। क्या नम्बर चेक करने का कोई दूसरा तरीका है?



उत्तर:- Nsdl की हेल्प लाइन पर फोन करे यदि फाइल करप्ट होना बताते हैं तो उसे रिजेक्ट करवा कर दोबारा आवेदन करे।



प्रश्न:-(237) एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिनांक 13.03.2020 को पदोन्नति पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदभार ग्रहण किया उसे मार्च माह का वेतन भुगतान किस प्रकार होगा ?



उत्तर:- (1) मार्च का वेतन पुरानी दर से करे फिर पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि 13/03/20 से सेलेरी एरियर बनावे।

(2) दूसरा तरीका है पार्शियल पे से एक बिल 12 दिन का बना ले और उसके बाद पे अपडेट करते हुए 19 दिन का दूसरा बिल भी बना सकते है।



प्रश्न:- (238) मेरी पहली नियुक्ति पटवारी पद पर 18.06.2012 को हुई। इसके बाद मैंने पटवारी पद से कलेक्टर द्वारा कार्यमुक्त होकर 23.11.2012 को शिक्षक पद पर कार्यग्रहण कर लिया। शिक्षा विभाग में आने पर बाबूजी ने मेरी सर्विस बुक नयी बना दी जबकि एम्प्लोयी आईडी पटवारी वाली ही रखी।

1. अगर मैं पटवारी वाली सर्विस बुक का मैनेज करवाता हूँ तो किसी भी तरह का फायदा होगा क्या ?

2. क्या मुझे पटवारी वाली सर्विस का फायदा में फायदा मिलेगा ?

3. मेरी प्रथम ACP कब लगेगी ?



उत्तर:- पटवारी की सेवा से कार्यमुक्त हो कर आये थे तो नई सेवा पुस्तिका बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

एम्प्लोयी आईडी एक बार ही बनती है इसलिए जो पुरानी ID चल रही है वह सही है।

एसीपी अध्यापक पद पर 9 वर्ष की सेवा पर 23/11/2021 से देय होगी। पूर्व पटवारी की सेवा का कोई लाभ देय नहीं होगा।



प्रश्न:- (239) पेमेनेजर पर टेजरी से ऑब्जेक्शन बिल डिलीट कैसे होंगे ?



उत्तर:- पेमेनेजर पर नए अपडेट के अनुसार टेजरी से ऑब्जेक्शन बिल को डिलीट करने पर केवल उसका प्रोसेस डिलीट होगा।

बिल नम्बर वही रहेंगे उसी बिल को ऑब्जेक्शन दूर कर दोबारा नये बिल की तरह पूरा प्रोसेस करना होगा।



प्रश्न:-(240) लैपटॉप के अंदर डेट और टाइम दोनों सही दर्ज है फिर भी टेजरी फॉरवर्ड के बाद डाउनलोड करने पर फॉरवर्डिंग दिनांक गलत दर्ज हो रही है क्या कारण हो सकता है?



उत्तर:- यह टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है बाद में कोशिश करे फिर भी यही प्रॉब्लम रहे तो स्क्रीन शॉट खिंच कर पेमेनेजर हेल्पलाइन को ईमेल करें।




प्रश्न:-(241) किसी कार्मिक का SI अधिक घोषणा पत्र में प्रीमियम 1200 रुपये अपडेट कर दिए परन्तु कटौती मिनिमम 2200 होनी थी जिस कारण मई माह की सैलरी से मार्च अप्रैल के SI Arrear के साथ 2200 SI प्रीमियम की कटौती कर दी गई।। अब दोबारा अधिक घोषणा पत्र कैसे भरा जा सकता है?



उत्तर:-GPF आफिस से पुराना डिक्लरेशन फॉर्म रिजेक्ट करवा कर दोबारा सही डिक्लरेशन फॉर्म सब्मिट करे।



प्रश्न:-(242) अध्यापकों के आनुपातिक महीने के हिसाब से कितनी PL जोड़ी जाती है।



उत्तर:-अध्यापकों के एक वर्ष की 15 PL मिलती है इनके मासिक सेवा के अनुसार पहली बार प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद निम्नानुसार अनुपातिक PL जोड़ सकते हैं। Rounded नियम के अनुसार सेवा अवधि 15 दिन या 15 से अधिक होने पर उसे एक महीने में राउंड करे एवं 14 दिन की सेवा अवधि Nil हो जायेगी।

सेवा अवधि देय PL

1-माह 01 दिन

2-माह 03 दिन

3-माह 04 दिन

4-माह 05 दिन

5-माह 06 दिन

6-माह 08 दिन

7-माह 09 दिन

8-माह 10 दिन

9-माह 11 दिन

10-माह 13 दिन

11 माह 14 दिन

12 माह 15 दिन



नोट:-उसके बाद प्रति कैलेंडर वर्ष में (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) की 15PL जुड़ती है।



प्रश्न:-(243) Employee data correction कर कब तक donqal से verification करना है और नहीं हो पाये तो क्या प्रभाव पड़ेगा ? कोई आदेश हो तो उपलब्ध करावे ?



उत्तर:- अभी तक जारी आदेश अनुसार जून 2020 के वेतन बिल इसके अभाव में नहीं बनेंगे।



प्रश्न:- (244) एक कार्मिक बॉम्बे से मुख्यालय आज आया है तो उन्हें राजस्थान से बाहर से आने के कारण 14 दिवस कोरेंटाइन कराये या सीधा 24 को कार्यग्रहण करा ले?



उत्तर:- अपने उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रवासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था अनुसार कार्यवाही करे।

आप अपने SDM /CBEO साहब से इस सम्बंध में मार्ग दर्शन भी ले सकते हैं।



प्रश्न:- (245) पे मैनेजर से वेतन आहरण के पश्चात कार्यालय में कौन-कौन सी रिकॉर्ड पंजिकाये संधारित करना आवश्यक है? कृपया दिशा निर्देश देवे?



उत्तर:- वेतन सम्बन्धित निम्न रेकार्ड कार्यालय में रखना चाहिये।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1- बिल रजिस्टर

2- इनकैशमेन्ट रजिस्टर

3- चालान रजिस्टर एवम चालान फाइल

4- चेक एंड बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर

5- हेड वाइज सेलेरी बिल फाइल

6- हेड वाइज बजट आय-व्यय अनुमान फाइल

7- हेड वाइज स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों सूचना फाइल

8:- बजट कन्ट्रोल रजिस्टर

6-FVC बिल फाइल

7-Govt रसीद बुक

8-Govt कैश बुक

9-टेजरी बिल परागमन रजिस्टर



प्रश्न:-(246) एक कार्मिक की पोस्टिंग 4 अक्टूबर 2017 है। उसको नोशनल लाभ के तहत नियुक्ति तिथि 16 मार्च 2015 मान ली गई है तो उस कार्मिक को प्रथम ACP कौनसी दिनांक से मिलेगी ? जानकार साथी उचित मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-नोशनल द्वारा 16/03/2015 से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा अतः इसके अनुसार एसीपी भी निर्धारित की गई प्रथम नियुक्ति तिथि 16/03/2015 के अनुसार मिलेगी।



प्रश्न:-(247) एक कार्मिक के मार्च महीने की सैलरी उसके सर्विस कैटेगरी और सब कैटेगरी सही नहीं होने के कारण नहीं बनाई क्योंकि डिडक्शन कम हो रहा था अब डाटा संसोधन हो गया है। अब इसकी मार्च की सैलरी बनाते समय कोरोना फण्ड नहीं कट रहा है। सब जगह से try किया। बल्क डिडक्शन, ग्रुप डिडक्शन और एम्प्लोयी पे डिटेल पर भी कोई फायदा नहीं। अब कैसे ऐड करे ?



उत्तर:-किसी तरह से कोरोना फण्ड की राशि ऐड नहीं हो रही है तो उसका Egras से चालान बना कर जमा करावे एवं चालान की कॉपी बिल के साथ अपलोड कर देवे।

हेड:-8448-00-120-07-10



प्रश्न:-(248) एक कार्मिक का मार्च, अप्रैल व मई में HRA का अधिक भुगतान उठा लिया गया है अब जून माह में ROP द्वारा अधिक भुगतान वसूली काट दी गई है। क्या बिल के साथ डिफरेंस सीट के अलावा कोई प्रमाण पत्र देना है? अगर देना है तो कृपया फॉर्मेट बताने का कष्ट करें। कार्मिक pripaymanager का है।



उत्तर:- अधिक भुगतान की वसूली का कार्यालय आदेश निकाल कर बिल के साथ अपलोड करे एवं ROP में वसूली राशि को Add करे।



प्रश्न:-(249) क्या किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर कम्युटेशन पेंशन मिलती है? यदि मिलती है तो कितनी मिलेगी?



उत्तर:- डेथ होने पर कार्मिक की पत्नी/पति को कम्युटेशन पेंशन नहीं मिलती है।



प्रश्न:-(250) एक सहायक कर्मचारी के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री हैं जो कि तीनों ही अविवाहित हैं। इस सहायक कर्मचारी की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। कर्मचारी की मृत्यु के दस दिन बाद ही कार्मिक की पत्नी की भी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब कार्मिक की उक्त तीनों संतान जो कि 25 साल और इससे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक की पुत्री को पारिवारिक पेंशन हेतु प्रकरण तैयार कर भिजवाया जा सकता है?



उत्तर:-(1) पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक होने से उसको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी।

(2) अविवाहित बड़ी पुत्री को जब तक उसकी शादी नहीं हो या उसकी आय 9500 की प्रति महीने आय हो जाये जो भी पहले होने तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।



प्रश्न:- (251) बिल ट्रेजरी भेजने के बाद पास हो गया लेकिन फर्म का बैंक खाता बंद होने के कारण ट्रांसेक्शन रिजेक्ट हो गया। फर्म को भुगतान कैसे होगा ? जानकर साथी बताने का कष्ट करें।



उत्तर:- Authorization में E Advice DDO का ऑप्शन है जिसमें जाकर E advice जरनेट करे जिसमें E Advice correction में बैंक खाता संख्या को अपडेट करके लिखे जिसमें फर्म भुगतान चाहती है।

उसको फिर ट्रेजरी के लिए फोरवर्ड कर देवे एवं 2 प्रतियो में बिल ट्रेजरी को भेजे।



प्रश्न:- (252) प्राण नम्बर किट किस ऑफिस में मिलेंगे ?

प्राण नम्बर तो आ गए पर किट अभी तक नहीं मिला ?



उत्तर:- PRAN नम्बर आवंटित होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से प्राण नम्बर की जानकारी मिल जाती है परंतु PRAN किट GPF ऑफिस से कार्मिक को कलेक्ट करना पड़ता है।



प्रश्न:- (253) Active x कहाँ से download करें ?



उत्तर:- Active X का New वर्जन लेने के लिए पेमेनेजर हेल्प लाइन पर मेल करे। subject में Active x लिखे जिससे ऑटो रिप्लाइ में लिंक शेयर होगा। उसके द्वारा आप Active x डाउन लोड कर लेवे।

मेल एड्रेस paymanagerrj@gmail.com



प्रश्न:- (254) एक स्थायी शिक्षक कितने दिन तक अवैतनिक अवकाश ले सकता है ? उसके खाते में कोई भी पीएल या एमएल नहीं है। कृपया अनुभवी साथी मार्ग दर्शन करें।



उत्तर:- उचित कारण जैसे स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, उच्च अध्ययन, कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करना आदि पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होता है।

नोट:- राजस्थान सेवा नियम 23(1)(क) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का निरन्तर रूप में, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

परन्तु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक बार में अधिकतम 120 दिन तक कि स्वीकृति दी जा सकती है। उससे अधिक अवधि का अवकाश विभागाध्यक्ष ही स्वीकृत कर सकते हैं।

उपरोक्तनुसार अवकाश अवधि की सेवाओं की गणना पेंशन योग्य व एससीपी हेतु नहीं की जाएगी।

उपार्जित अवकाश गणना में नियमानुसार 10 दिन पर 1 अवकाश कम किये जायेंगे जिसकी अधिकतम अवकाशकालीन कार्मिक हेतु 15 दिन एवं गैर अवकाशकालीन हेतु 30 दिन होगी।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:- (255) यदि एक ही विभाग के दो अलग अलग कार्यालय का डीडीओ एक ही हो तो क्या प्रक्रिया रहेंगी ? क्या एक ही डोंगल दो जगह रजिस्टर्ड हो सकता है ? कृपया अवगत करावे।



उत्तर:- ट्रेजरी से दूसरे कार्यालय को उसी डोंगल से मैपिंग करवाना पड़ेगा।



प्रश्न:- (256) यदि परिवीक्षाकाल में कोई कर्मिक समान पोस्ट पर जॉइन करे तो प्रोबेशन एंड होगा क्या ?

Ldc 2013 से Ldc 2018)



उत्तर:-नही। एड नहीं होगा। नए पद पर जॉइन करने से नये सिरे से पुनः परिवीक्षाकाल पूर्ण करना पड़ेगा।



प्रश्न:-(257) सैलरी arrear का एक बिल बनाया था। ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आया कि बिल partial pay का बनेगा। bill को रिवर्ट किया फिर डिलीट करने पर केवल बिल का डेटा डिलीट हुआ लेकिन बिल डिलीट नहीं हुआ। अब उसी नम्बर के बिल को partial pay का कैसे बनाए जबकि बिल में बिल टाइप व sub टाइप edit ही नहीं हो रहे और न ही उस नम्बर का बिल दोबारा allocate हो रहा है।



उत्तर:-नये अपडेट के अनुसार अब बिल पूर्णतया डिलीट नहीं होगा इसलिए बिल टाइप बदलने के लिए नया बिल नम्बर दे कर partial bill बनावे। बिल रिजिस्टर में पुराने बिल नम्बर को निरस्त कर देवे।



प्रश्न:-(258) कोई कार्मिक, जो कोरोना की इयूटी से बिना किसी आज्ञा के लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहा हो और उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया हो तो क्या उसका वेतन रेगुलर तरीके से ही बनेगा ? या कोई छुट्टीयां जैसे PLआदि काटी जाए। कृपया नियमानुसार मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-प्रकरण बनाकर अपने नियंत्रण अधिकारी Cbeo साहब को भेजे फिर वहा से प्राप्त निर्देश अनुसार कार्यवाही करे।

वैसे निदेशक महोदय के आदेश है जो कार्मिक HQ पर नहीं है उनको भी नियमित वेतन का भुगतान किया जावे।



प्रश्न:- (259) श्रीमानजी वर्तमान में मुख्यालय के रूप में दूरी का criteria कितना निर्धारित है? संभव हो तो आदेश और मुख्यालय से संबंधित अन्य conditions पोस्ट करने का श्रम करावें।

(क्षमा चाहता हूँ कि मेरा सवाल paymanager से संबंधित नहीं है।)



उत्तर:- जहाँ कार्मिक का पोस्टिंग है उस गाँव/शहर की राजस्व सीमा में कार्मिक का HQ होता है।

15 Km की सीमा TA रूल्स के लिए है।



प्रश्न:- (260) राजकोष से Encashment Expenditure रिपोर्ट निकालने का तरीका बतावे।



1. सर्वप्रथम हम ifms.raj.nic.in वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे। इसके बाद ओपन होने वाले होम पेज पर राजकोष को सलेक्ट करेंगे।

2. तत्पश्चात लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड डालेंगे। इसका लॉगइन आईडी एंड पासवर्ड guest होता है।

3. यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालकर इसे सबमिट करेंगे तो अब आप राजकोष की साइट के मुख्य होम पेज पर आ जाएंगे।

4. वहाँ पर सबसे पहले बाएँ तरफ मेनू में Transaction status पर क्लिक करेंगे और DDO Wise Report Expenditure को सलेक्ट करेंगे।

5. इसे सलेक्ट करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें From Date से To Date में माह की पहली और आखिरी तारीख को भरना है।

6. इसके बाद Treasury Code में जिला कोषालय को सलेक्ट करना है जैसे - Baran 0400

7. इसके बाद Criteria On में Office ID को सलेक्ट करना है और Value में ऑफिस आईडी दर्ज करनी है।

8. इसके बाद नीचे Report Type में pdf को सलेक्ट करना है और इसे सबमिट कर देंगे। आपके विद्यालय/कार्यालय की बजट एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट में डाउनलोड हो जायेगी।



Pay manager सम्बन्धित आवश्यक सूचना।



1:-Report not download

2:-june salary bill number not save

3:-ddo forward is work after budget validate button click

4:-pls wait pm team is working



प्रश्न:- (261) क्या ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने पर 24/06/2020 को CL ले सकते हैं ?



1:-सत्र 2019-20 की बकाया CL का उपयोग 30 जून 20 तक कर सकते हैं।

2:-30 जून के बाद लगातार एक जुलाई 2020 से अगले सत्र की सीएल भी ले सकते हैं लेकिन दोनों सत्रों की कुल लगातार दस से ज्यादा सीएल न हो।

3:- नियम 2 निर्णय 10 दिनांक 02/02/1971 के अनुसार वेकेशन के क्रम में 24 जून को CL नहीं ले सकते हैं।

4:-आवश्यक होने पर 24/06/2020 को PL/ML अवकाश ले सकते हैं।

5 :-ग्रीष्मावकाश में जो लगातार covid 19 या बोर्ड परीक्षा में इयूटी दे रहे हैं तथा ग्रीष्मावकाश में ऑन इयूटी है वह 24 जून को भी CL ले सकते हैं।

6:-जिनकी कोविड 19 में इयूटी लगी हुई है वे अपने नियंत्रण अधिकारी से मार्ग दर्शन प्राप्त कर स्कूल में जॉइन करे अन्यथा उनके निर्देश अनुसार कोविड 19 की इयूटी जारी रखे।

नोट:-CL के साथ अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं ले सकते हैं।



प्रश्न:-(262) यदि कोई शिक्षक एक जुलाई को उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसके लिए वेतन वृद्धि का क्या नियम है ?



उत्तर:-एक जुलाई को आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहने पर वार्षिक वेतनवृद्धि 01/07/2020 को ही स्वीकृत होगी परन्तु उसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।



प्रश्न:-(263) किसी कर्मचारी की नियुक्ति 22/07/2019 को हुई है उसने 20/6/2020 तक एक भी CL नहीं ली है। अब 24/6/2020 से स्कूल खुल रहे हैं और 8/7/2020 से 11/7/2020 तक कर्मचारी की MA प्रथम ईयर की एग्जाम हैं। कर्मचारी बाड़मेर में कार्यरत है और एग्जाम उसके गृह जिले नागौर में हैं तो क्या वह अब बची हुई CL ले सकता है या 30 जून को खत्म हो जायेगी जबकि कर्मचारी प्रोबेशन में हैं।



उत्तर:-CL की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होती है उस वर्ष की शेष CL 30 जून को लेप्स हो जाती है। शेष CL अगले वर्ष के लिए कैरी फोरवर्ड नहीं होती है।

अब एक जुलाई 20 के बाद जो ,CL लेंगे उसकी गणना वर्तमान सत्र में होगी।



प्रश्न-(264) किसी महिला कार्मिक ने प्रोबेशन काल में 111 दिन का CCLअवकाश ले लिया जो कि विशेष परिस्थितियों में देय है और डीडीओ ने अवकाश स्वीकृत कर इस दौरान का वेतन भी उठा दिया। क्या प्रोबेशन काल में सीसीएल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार डीडीओ के पास है ? कृपया इस संदर्भ में सही मार्गदर्शन दें।



उत्तर:-CCL अवकाश PL की तरह ही सेक्शन होती है अतः Probation में केवल मातृत्व अवकाश को छोड़ कर अन्य कोई भी अवकाश 30 दिन तक नियुक्ति अधिकारी व उससे अधिक प्रशासनिक विभाग स्वीकृत करता है।

नोट:- प्रोबेशन में विशेष परिस्थिति में CCL स्वीकृत होने पर प्रोबेशन भी आगे बढ़ता है।



प्रश्न:- (265) एक कार्मिक की नियुक्ति अनुकम्पा आधार पर कनिष्ठ लिपिक पद पर होती है। कार्मिक के नियुक्ति आदेश में नियत समय में कम्प्यूटर दक्षता उत्तीर्ण करना लिखा है। कार्मिक द्वारा एक वर्ष में RSCIT परीक्षा उत्तीर्ण कर ली परन्तु विभाग द्वारा कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्या RSCIT परीक्षा मान्य नहीं है ?



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:-वेतनवृद्धि जिला स्तर पर आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्वीकृत होगी।

नोट:-RSCIT परीक्षा भर्ती के लिए आवश्यक है जिसे 2 वर्ष के प्रोबेशनकाल में अर्जित करना अनिवार्य है अन्यथा स्थाईकरण नहीं होता है।



पेशन:- (266) मास्टर डेटा में अपडेट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है जो अभी लॉक है। यह कब खुलेगा ?



उत्तर:-जो व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करनी हैं उसकी पर्सनल Id से रिक्वेस्ट जरनेट करे।



प्रश्न:-(267) एक सरकारी कर्मचारी को कहाँ कहाँ पर अपना नॉमिनेशन ऐड करवाना चाहिए तथा इसका क्या महत्व है ?



उत्तर:-हर सरकारी कार्मिक को अपने निम्न स्किम में नॉमिनेशन अवश्य ऐड करवाना चाहिए। इसके अभाव में कार्मिक की डेथ होने के बाद भुगतान प्राप्त करने में नॉमिनी को बहुत परेशानी होती है।

1:-सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर मनोनयन फॉर्म 126 जो DCRG के लिए होता है भर कर चस्पा किया जाना चाहिए।

2:- Ddo लॉगिन से Sipf पोर्टल पर GPF/SI/NPS/GIS आदि स्किम में नॉमिनी ऐड करे इस हेतु नॉमिनी का बैंक A/C ,IFSC code, मोबाइल नम्बर आवश्यक है।

4:-कार्मिक के सेलेरी बैंक

A/C,अन्य कोई बैंक खाता ,FDR आदि हो तो उसमें भी नॉमिनी बैंक की ब्रांच में जा कर ऐड करावे।

3:- LIC एवं बचत की अन्य कोई अलग से स्किम है तो उसमें भी नॉमिनी अवश्य ऐड करावे।

4:-pay manager पर कार्मिक की डेथ होने के बाद भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। कार्मिक की डेथ होने के बाद उसके बकाया सभी भुगतान नॉमिनी को ही पेमेनेजर माध्यम से किये जाते हैं।

नोट:-कार्मिक के विवाह होने, पति अथवा पत्नी की मृत्यु होने, पुनः विवाह करने आदि किसी कारण से नॉमिनी चेंज हो गया है तो उसे भी उपरोक्त सभी जगह समय पर नॉमिनी अपडेट करवाना चाहिए।



प्रश्न:-(268) प्रोबेशन मे अगर कार्मिक ने training की हो और अवकाश के दोरान उसकी PL जोड़ी गई है तो क्या यह सही है ?



उत्तर:-प्रोबेशनकाल में कोई PL/HPL अर्जित नहीं होती है अतः प्रोबेशन काल में जो आपके PL जोड़ी गई है वह गलत है ।



प्रश्न:-(269) क्या चार्टर्ड एकाउंट का बिल SDMC से भुगतान कर सकते हैं ? इसके लिए कार्यालय स्तर पर क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी ?



उत्तर:-SDMC की बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बाद CA को भुगतान किया जा सकता है।



प्रश्न:-(270) 29 मई को वेतन बिल बनाए थे परंतु उसमें SI arrear की कटौती नहीं हुई थी। बिल ट्रेजरी से पास होकर सैलरी जमा हो गई तो अब क्या जून के वेतन से SI arrear की कटौती होगी ?



उत्तर:- कार्मिक की SSO ID से SI अंतर की राशि का चालान बना कर राशि जमा करावे एवं चालान Gpf आफिस भेज देवे।



प्रश्न:-(271) प्रोबेशन पूरा होने के बाद कार्मिक के बिल में SI की कटौती ऐड नहीं हो रही है ।

SI नम्बर मेंडेटरी का ऑब्जेक्शन आ रहा है। क्या समाधान होगा ?



उत्तर:-(1) सबसे पहले इनके Sso id से sipf पर ऑन लाइन प्रथम घोषणा पत्र सब्मिट करे।

(2) पर्सनल PM से अपडेट नम्बर वाले टैब से रिक्वेस्ट जरनेट करे इसमे नीचे edit का बटन है उस पर क्लिक करे SI नम्बर sipf से फेच हो कर 032020 शो हो रहे होंगे उसी आधार पर रिक्वेस्ट जरनेट करें।

(3) वह रिक्वेस्ट ddo को फोरवर्ड करे ddo उसे hod को फोरवर्ड करेंगे।

(4) Hod से रिक्वेस्ट Approved होने पर SI नम्बर डेटा में अपडेट होंगे।



प्रश्न:- (272) क्या डी ए एरियर बनाते समय जिन कार्मिकों का डीए जीपीएफ में जमा हो रहा है उसमें से इनकम टैक्स की कटौती की जा सकती है अथवा नहीं। क्या पूरा का पूरा डीए एरियर जीपीएफ में जमा होगा ?

यदि इनकम टैक्स की कटौती की जा सकती है तो उसका प्रतिशत क्या रखा जावे ?



उत्तर:- DA एरियर की राशि जीपीएफ में जमा कराने के कारण एरियर से आयकर की कटौती नहीं होगी।

वार्षिक आयकर गणना प्रपत्र में DA एरियर की सकल राशि आय में जोड़कर आयकर की गणना की जाएगी।



प्रश्न:- (273) क्या एक शिक्षक 25/6/20 से पितृत्व अवकाश ले सकता है ? इससे 30 जून अंतिम दिन की उपस्थिति का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्या पितृत्व अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है ?



उत्तर:- 25 जून से 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकते हैं परन्तु एक जुलाई से लगने वाले इंक्रीमेंट का आर्थिक लाभ पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा।



प्रश्न:- (274) प्रथम नियुक्ति 1.7.2008

9 वर्ष ACP 1.7.2017 को देय होती है, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाई।

जनवरी 2019 में तीसरी संतान हो गई तो फर्स्ट ACP 1.7.2017 को स्वीकृत होगी या 3 वर्ष बाद।

जानकारी देवे आदेश को copy हो तो अवगत करावे।



उत्तर:- प्रथम एसीपी दिनांक 01/07/17 से ही सेक्शन होगी क्योंकि एसीपी Due होने के बाद तीसरी संतान हुई है जो आगे की एसीपी 18 व 27 वर्ष वाली प्रभावित होकर 21 व 30 वर्ष पर देय होगी।

नोट-संतान का शपथपत्र अब दिया जा रहा है संतानोत्पत्ति की तिथि 9 वर्ष सेवा पूर्ण होने से पूर्व की अंकित होगी।



प्रश्न - (275) मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक 2008 में हुई तथा 2011 में आरपीएससी से वरिष्ठ अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई तथा 18 जनवरी 2017 को मेरा प्रमोशन व्याख्याता पद पर हो गया है। आरआर सूची से मेरा प्रमोशन हुआ था अभी तक मुझे चयन वर्ष नहीं मिला है तो मुझे चयन वर्ष व्याख्याता पद की नियुक्ति तिथि से मिलेगा या कंफर्मेशन होने के बाद मिलेगा और मेरी एसीपी कब से मानी जाएगी ?



उत्तर:- स्थाई डीपीसी वर्ष में चयन होने पर व्याख्याता पद की वरिष्ठता का लाभ मिलेगा।

अब 20 वर्ष की सेवा पर दूसरी एसीपी 2031 में मिलेगी।



प्रश्न:- (276) मेरी ग्रीष्मावकाश में 15 दिन कोरोना ड्यूटी लगी और मैं प्रोबेशन पीरियड में चल रहा हूँ क्या मुझे पीएल अवकाश का लाभ आरएसआर 92 वी नियम के तहत मिल सकता है ?



उत्तर:- प्रोबेशन में कोई PL अर्जित नहीं होती है।



प्रश्न :- (277) मेरी नियुक्ति RPSC से 2006 में अजमेर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में हुई। 2018 में मेरा स्थानान्तरण नागौर जिले में हो गया अब मेरी वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होगा ? क्या एक संभाग होने पर मेरी वरिष्ठता का विलोपन होगा या पूर्वानुसार होगी ?



उत्तर:- 3rd ग्रेड टीचर की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर बनती है अतः जिला ट्रांसफर होने पर पुराने जिले की वरिष्ठता विलोपित होगी।



प्रश्न:- (278) मेरी नियुक्ति 11 अक्टूबर 2006 को व्याख्याता पद पर हुई तथा मैं पदोन्नत होकर 7 अक्टूबर 2016 को प्रधानाचार्य पद पर ज्वाइन किया। क्या मुझे 11 अक्टूबर 2016 को 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम एसीपी का लाभ मिलेगा कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति पर 26A का लाभ दिया गया है तो अब अगली एसीपी 20 वर्ष की सेवा पर दिनांक 11/10/26 को L17 मिलेगी।

उक्त अवधि के दौरान कोई प्रमोशन न होने की शर्त पर ही ACP का लाभ मिलेगा।



प्रश्न:-(279) पेंशन प्रकरण का स्टेटस ऑन लाइन कैसे देखे ? कोई लिंक हो तो बतावे?



उत्तर:-पेंशन केस की ताजा स्थिति ऑन लाइन देखने का लिंक

<https://pension.raj.nic.in/Account/PublicView>

इससे Employee id या LR Numbar से पेंशन प्रकरण का स्टेटस देख सकते हैं।



प्रश्न:-(280) एक एम्प्लोयी जो 31 मई 2020 को रिटायर्ड हुआ है लेकिन उसका पेंशन प्रकरण अभी भेजा नहीं है उसकी 90000 की रिकवरी है उसे वह किस प्रकार जमा करा सकता है ? मार्गदर्शन करे।



उत्तर:-Egras से अधिक भुगतान की वसूली के हेड में चालान बना कर वसूली जमा करावे और वसूली की एंटी सर्विस बुक में अवश्य करे। चालान की कॉपी पेंशन कुलक के साथ भी अनिवार्यतः लगावे।



आवश्यक सूचना



New update के अनुसार SI Arrear की राशि add deduction से अपडेट करने का ऑप्शन Ddo लेवल पर उपलब्ध करवाया गया है ।

अब मार्च 20 से मई 20 तक की कोई SI कटौती के Arrear की राशि ऐड करनी हो ऐड deduction में ID न 293(SI arrear) से ऐड करे।



मास्टर डाटा अधिकृत होने पर ही मिलेगा वेतन

अजमेर, 24 जून। जिले के कार्मिकों का जून माह का वेतन पे मैनेजर सिस्टम पर मास्टर डाटा के अधिकृत होने पर ही प्रदान किया जाएगा।

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पे-मैनेजर अथवा पीआरआई पे-मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के मास्टर डाटा को अधिकृत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध राजकीय अधिकारियों एवं कार्मिकों की एक एम्पलॉई आई डी एवं मास्टर डाटा की विधिवत जांच की जानी आवश्यक है। इसमें संशोधन एवं अधिकृतिकरण डिजीटल लॉगइन के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके लिए पे-मैनेजर पर डिजीटल लॉगिन का पंजीकरण तुरन्त करना अनिवार्य है। इसके अभाव में जुलाई में मिलने वाला जून माह के वेतन बिल का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, पीडी खाता धारक, विभागाध्यक्ष, उपविभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय के कार्मिकों-अधिकारियों की मेपिंग की जाएगी। माह जून देय जुलाई का संवेतन स्वीकृत पदों के पे-मैनेजर सिस्टम पर मेपिंग एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर कार्मिकों के मास्टर डाटा अधिकृत किए जाने के आधार पर होगा। इस वेतन के लिए डीडीओ द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न:- (281) कोई कर्मिक Bsc है और किसी विद्यालय प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत हैं। अब वह B.ed कैसे करे ?



उत्तर:- BEd प्रवेश परीक्षा देवे उसमे उत्तीर्ण होने पर विभाग से अनुमति हेतु आवेदन करें। विभाग द्वारा अनुमति देने पर नियमित बीएड कर सकते हैं।

इस हेतु यदि 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करली है तो अध्ययन अवकाश विभाग द्वारा स्वीकार करने पर 2 वर्ष के लिए HPL मिल जाती है अन्यथा स्वयं के अर्जित अवकाश या अवैतनिक अवकाश लेना होगा।



प्रश्न:-(282) हमारे स्टाफ के एम्प्लॉई डिटेल अपडेट कर दी है अब डिटेल वेरिफाई करने के लिए next क्या करना होगा DDO लेवल पर ?



उत्तर:-सभी कार्मिकों के Esign से युक्त data hod से वेरिफाई करवाने है अतः Authorization टैब में जो ऑप्शन है उससे डेटा esign कर hod को भेजे।

ध्यान रहे कि इसके बिना जून 20 के वेतन बिल का प्रोसेस नहीं होगा।



प्रश्न:-(283) मेरे विद्यालय में नवनियुक्त पीटीआई का प्राण नंबर पे मैनेजर और एसएसओ पर नहीं फीड हो रहा है।

कार्मिक के प्राण नंबर अभी आए हैं उससे पहले एचओडी से इसका समस्त डाटा वेरीफाई करवा चुके हैं इस कारण कार्मिक के वेतन बनाने में समस्या आ रही है। कृपया करके समाधान बताएं ?



उत्तर:-सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक की sipf id पर प्राण नंबर अपडेट हो गया हो।

यदि नहीं हुआ है तो sipf से अपडेट करवाएं तत्पश्चात कार्मिक के paymanager लॉगिन से नम्बर detail request डालें। इसे ddo स्तर पर ओके कर hod फारवर्ड करें। hod द्वारा वेरीफाई के पश्चात आप सैलरी प्रोसेस कर पाएंगे।



प्रश्न:- (284) पैमेनेजर पर उपलब्ध पेरजिस्टर का print लेकर रख ले तो क्या वह पेपोस्टिंग रजिस्टर की जगह सही है ?



उत्तर:- जी नहीं पे पोस्टिंग रजिस्टर नियम 89 के अन्तर्गत वेतन बिल ट्रेजरी भेजने से पूर्व उसमें पे पोस्टिंग करना आवश्यक है ।



प्रश्न:- (285) एक शिक्षक की नियुक्ति 2014 में वरिष्ठ अध्यापक पर हुई तो उनकी नयी id बनाई। नियुक्ति से पूर्व वे विधार्थी मित्र में सेवा दे रहे थे तो उस समय भी उनकी id थी। अब पूर्व की id बन्द करानी है। मार्गदर्शन दें ?



उत्तर:- डुप्लीकेट आई डी ट्रेजरी से मर्ज/डिलीट होती है आप जिला ट्रेजरी से सम्पर्क करें।



राशन:- (286) मेरा 3rd ग्रेड का प्रोबेशन पूरा होने के बाद मेरा सेकंड ग्रेड में नियुक्ति हो गई पर सेकंड ग्रेड के प्रोबेशन के दोहराने में सरकारी ऑर्डर से सरकारी टूर्नामेंट में निर्णायक इयूटी की सर्दी की छुटियों और गर्मी की छुटियों में टूर्नामनेट करवाये तो क्या उसकी मुझे PL देय हैं plz मार्गदर्शन करावे।



उत्तर:- प्रोबेशनकाल में PL अर्जित नहीं होती है।



प्रश्न (287) एक कार्मिक की नियुक्ति तिथि अध्यापक पद पर 01.07.1999 है। 9 वर्षीय एसीपी 01.07.2008 को स्वीकृत हुई। वर्ष 2011-12 की डीपीसी में second ग्रेड में 20.02.2015 को जॉइन किया। first ग्रेड में वर्ष 2016-17 की डीपीसी में 03.09.2016 को जॉइन किया। उसे 20 वर्षीय एसीपी देय होगी या नहीं । यदि हाँ तो कब से।



उत्तर:-पहली एसीपी 1/7/08 को मिल गई दूसरी एसीपी से पहले फर्स्ट grade में पदोन्नति हो गई अतः अब 30 वर्ष की सेवा पर तीसरी एसीपी 01/07/2029 में मिलेगी।



प्रश्न:-(288) मेरी नियुक्ति अनुकम्पा से हुई है मैं अभी 12th pass हूँ और मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। क्या मैं bstc कर सकता हूँ कृपया मार्गदर्शन करें ?



उत्तर:-Bstc की अनुमति विभाग से मिलने पर कर सकते हैं अन्यथा नहीं। इसके लिए आप Deo को अनुमति हेतु आवेदन करें।



प्रश्न:-(289) पीडी हेड में एक कर्मचारी का बिल डिलीट करने के बाद में वह शो हो रहा है मतलब पूर्ण तरह डिलीट नहीं हो रहा है इसका क्या कारण हो सकता है?



उत्तर:-नये अपडेट के अनुसार अब बिल पूर्ण डिलीट नहीं होगा केवल उसका बिल प्रोसेस ही डिलीट होगा।

यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब बिल नम्बर वही रहेगा।



प्रश्न:-(290) मेरी नियुक्ति 12 सितंबर 2012 को अध्यापक पद पर हुई तथा मैं आरपीएससी द्वारा हेडमास्टर सेकेंडरी डायरेक्ट भर्ती परीक्षा 2018 में चयन होकर 17 अक्टूबर 2019 को प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) पद पर ज्वाँइन किया। मुझे प्रथम एसीपी का लाभ कब मिलेगा ? कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-यदि प्रिंसिपल पर पर पदोन्नति नहीं हुई तो 10 वर्ष की सेवा पर 17/10/2029 में एसीपी मिलेगी।



प्रश्न:-(291) अगर कोई महिला कार्मिक प्रोबेशन पूरा कर लेती हैं लेकिन अगर वह एक दो साल तक अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल नहीं आती है तो क्या उसको कोई परेशानी आ सकती है और वह किस आधार पर रह सकती है साथ ही बाद में उसका अवकाश कौन स्वीकृत करेगा ?



उत्तर:-(1) अवैतनिक अवकाश लिया जा सकता है।

(2) नियमानुसार बच्चों की देखभाल हेतु CCL भी मिल सकती है।

120 दिन तक ddo एवं उससे अधिक अवधि के अवकाश hod से स्वीकृत होते हैं।



प्रश्न:-(292) एक कार्मिक के sso id में sipf portal open नहीं हो रहा है। forget password भी कर दिया लेकिन login नहीं हो रहा है ।

Login करने पर मेसेज आ रहा है

One time authentication

इस समस्या का समाधान बताने की कृपा करें ।



उत्तर:-इसके समाधान हेतु GPF से कॉन्टेक्ट करें।



प्रश्न:- (293) SI की डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए 100 रुपये का चालान बनाया उसका नेट बैंकिंग से payment भी कर दिया। अब उस चालान की कॉपी कैसे जनरेट होगी GRN number 40202545



उत्तर:- E-grass portal open करके वहाँ username और पासवर्ड guest Enter करें। फिर department Name में से 101-State Insurance and Provident Fund Department (SI&PF) Select करें। Treasury Code, Office Name, Bank Name आदि Select करें फिर GRN नंबर व Amount Enter कर Challan Download कर सकते हैं।

साथ ही यदि आपने Payment Net Banking से किया है तो Net Banking Login से भी सम्बन्धित राशि का Challan Print कर सकते हैं।



प्रश्न:- (294) सेवारत मृत्यु होने पर हितकारी निधि की कितनी राशि और किस प्रकार मिलती है ? आवेदन कहाँ करना होगा ?



उत्तर:- शिक्षा विभाग के किसी कार्मिक की सेवारत डेथ होने पर हितकारी निधि से 1.5 लाख की सहायता राशि मिलती है इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक बीकानेर को भेजे।



प्रश्न:- (295) मई 2020 का बिल आज 24 जून को बनाते समय मार्च 2020 की SI की कटौती ऑटो जनरेट हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। add deduction में भी SI एरियर नाम से कोई नहीं दिख रहा है।

मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- निदेशक बीमा विभाग के आदेश 23/06/20 के अनुसार अंतर राशि इस महीने के बिल में SI Arrear कटौती में कर समायोजन कर सकते हैं।

PM पर add deduction में ID न 293 में SI Arrear ऐड करने की सुविधा ddo स्तर पर उपलब्ध करा दी गई है।



प्रश्न:- (296) किसी कार्मिक के 2 मार्च 2020 को संतान हुई है। क्या उसका अब पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ? कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- पितृत्व अवकाश प्रसूति की दिनांक से तीन महीने में ले सकते हैं इसलिए इस केस में इनको यह अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।



प्रश्न:- (297) एक कार्मिक जो 1700 gp में है उसका मार्च का वेतन बनाते समय वेतन 50% बन रहा है जबकि पूरा बनना चाहिए

डेटा भी सही है ?



उत्तर:- सर्विस केटेगरी subordinate की हुई है इसलिए 50% बन रही है एवं pay level भी चेक करें।

सर्विस केटेगरी सही करने हेतु Ddo लॉगिन से Authorization से रिक्वेस्ट जरनेट कर फोरवर्ड करे जो hod को जायेगी वहाँ से approved होने पर सुधार होगा फिर बिल बनावे तभी सही बिल बनेगा।



प्रश्न:- (298) किसी कार्मिक की नियुक्ति तृतीय वेतन श्रृंखला में 13.2.1992 को हुई। 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान 2010 में मिल गया। दिसम्बर 14 में वरिष्ठ अध्यापक पर पदोन्नति हो गई फिर जून 18 में व्याख्याता पर पदोन्नति हो गई। मुझे तृतीय एसीपी कब मिलेगी ?



उत्तर:-अब 30 वर्ष की सेवा पर एसपी दिनांक 13/02/2022 को L 13 मिलेगी।



प्रश्न:-(299) कोई अध्यापक ग्रीष्मकालीन अवकाश में ट्रेनिंग करता है तो क्या उसे पीएल देय है ?



उत्तर:-स्थाई कार्मिक है तो नियम 92B के तहत PL देय होगी ।

यदि प्रोबेशन में है तो कोई PL अर्जित नहीं होगी।



प्रश्न:-(300) एक कार्मिक ने नियुक्ति से अब तक 8 साल में जितने भी प्रशिक्षण किये उनके बदले मिलने वाली PL सर्विस बुक में नहीं जुड़वाई है। जबकि साल की 15 PL हर साल जोड़ी जा चुकी है। अब क्या उनकी प्रशिक्षण की PL एक साथ जोड़ी जा सकती है ?



उत्तर:-जो भी ट्रेनिंग छुट्टियों में की है उसकी PL नहीं जोड़ी गई है तो ट्रेनिंग के आदेश एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर बकाया PL अब भी जोड़ी जा सकती है।

मगर यह ध्यान रखे प्रोबेशनकाल की कोई PL नहीं जुड़ेगी।



माह जून का बिल बनाते समय पहले RPF कटौती स्लैब अनुसार अपडेट करे।



इस माह जून 2020 के वेतन बिल में विशेष बदलाव

जिन कर्मिकों के RPF की कटौती होती है उनके मई माह में वेतन से RPF की कटौती के साथ अप्रैल माह का RPF एरियर ऐड करके कटौती की गई थी जिसे Amount में जाकर राशि फीड करके सबमिट किया गया।

अब जून माह में actual स्लैब अनुसार RPF कटौती होगी अतः Bulk deduction में जाकर ग्रुप सेलेक्ट करे फिर कटौती का चयन करें। इसमें आपको तीन विकल्प दिखेंगे।

- 1- Slabe
- 2- Amount
- 3- Formula

आपको केवल slabe का चयन करना है और सम्बन्धित कर्मिकों का चयन करके सबमिट करना है। ऐसा करने से उस ग्रुप में 1-1-2004 से पूर्व सभी कर्मिकों की RPF कटौती स्लैब अनुसार हो जाएगी।



न्यू अपडेट के अनुसार माह जून का डिजिटल साइन से वेतन बिल बनाने की प्रोसेस कैसे करे ।



सर्वप्रथम आप द्वारा पे-मैनेजर की साइट पर जावे उसके बाद स्टेप के अनुसार करेंगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

1:-Allocate Bill Numbar

2:-उसके बाद आप द्वारा बिल नंबर देने के बाद बिल प्रोसेस हेतु Monthly Salary Process करें ।

3:-बिल ddo फॉरवर्ड करने से पूर्व सर्वप्रथम आप द्वारा किसी कर्मचारी के (Acp, Fixition, Promotion order, Absent Estetment ,Rop order, Lpc) या इत्यादि कोई ऑर्डर हुआ है तो वह Authentication में जाकर Documents Uploaded करेंगे।

उसके उपरांत आप जो बिल प्रोसेस किया है उसको ddo फॉरवर्ड करोगे । लेकिन उसमें तीन ऑप्शन निम्न प्रकार प्रोसेस करोगे।

4:-Biil forward to Ddo

1. जिस हेड (SF/CA) में राशि है उस हेड में राशि भरते हुए लास्ट के ऑप्शन (Submit) करते हुए ddo फॉरवर्ड करेंगे। उसके पहले बजट validate करें।

5:-DDO फॉरवर्ड होने के बाद आप द्वारा उक्त बिल को रिपोर्ट जनरेट करने के लिए REPORT TAB पर क्लिक करते हुए ALL SALARY REPORT पर क्लिक करना है_

6:--Down load report (outer, inner and All schedule)

7:-REPORT GENERATED HONE के बाद आप द्वारा

डॉंगल को अपने PC में लगाते हुए AUTHENTICATION में जाकर DOCUMENT DIGITAL SIGNATURE पर क्लिक करते हुए डॉंगल के माध्यम से साइन करने का प्रोसेस पूरा करेंगे ।

उसके बाद आपको लास्ट स्टेप 

8:-Bill forward to treasury



प्रश्न:-Salary बिल पर कार्मिकों की designation show क्यों नहीं हो रही है?



उत्तर:-यह टेक्निकल प्रॉब्लम है बाद में कोशिश करें।



डॉंगल से डिजिटल साइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निम्न प्रोसेस फॉलो करें।



1:-activ x new वर्जन डाउन लोड करें।

2:-इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग दुबारा चेक करें एवम उसे unable करे।

3:- डोंगल हटा कर दुबारा इंस्टाल करे।

4:-pc में डेट फॉर्मेट चेक कर उसे सही करें।



प्रश्न:- (301) मेरी 1 वर्ष पूर्व पदोन्नति होने पर मैंने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण कर लिया परंतु अब मैं वापस उस पदोन्नति को त्यागना चाहता हूँ क्या ऐसा हो सकता है ? अगर हाँ तो कैसे और अगर हो सकता है तो क्या मुझे जो पदोन्नति पर वेतन मिला है उसकी रिकवरी होगी ?



उत्तर:- डीपीसी के मामले में एक वर्ष की अवधि के अंदर पुनः लियन नियम के अंतर्गत पूर्व पद पर कार्मिक अपनी इच्छा से जा सकता है।

उक्त अवधि में आहरित वेतन की वसूली नहीं होती है पुनः पुराने पद पर जोड़निंग के बाद पूर्व का वेतन मिलेगा।

इस प्रकार के केस को फिर पदोन्नति से फोरगो माना जाता है।



प्रश्न:- (302) क्या एक कम्प्यूटर सिस्टम पर बिना कोई सेटिंग चेंज किये हुए एक से ज्यादा dsc use कर सकते हैं ?



उत्तर:- जी हाँ एक ही PC पर एक से अधिक DSC डोंगल का उपयोग किया जा सकता है।



प्रश्न:- (303) एक कार्मिक का डिजिटल साइन करने से पहले ही डेटा वेरीफाई करते समय गलती से फॉरवर्ड कर दिया गया। अब उस कार्मिक का डिजिटल साइन द्वारा डेटा वेरीफाई कैसे करें जबकि उस लिस्ट में कार्मिक का नाम शो नहीं हो रहा है कृपया समाधान बताएं ?



उत्तर:- Hod को मेल भेज कर रिकवेस्ट को रिजेक्ट करावे।

caosecedu@gmail.com



प्रश्न:- (304) एक कार्मिक 2nd ग्रेड प्रोबेशन में है पर वह वेतन पूर्व पद कांस्टेबल (लेवल 8) का आहरित कर रहा है। अब कार्मिक का मार्च 20 का वेतन प्रोसेस करते हैं तो 22 दिन का वेतन व 2 दिवस की covid 19 की कटौती हो रही पर इस बिल पर ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगाती है कि बिल वर्तमान पद के अनुसार यानि कि 15 दिन का वेतन व 3 दिन की covid19 की कटौती होनी चाहिए। अब समस्या यह है कि उक्त कार्मिक का वेतन वर्तमान पद के अनुसार कैसे बनाया जाये ?



उत्तर:- जैसा आप कह रहे हैं वैसे नहीं बनेगा। मार्च के वेतन के लिए सर्विस कैटेगरी एवं पे लेवल के हिसाब से by default सिस्टम को अपडेट किया हुआ है।



प्रश्न:- (305) एक कार्मिक का प्रोबेशन पूरा हो चुका है। स्थायीकरण आर्डर भी प्राप्त हो चुके हैं। Paymanager पर फुल सैलरी बनाने के लिए मास्टर में डेटा अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कैसे परिवर्तित करें ?



उत्तर:- इस हेतु DDO लॉगिन से डेटा में निम्न सुधार हेतु रिक्वेस्ट जरनेट करे।

7pay,

pay लेवल,

प्रोबेशन से रेगुलर,

बेसिक पे,

HRA eligible आदि।

व्यक्तिगत ID से प्राण नम्बर की रिक्वेस्ट जरनेट करे।



प्रश्न:- (306) April 2020 की सेलेरी अब बना रहे हैं तो GPA proposal /GIS का प्रस्ताव पत्र sso से अभी कार्मिक सबमिट कर सकता है क्या या चालान से जमा करना होगा।



उत्तर:- Sso id से Gpa प्रस्ताव सम्मिट करे एवं sso id से 220 रु का चालान भी बनावे व उसे भरे।

बिल के साथ GPA प्रस्ताव और भरे हुए चालान की कॉपी अपलोड करे।



प्रश्न:- (307) एक कार्मिक की फरवरी 2020 मे SI की कटौती होने से रह गई क्या अब SI ARREAR (293) के द्वारा उक्त माह की कटौती की जा सकती है ?



उत्तर:- बकाया SI कटौती को SI Arrear में ऐड कर वर्तमान बिल से कटौती की जा सकती है यह सुविधा ddo स्तर पर उपलब्ध है।



प्रश्न:- (308) अगर कार्मिक प्रसूति अवकाश पर है तो वेतन वृद्धि 1 जुलाई को लगेगी या कार्य ग्रहण दिनांक को लगेगी ?



उत्तर:- 7 पे की अधिसूचना 30/10/17 के अनुसार एक जुलाई को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने पर कार्मिक को वेतनवृद्धि एक जुलाई को ही स्वीकृत होगी लेकिन उसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।



प्रश्न:- (309) सैलरी इनर सीट पर पद शो नहीं हो रहा है लेकिन पुराने बिल देखे तो उनमें भी नहीं हो रहा है। समाधान बताएं।



उत्तर:-यह तकनीकी समस्या है इसका शीघ्र समाधान होगा।



प्रश्न:- (310) यदि कोई कार्मिक 30 जून को सेवानिवृत्त होता है तो क्या उसे जुलाई माह में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा ? यदि हाँ तो सम्बन्धित आदेश उपलब्ध कराने का श्रम करें ?



उत्तर:-30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को Next जुलाई के इंक्रीमेंट देने के राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं है अतः इंक्रीमेंट देय नहीं होगा।



प्रश्न:- (311) क्या राज्य कर्मचारी की कॉरॉइटीन अवधि में कोई विशेष अवकाश की स्वीकृत है ?




उत्तर:-वित्त विभाग के आदेश 12/05/2020 के अनुसार कोई कार्मिक कोरोना संक्रमित है तो CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष कोरन्टीन अवकाश देय होगा।



प्रश्न:- (312) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो माह जुलाई 2020 में रिटायर हो रहा है तो उसे वित्त वर्ष 20-21 की वर्दी की राशि देय है या नहीं तथा धुलाई भत्ता 150 किस महीने तक देना है ?



उत्तर:-इस वर्ष 20-21 की सेवा 6 माह या उससे अधिक नहीं होने से वर्दी की राशि नहीं मिलेगी। धुलाई भत्ता सेवानिवृत्ति की तिथि जुलाई 20 तक मिलेगा।



प्रश्न:- (313) कार्मिकों के मास्टर डाटा DSC से वेरीफाई कर दिए हैं पर कुछ बजट हेड बदल गए हैं उसे paymanger पर कैसे अपडेट करें ?



उत्तर:- (1) ग्रुप मास्टर में जा कर जो ग्रुप बदले हैं उनके हेड अनुसार नये ग्रुप बनावे फिर उस ग्रुप में सम्बन्धित कार्मिकों के Group Allocation में जा कर ग्रुप ट्रांसफर कर नये ग्रुप में ले जावे।

(2) बदला हुआ ग्रुप पहले से बना हुआ है तो ग्रुप एलोकेशन में जा कर कार्मिकों के ग्रुप ट्रांसफर करें।



प्रश्न:- (314) EMPLOYEES MASTER DATA में NPS EMPLOYEES के लिए CPF NO का कालम है अतः

इसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रोसेस समझाए ?



उत्तर:- 2008 के बाद किसी भी कार्मिक को cpenf नम्बर जारी नहीं हुए हैं उसके बाद केवल pran नम्बर का ही उपयोग किया जा रहा है और प्राण नम्बर से ही nps की कटौती होती है अतः आप cpenf नम्बर खाली छोड़ सकते हैं या उसमें शून्य लिख देवे।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:- (315) जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हैं एवं प्राध्यापक के पास डीडीओ पावर हैं इस स्थिति में वेतन बिल में सेवा प्रमाणिकरण आदेश किस प्रकार अपलोड करना हैं ? कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- कोई जरूरत नहीं है फिर भी कोई ट्रेजरी मांग रही है तो उसकी पीडीएफ बना कर other documents में अपलोड कर देवे।

बिल से सम्बंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र बिल के अनुसार इनर शीट पर ऑटो प्रिंट होते हैं।



प्रश्न:- (316) यह बताने का श्रम करें कि किसी मंत्रालयिक कर्मचारी के अवकाश खाते में 1/2020 को 300PL जमा है और अग्रिम जुड़ने का प्रावधान होने से 300+15 हो सकती है। यदि हाँ तो फिर यदि कार्मिक सरेन्डर लेने का आवेदन 15/05/2020 को करता है तो समर्पित अवकाश स्वीकृत करने के बाद शेष कितना रहेगा तथा साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि 01/07/2020 को कार्मिक के खाते में कितनी PL शेष रहेगी ?



उत्तर:- समर्पित अवकाश लेने के बाद शेष 300 दिन रहेंगे।

उसके बाद एक जुलाई 20 को वापस 15 दिन एडवांस जमा करने पर 300+15 हो जायेगी इस मेंसे उक्त 15 दिन की PL का अगले 6 माह में उपयोग करना होगा अन्यथा वह 15 लेप्स हो जायेगी।



प्रश्न:- (317) यदि कोई कार्मिक निलंबित है तो निलंबन काल का वेतन का निर्धारण कैसे होता है ? निलंबन काल का वेतन का क्या नियम है ? कितना प्रतिशत वेतन बनता है ? Basic, DA, HRA क्या होगा ? कृपया पूरा प्रोसेस बताइए।।



उत्तर:- उत्तर :- 'रा.से.नि. 53(2) के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय अथवा धन्धे में लगा हुआ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियम 53(1) के अनुसार निलम्बन काल में 6 महीने तक बेसिक का 50% और उसके बाद 75% निर्वाह भता मिलता है। इसमें मकान किराया भता जिस मुख्यालय पर लगाया गया है उस स्थान पर देय दर अनुसार मिलता है।



प्रश्न:- (318) वेतन बिलों का इंड्राज राजकीय रोकड़ पंजिका में करना अनिवार्य है जबकि बजट IFMS पर जारी होता है कार्यालय रोकड़ से कोई लेना देना नहीं है। वेतन विपत्र कार्यालय में सुरक्षित संधारित किए जा रहे हैं।

पे पोस्टिंग इंड्राज किया जा रहा है

बिल इनकेसमेंट, बिल रजिस्टर एवं बजट कंट्रोल रजिस्टर संधारित कर रखे हैं।

कार्यालय संबंधित अन्य राजकीय रोकड़ का लेखा जोखा नियमानुसार संधारित किया जाता है।

कृपया नियमों के तहत मार्गदर्शन देवे।

क्या राजकीय रोकड़ में वेतन बिलों का आय व्यय लेखा जोखा का अंकन किया जावे।



उत्तर:-GF&AR के अनुसार समस्त राजकीय लेन देन को Govt केशबुक में इद्राज करना जरूरी है जिसकी समय समय पर ऑडिट भी होती है।

ऑन लाइन भुगतान की शुरुवात होने के बाद केशबुक नहीं भरनी है ऐसा कोई आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं हुआ है।



प्रश्न:- (319) कोषालय प्रेषित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विपत्रों में कौन कौन से दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है, इनकी चेक लिस्ट की सूची उपलब्ध करवाने का श्रम करावे?



उत्तर:-PM पर uploads documents टेब में बिल का प्रकार सलेक्ट करते है तब उस बिल से सम्बंधित कौन से documents अपलोड करने है वे ऑटो शो होते है।



प्रश्न:- (320) एक हेड में सेंटर में राशि कम थी फिर भी बिल ट्रेजरी फारवर्ड हो गया लेकिन अब ऑब्जेक्शन लगा है बजट insufficient का क्या अब उस राशि को स्टेट वाली राशि में जोड़ कर भेज सकते हैं क्या। बिल रिवर्ट कराना होगा क्या।

या बजट डिमांड ही समाधान है ?



उत्तर:- उपलब्ध बजट के अनुसार पुनः SF एंड CA में राशि सब्मिट कर बिल पुनः फोरवर्ड कर देवे अगर CA/SF में के बजट पर्याप्त नहीं हो तो आवश्यक डिमांड करे।



प्रश्न:- (321) कार्मिक 25/6/2019 से अवैतनिक अवकाश पर है तथा 31/8/2019 को घर से ही मातृत्व अवकाश का आवेदन कर दिया और 27/02/2020 को मातृत्व अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण किया। अवैतनिक अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकृत होगा तथा वार्षिक वेतन वृद्धि कब से लगेगी ?



उत्तर:- मातृत्व अवकाश के साथ CL के अलावा कोई भी अन्य अवकाश ले सकती है। 6 महीने से अधिक अवैतनिक अवकाश देय नहीं है इसलिए इंक्रीमेंट समय पर ही एक जुलाई 20 से लगेगा।



प्रश्न:- (322) अगर कोई कर्मचारी दो महीने अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो उसको वेतन वृद्धि कब और कैसे मिलेगी कृपया बताने का कष्ट करें ?



उत्तर:- 7 पे की अधिसूचना 30/10/17 के अनुसार 6 महीने की नियमित सेवा होने पर उस वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि लगती है।

अतः इस केस में 60 दिन का ही अवैतनिक अवकाश है अतः इनको नियमित वेतनवृद्धि देय होगी।



प्रश्न:- (323) मैंने जनवरी-फरवरी 2020 का एक DA एरियर बिल बनाया था जबकि जमा केवल एक ही महीने का हुआ है। कैसे ?



उत्तर:- ऐसे नहीं होता है। आप यह बात Sms के आधार पर कह रहे हैं। कई बार sms सर्वर प्रॉब्लम से नहीं आता है। आप पहले अपना बैंक A/C चेक करें।



प्रश्न:- (324) बिल को बार बार डिलीट करने पर भी नहीं हो रहा है जबकि बिल deleted successfully आ रहा है। अब क्या किया जाए ?



उत्तर:- नये अपडेट के अनुसार बिल पूरा डिलीट नहीं होगा केवल बिल का प्रॉसेस डिलीट होगा ।

बिल नम्बर वही रहेगा उसी को दोबारा प्रोसेस करे।



प्रश्न:- (325) माह मार्च में वेतन से हुई कोरोना कटौती की आयकर में छूट किस धारा के तहत मिलेगी और कितनी मिलेगी ?



उत्तर:- इस सम्बन्धित आयकर विभाग द्वारा अभी कोई आदेश जारी नहीं किये है। आदेश होने तक इंतजार करें ।



प्रश्न:- (326) हाल ही में ग्रामीण सेवा से राजकीय सेवा में एनपीएस के कर्मचारी को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेगी और सेवानिवृत्ति से पहले सेवानिवृत्ति आदेश के अलावा डीडीओ को क्या करना है। विद्वान साथी बताएं धन्यवाद ?



उत्तर:- 1-Sipf की साइट से Nps का क्लेम फॉर्म डाउन लोड कर उसे भरे।

2-Sso id से SI क्लेम फॉर्म ऑन लाइन सब्मिट करे

3:;ग्रेच्युटी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भर कर पेंशन विभाग को भेजे ।

4:-बकाया PL के भुगतान हेतु पेंशन विभाग से बजट की डिमांड करे एवं भुगतान की कार्यवाही करें।



प्रश्न:- (327) एक व्यक्ति जिसका LDC भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। क्या वह ज्वाइनिंग के बाद नियमित चल रही डिग्री कोर्स को पूरा करने हेतु अवकाश ले सकता है ?



उत्तर:- वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08/08/2019 के अनुसार प्रोबेशनकाल में अध्ययन हेतु अवैतनिक अवकाश भी देय नहीं है।



प्रश्न:- (328) एक निलम्बित कर्मचारी निर्धारित मुख्यालय से 520 दिन अनुपस्थित रह कर कार्य ग्रहण हेतु उपस्थित होकर कार्यग्रहण करना चाहते हैं और निर्वाह भत्ता की मांग कर रहे हैं।

क्या उन्हें कार्यग्रहण करवाया जा सकता है और निर्वाह भत्ता भुगतान किया जा सकता है ?



उत्तर:- वह कार्यग्रहण कर सकता है।

रा.से.नि. 53(2) के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय अथवा धन्धे में लगा हुआ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियम 53(1) के अनुसार निलम्बन काल में उपस्थिति अवधि का निर्वाह भत्ता देय होगा।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

नोट:- यदि 520 दिन की अनुपस्थिति स्वैच्छिक है तो इस सम्बन्ध में निलम्बित कर्मचारी को उपस्थिति हेतु किए गए पत्राचार की प्रतियां संलग्न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र के साथ प्रकरण कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी को उचित माध्यम से भेजें। इस अनुपस्थिति का निपटारा जांच के बाद होगा।



प्रश्न:- (329) एक कार्मिक 1 मार्च से 20 मार्च तक अवैतनिक अवकाश पर रहा। 21 मार्च से 31 मार्च तक 11 दिन के वेतन में से 3 दिन के मूल वेतन की कोरोना की कटौती करनी है। 16 दिन का वेतन deferred कैसे करेंगे ? मार्गदर्शन कीजिये।



उत्तर:-सुझाव यह है कि अभी यह बिल नही बनावे बाद में स्थगित वेतन भुगतान के जब आदेश हो उस समय 11 दिन का वेतन बना देना एवं उस में से कोरोना की कटौती भी कर देना।



प्रश्न:- (330) जुलाई को प्रसूति अवकाश पर चले रहे कार्मिक की वेतन-वृद्धि कैसे प्रभावित होगी ?



उत्तर:- एक जुलाई को आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश पर रहने पर इंक्रीमेंट एक जुलाई को ही स्वीकृत होगा परन्तु इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः जॉइन करने की तिथि से देय होगा।



प्रश्न:- (331) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक डीपीसी के लिए क्या योग्यता आवश्यक है ? क्या इसके लिए कम्प्यूटर कोर्स की अनिवार्यता है ?



उत्तर:- 12 वीं (सीनियर) पास एवं RSCIT कोर्स किया हुआ होना चाहिए तथा न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा का अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है।



प्रश्न:- (332) मेरी पत्नि पुलिस सेवा में होकर जून माह से ही CCL पर है। अब नसबन्दी और DLC का ओपरेशन हुआ है। क्या उन्हें PL मिल सकती हैं ?

2. मैं अध्यापक लेवल-2 पर परीक्षा काल में हूँ। क्या मुझे तीमारदारी के लिए अवकाश मिल सकता है ?

कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:- (1) स्वयं की नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर पुरुष कार्मिक को 6 दिन एवं महिला कार्मिक के 14 दिन का विशिष्ट आ0 अवकाश मिलता है इस सम्बन्धित PL मिलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2)-पुरुष कार्मिक जिसकी पत्नी नसबंदी करवाती है तो उसकी पत्नी की देखभाल हेतु उसे 7 दिन का विशिष्ट आ0 अवकाश मिलता है।



प्रश्न:- (333) एक कार्मिक जो की पूर्व में PD मद में था उसका व्रुटीवश बोनस आहरित नहीं हो पाया था। वर्तमान में कार्मिक का हैड परिवर्तन हो जाने पर पे मैनेजर पर है। क्या उसका बोनस अब आहरित कर सकते हैं ?



उत्तर:- Noc के आधार पर विलम्ब का कारण बिल पर अंकित कर वर्तमान Ddo बकाया बोनस का बिल बना सकते हैं।



प्रश्न :- (334) मेरी जोड़निंग 29 अप्रैल 2011 को ग्रामसेवक पद पर हुई तथा 30 जून 2015 को वरिष्ठ अध्यापक के पद सीधी भर्ती पर जोड़निंग की थी।

29 अप्रैल 2020 को 9 वर्ष पूरे हो गए है तो क्या मुझे ACP मिलेगी या नहीं। प्लीज जानकारी दिलवाये।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:- 2nd ग्रेड में सीधी भर्ती की जोड़निंग डेट 30/06/2015 से 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी दिनांक 30/06/2024 को मिलेगी।



प्रश्न:- (335) कोई कार्मिक राजकीय सेवा में आने के 3 या 4 साल बाद अगर हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसे हैंडीकैप्ड कैटेगरी में किस प्रकार ऐड किया जाएगा? इसकी क्या प्रोसेस है? कोनसे दस्तावेज की आवश्यकता होगी ? सेवाभिलेख के संधर्भ में भी ? और हैंडीकैप्ड की किन-किन श्रेणियों में किस प्रकार ऐड होगा ? इससे उसकी सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?



उत्तर:-मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवावे उसमे वर्णित दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से अधिक होने पर उसके आधार पर सुविधाए मिलती है।

फिर प्रमाण पत्र के आधार पर जो सुविधा लेनी हो वहाँ प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करे।



प्रश्न:- (336) नव नियुक्त कार्मिक के प्रथम वेतन बिल में कौन से दस्तावेज लगाए जाने आवश्यक है ? साथ ही यह बतावे कि इन दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करनी है या फोटो कॉपी ?



उत्तर:-नये कार्मिक का पहला बिल बनाते समय निम्न डाक्यूमेंट्स बिल के साथ अपलोड करे।

- 1:-नियुक्ति आदेश
- 2:-जोड़निग रिपोर्ट
- 3:-मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र
- 4:-पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र
- 5:-GPA प्रस्ताव एवं 220 रु के चालान की प्रति



नोट:-वर्णित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हार्ड कापी के साथ संलग्न करनी है मूल स्केन कर बिल के साथ पीडीएफ में अपलोड करनी है।



प्रश्न:- (337) मैंने मेरे पिताजी के हार्ट का ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल उदयपुर में करवाया जिसमें 115000 का खर्च हुआ और जब मैंने मेडिकलेम में अप्लाई किया तो उन्होंने सिर्फ 67000 ही पास किये। क्या कारण रहा कि कम राशि ही पारित की गई। कृपया मार्गदर्शन करावें ?



उत्तर:-नियमानुसार जो देय होता है उसका ही भुगतान होता है।



प्रश्न:- (338) एक कर्मचारी की pay manager पर जन्म दिनांक व सेवानिवृत्ति दिनांक गलत दर्ज हैं। उसे सही कैसे करें ?



उत्तर:-पहले ddo लॉगिन से sipf पर जन्मतिथि सही करे फिर पेमेनेजर पर पर्सनल ID से रिक्वेस्ट जरनेट करे sipf से डेटा फेच होगा उस को केवल verified करना है। इस हेतु कोई प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है।

फिर रिक्वेस्ट ddo के पास जाएगी जो उसे Hod को फोरवर्ड करेंगे Hod से approved होने के बाद ही सुधार होगा।



प्रश्न:- (339) मैंने अपनी पर्सनल id से पे मैनेजर पर नाम में संसोधन करके (जो कि sipf से फेच हुआ था) Ddo को रिक्वेस्ट भेज दी।

अब ddo महोदय उसको रिटर्न कर रहे हैं कि 10th मार्क शीट अपलोड करो।

10th मार्कशीट कहाँ अपलोड की जानी है इस बाबत कृपया मार्गदर्शन दें ?



उत्तर:-PM पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में सुधार हेतु पहले Ddo लॉगिन से sipf पर आवश्यक सुधार करे।

फिर व्यक्तिगत PM Id से रिक्वेस्ट जरनेट करे वहा डेटा sipf से फेच हो कर शो होगा उसे केवल verified करे। यहा प्रमाण हेतु अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है।

वह रिक्वेस्ट ddo के पास जायेंगी एवं ddo उसे Hod को फोरवर्ड करेंगे फिर Hod से रिक्वेस्ट approved होने पर सुधार होगा।



प्रश्न:- (340) अगर किसी कर्मचारी की एसीपी लगने की दिनांक व वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक एक ही हो तो पहले एसीपी लगेगी या वार्षिक वेतन वृद्धि ?



उत्तर:- पहले नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी उसके बाद स्वीकृत एसीपी में वेतन का फिटिंग होगा।



प्रश्न:- (341) मैंने September 19 और October 19 के सैंलेरी बिल 22 मार्च 2020 को बनाये लेकिन लाकडाउन के कारण ट्रेजरी में बिल नहीं लिए और कहा कि बिल की हार्ड कॉपी आनलाईन ही भेजो लेकिन हम हार्ड कॉपी ऑनलाईन नहीं भेज पाये और मार्च में बजट लैप्स हो गया। हमने उन बिलों को उस समय डिलीट नहीं किया और अब बजट आने पर बिल बनाते हैं तो आलरेडी प्रोसेज लिखा हुआ आता है। अब बिल भी डिलीट भी नहीं हो रहे हैं। बिल में केवल बिल नंबर ही दिखा रहा है और कुछ भी डाटा नहीं दिखा रहा है। कृपया समस्या का समाधान बताने का कष्ट करें?



शैक्षिक समाचार राजस्थान

उत्तर:- इसके लिए जिला ट्रेजरी को बिल डिलीट कराने हेतु प्रार्थना पत्र मय बिल की हार्डकॉपी भेजे। आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार जिला ट्रेजरी कार्यवाही हेतु paymanager admin team NIC JAIPUR को आपके बिल को डिलीट करने का प्रस्ताव भेजेगी।

वहाँ से बिल डिलीट होने के बाद दोबारा बिल बन पायेगा।



प्रश्न:- (342) कर्मचारी के हस्ताक्षर बदलने की क्या प्रक्रिया है ? कृपया सटीक व सही सुझाव दे ?



उत्तर:-1:-अपने Ddo को लिखित में हस्ताक्षर बदलने हेतु आवेदन करें।

2:-Ddo अनुमति देंगे एवं सेवापुस्तिका में नये हस्ताक्षर करवा कर उसे मय दिनांक प्रमाणित कर देंगे।

3:-सेवापुस्तिका में हस्ताक्षर प्रमाणित हेतु अलग से स्थान निर्धारित है।

4:-राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर हिंदी में करना अनिवार्य है।



प्रश्न:- (343) फरवरी 2020 में probation पूर्ण हुए कर्मचारियों का salary arrear किसी ने बनाया है तो मार्च महीने का कितने दिन का वेतन बनाया जाना है साथ ही बढ़े हुए वेतन से कोरोना deduction किस प्रकार करना है ?



उत्तर:-डिफरेंस शीट बना कर सेलेरी एरियर में बिल बनावे जिसमें नियमानुसार मार्च से SI की कटौती करे एवम कोरोना फण्ड की अंतर राशि आदि की कटौतियां की जावे।



प्रश्न:- (344) मेरी नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति 2012 में हुई। 2018 में dpc द्वारा मेरा प्रमोशन हो गया मुझे 9 वर्ष ACP कब देय होगी?



उत्तर:-9 वर्ष से पहले पदोन्नति हो गई अब 18 वर्ष पर दूसरी एसीपी 2030 में मिलेगी।



प्रश्न:- (345) क्या मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा केशबुक, सर्विस बुक व अन्य आदेशों में DDO की सील के नीचे इनिशियल करना अनिवार्य है ? इस प्रकार का कोई आदेश या नियम हो तो बता दें आपकी अति कृपा होगी ?



उत्तर:-कार्यालय का कार्य नोटशीट संधारण करते हुए किया जाता है तो कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि नोटशीट में की गई टिप्पणी से मालूम पड़ जाता है कि पत्र/प्रकरण के अंतिम निस्तारण में किस कर्मचारी/अधिकारी की क्या भूमिका रही है।

नोटशीट के अभाव में कार्यालय प्रति पर मुहर के नीचे किए सूक्ष्म हस्ताक्षर से पता चलता है कि उक्त आदेश के प्रति जिम्मेदार कौन है ? इसलिए मंत्रालयिक कर्मचारी के सील के नीचे लघु हस्ताक्षर अधिकारी द्वारा करवाये जाते हैं जो आवश्यक भी हैं।



प्रश्न:- (346) एक कर्मिक जो कि पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत था अब उसका चयन शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर होने के कारण वह पूर्व पद से *त्यागपत्र* दे देता है तो अब उसकी सैलेरी के लिये पूर्व emp. id ही काम में आएगी या नई id बनवानी होगी?



उत्तर:- पूर्व पद कि ही employe आईडी, पे मैनेजर आई डी, एसआई नम्बर, व प्रॉन नंबर वही काम आएंगे।



प्रश्न:- (347) कोई कर्मिक शैक्षिक सत्र 2019-20 के अंतिम कार्य दिवस 16 मई तक विद्यालय में उपस्थित था परंतु किसी कारणवश आगामी शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए वह 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका चुंकी कर्मिक का परिवीक्षा काल चल रहा है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि अगर कर्मिक 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करवाता है तो क्या उसका प्रोबेशन आगे बढ़ेगा अथवा नहीं?

यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद?



उत्तर:- (1) कर्मिक प्रोबेशन से पहले नोकरी में था एवं कोई अर्जित PL/HPL पूर्व पद की जमा है तो वह उस मेसे उक्त अवधि का अवकाश ले सकता है।

(2) फ्रेस प्रोबेशन में है तो कोई मेडीकल अवकाश नहीं मिलता है परन्तु मेडिकल के आधार पर उक्त अवधि का अवैतनिक अवकाश लेना होगा।

प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।



प्रश्न:- (348) सैलरी बिल डिजिटल साइन करते समय NPS के शेड्यूल में SGV नंबर कैसे एड करेंगे?



उत्तर:- अब Nps की कटौती प्राण नम्बर के आधार पर होती है।

SGV न Ddo का रजिस्ट्रेशन नम्बर होता है।

Pay manager पर SGV न कही फीड करने का ऑप्शन ही नहीं है।



प्रश्न:- (349) समर्पित अवकाश का नकद भुगतान का इंद्राज केवल LEAVE ACCOUNT में ही किया जाता है या सेवा सत्यापन वाले पृष्ठ पर भी इंद्राज करना होता है? या दोनों पृष्ठों पर?



उत्तर:- लीव A/C में समर्पित अवकाश के 15 दिन डेबिट कर लेखा किया जाता है।


तथा सेवापुस्तिका के सत्यापन वाले पेज पर भी नियमानुसार वर्ष, वेतन की दर सहित विवरण की एंट्री की जाती है।



प्रश्न:- (350) क्या कार्मिक की वार्षिक वेतन वृद्धि सीधे एम्प्लॉय डिटेल्स बेसिक पे से अपडेट कर सकते हैं क्या?



उत्तर:- Employee pay डिटेल्स में basic pay के पास एडिट के बटन से बेसिक पे बदल सकते हैं।



प्रश्न:- (351) किसी कार्मिक का मेडिकल कार्ड 2014 से बना हुआ है जिसमें उसकी एक सन्तान का नाम जुड़ा है अब वह दूसरी सन्तान को उसमें कैसे एड करवाये? इसकी क्या प्रोसेस है? क्या पहले से बने हुए कार्ड में ही एड होगा? सम्पूर्ण प्रक्रिया बताएं।



उत्तर:- एक नया कार्ड Gpf आफिस से प्राप्त कर उस पर परिवार के सभी सदस्यों के अद्यतन फोटो लगा कर DDO से हस्ताक्षर करावे एवं उसे GPF आफिस भेज कर प्रमाणित करावे।



प्रश्न:- (352) एक कार्मिक के 2nd acp arrear जो 14 वर्ष पुराना है। भुलवश रह गया था। वर्तमान में कार्मिक 31/07/2020 को सेवानिवृत्त होने वाला है। क्या उसका acp arrear उठा सकते हैं। यह arrear beeo office का बकाया है। कृपया दस्तावेजों सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे।



उत्तर:- बिल का भुगतान बकाया होने की NOC के आधार पर विलम्ब का उचित कारण बता कर बिल बनाया जा सकता है।

विपत्र अवधिपार हो गया है अतः ट्रेजरी भेजने से पूर्व प्री चेक करवाने की प्रक्रिया भी पूरी की जावे।



प्रश्न:- (353) Pay manager पर डुप्लिकेट आईडी का समाधान कहाँ से होगा ? एम्प्लोयी लॉगिन नहीं हो पा रहा है और ईमेल करने पर जवाब आया कि आपकी डुप्लिकेट आईडी के कारण आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं।



उत्तर:- डुप्लिकेट आई डी जिला ट्रेजरी से मर्ज/डिलीट करवावे इस हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित ट्रेजरी में आवेदन करें।



प्रश्न:- (354) एक कार्मिक जो प्राध्यापक है उसका RPSC से प्रधानाध्यापक पद पर चयन होता है तो उसको विद्यमान वेतन के आधार पर इंक्रीमेंट देय है या नहीं ?



उत्तर:-प्रोबेशन में पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित किया जा रहा है तो 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17 के अनुसार एक जुलाई को नियमित वेतनवृद्धि देय होती है।



प्रश्न:-(355) मेरी अनुकम्पा नियुक्ति दिनांक 12.12.2017 को कनिष्ठ पद पर हुई है लेकिन मेरी शैक्षणिक योग्यता 12वीं विज्ञान संकाय से है तथा तकनीकी योग्यता बी टेक है श्रीमान जी अब मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति चाहता हूँ तो कृपया उचित मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-अनुकम्पात्मक नियुक्ति एक बार मिलती है और नियुक्ति पर जॉइन करने के बाद उसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

योग्यता अनुसार अन्य पद पर नियुक्ति के लिए तत्संबंधी नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आप प्रयास कर सकते हैं।



प्रश्न:- निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-

(1) 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होता है।

(2) 30 नवम्बर 2019 को सेवानिवृत्त होता है।

(3) 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होता है।



उत्तर-तीनों सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/20 को सेवा में नहीं होने से इस वर्ष बोनस नहीं मिलेगा।

बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2020 को सेवारत होना अनिवार्य है।

🌟पेमेनेजर इन्फो चैनल🌟

प्रश्न:- (356) मेरे नोशनल बेनिफिट के ऑर्डर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हुए थे और उस ऑर्डर में लिखा था कि संबंधित पीई ई ओ सर्विस बुक में इसकी एंट्री लाल स्याही से करे लेकिन हमारे बाबू जी ने उसको नीली स्याही से लिख दिया। आप मुझे सुझाव दीजिए कि आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी।



उत्तर:- अनुशासनात्मक कोई कार्यवाही होती है तो उसकी एंट्री सर्विस बुक में लाल स्याही में करना अनिवार्य है। नोशनल की एंट्री नीली स्याही से कर दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।



प्रश्न:- (357) किसी कार्मिक के मास्टर डेटा में वेतनमान, मूल वेतन एवं पे लेवल को कैसे सुधार करें ?



उत्तर:- कर्मचारी के बेसिक पे, पे लेवल एवं वेतनमान में कोई अपडेट करना है तो Ddo लॉगिन से Authorization में data updation से रिक्वेस्ट जरनेट करनी होगी जो HOD को फोरवर्ड होगी एवं HOD से approved होने पर सुधार होगा।



प्रश्न:- (358) मैं मेरे आफिस के सहायक कर्मचारी का फरवरी 2020 के वेतन बना रहा हूँ। मेरी समस्या यह है कि फरवरी माह में राज्य बीमा की कटौती एडिट नहीं हो रही है। वर्तमान में SI 2200 है जिसे 1800 करने है। कटौती edit कैसे होगी ?



उत्तर:- SI कटौती में edit नहीं हो रहा है तो अब SI कटौती में सुधार ट्रेजरी से ही हो सकेगा।



प्रश्न:- (359) मैंने बैंक ब्रांच चेंज की सूचना 24 जून को प्रार्थना पत्र तथा बैंक कॉपी की प्रति के साथ सीबीईओ ऑफिस व ट्रेजरी को दी गई लेकिन अभी तक पेमेंनेजर पर वही ब्रांच शो क्यों हो रही है ?



उत्तर:- पर्सनल PM आई डी से बैंक ब्रांच बदलने की रिक्वेस्ट जरनेट करे इसके लिए बैंक पास बुक की कॉपी पीडीएफ में अपलोड करे वह रिक्वेस्ट DDO को फोरवर्ड करे DDO फिर उसे ट्रेजरी को फोरवर्ड करेंगे फिर ट्रेजरी से यह सुधार होगा।

इस हेतु हार्ड कॉपी मय आवेदन पत्र भी ट्रेजरी भेजे।



प्रश्न:- (360) मेरी सर्विस बुक में जन्म दिनांक गलत लिखी है वो कैसे ठीक करवा सकते हैं ? क्या पेरो महोदय कर सकते हैं और पदस्थापन आदेश में भी गलत है?



उत्तर:- (1) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-F1(2)FD/Rules/04/(RSR)Dt 30/04/2007 के अनुसार 01/01/1979 के पश्चात सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि परिवर्तन वित्त विभाग की पूर्वनुमति से ही होगा।

(2) नियुक्ति आदेश में जन्मतिथि में सुधार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारी से सुधार करवाया जा सकता है।



प्रश्न:- (361) मेरा प्रशासनिक कारण से बांसवाड़ा ट्रांसफर हुआ तथा 1-10-19 को रिलीव किया गया लेकिन मैंने ज्यूटी join नहीं किया। 8 तारीख को संशोधन ऑर्डर आया जिसके बाद मेरी शाला दर्पण से संशोधित रिलीविंग नई जगह के लिए की गई और मैंने 9 को संशोधित स्थान पर join कर लिया।

क्या मुझे पूरे 10 दिन का pl स्वत्व मिलेगा ? संशोधन ऑर्डर में भी कार्याग्रहण काल दिये जाने का उल्लेख है।



उत्तर:-किसी कार्मिक का प्रशासनिक कारण से ट्रांसफर होता है और उसे रिलीव कर दिया जाता है परन्तु जॉइन करने से पूर्व यदि उसका ट्रांसफर आदेश संशोधित कर नवीन स्थान पर लगा दिया जाता है एवं वह नये स्थान पर जॉइन कर देता है व संशोधित आदेश में भी यात्रा भता देने के निर्देश है तो ऐसी स्थिति में कार्यग्रहण काल की गणना स्थानांतरण की अवधि में नया आदेश प्राप्त होने के दूसरे दिन से नये सिरे से उस स्थान से की जाएगी जहाँ नये संशोधित आदेश मिले है।

नये सिरे से प्रारम्भ कार्य-ग्रहण-काल से पूर्व उपभोग किया गया समय पूर्व आदेश के क्रम में कार्य ग्रहण काल उपभोग किया माना जाएगा। इसमें 10 दिन के योगकाल में से जितने दिन का उपभोग नहीं किया है उसके बदले नियमानुसार PL जमा होगी।



प्रश्न:- (362) किसी कर्मचारी के 27 वर्षीय acp की स्वीकृति 12.11.2018 आई है अब उस कर्मचारी को एरियर का भुगतान करना है तो 12.11.2018 से 31.10.2019 के एरियर की राशि से GPF कटौती करे या नहीं यदि हाँ तो कितना % जानकारी देवे ?



उत्तर:-नियमानुसार DA 17%की दर से एसीपी का एरियर बनावे और जो वेतन का अंतर आता है उसके 5% DA की राशि GPF में जमा होगी।

नोट:-राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी डीए आदेशनुसार जितने माह की राशि जीपीएफ में जमा होनी है, उतनी राशि जीपीएफ में जमा की जावे, अथवा मूल वेतन चेंज के कारण यदि जीपीएफ स्लैब चेंज होती है तो भी अन्तर राशि काटी जावे।



प्रश्न:- (363) क्या PL, ML शेष रहते हुए असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) लिया जा सकता है ?



उत्तर:- कदापि नहीं। जब तक कोई अर्जित अवकाश PL/HPL जमा है कार्मिक के अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जयेगा।



प्रश्न:- (364) कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति के लिए टंकण परीक्षा से संबंधित क्या नियम है ?



उत्तर:- कनिष्ठ सहायक पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति के आरक्षित पद पर नियुक्त कनिष्ठ सहायक को छोड़ कर अन्य सभी कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति की पात्रता के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।



प्रश्न:- (365) मेरे विद्यालय में एक कार्मिक के डाटा संशोधन कराने हेतु HOD को भेजा था। डाटा संशोधन तो हो गया परन्तु उसकी NPS की कटौती बन्द हो गई।

माह मार्च 2020 से माह मई 2020 के वेतन से एवं डी ए एरियर से NPS की कटौती हो नहीं पायी। माह जून से कटौती हो रही है। अब बकाया कटौती कैसे जमा कराये। कृपया समाधान बताये।



उत्तर:- कार्मिक की SSO ID से चालान बना कर जमा करा देवे।



नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नई नियुक्ति पर जॉइन कराने बाबत आवश्यक जानकारी

(1) सर्व प्रथम उनके समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करे एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित सभी शपथ पत्र की कॉपी निर्देश अनुसार प्राप्त करे।

(2) मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

नोट:- उक्त दोनों प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व के जारी नहीं होने चाहिए।

(3) कार्मिक की पूर्व में सरकारी एम्प्लॉई आई डी बनी हुई है तो शालादर्पण पर ऑन लाइन जोड़निग नई नियुक्ति में जॉइन करावे अन्यथा ऑफ लाइन जॉइन करावे।

(4) फ्रेश कार्मिक की Ddo लॉगिन से sipf पोर्टल पर एम्प्लॉई आई डी जनरेट की रिक्वेस्ट ऑन लाइन सब्मिट करे इस हेतु कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना, सर्विस एवम बैंक डिटेल्स भरे। इस हेतु बैंक A/C नम्बर , PAN नम्बर , आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य है।

रिक्वेस्ट जनरेट होने के 5-7 दिन बाद sipf पर एम्प्लोई आई डी नम्बर आवंटित हो जाते है।

(5) एम्प्लॉई आई डी नम्बर प्राप्त होने पर शालादर्पण पर ऑन लाइन नई नियुक्ति टेब में जोड़निग करावे एवं प्रपत्र 10 को भी भर कर पूर्ण करे।

(6) एम्प्लॉई आई डी आने के बाद कार्मिक से प्राण नम्बर आवंटन हेतु फॉर्म भरवा कर प्राप्त करे जिसे अपने आफिस में रखे और उसके आधार पर नई व्यवस्था अनुसार NsdI की साइट पर Ddo लॉगिन से उनका प्राण हेतु ऑन लाइन आवेदन सब्मिट करे फिर उसकी हार्ड कॉपी मय दस्तावेज GPF आफिस भेज देवे।

(7) उपरोक्त हेतु यूजर आई डी आपके SGV ननम्बर के साथ 00 लगावे एवम पासवर्ड nsdl@123 लगावे।

(8) प्राण नम्बर आने के बाद paymanager पर इनके डेटा फीड करे उसके बाद प्रथम बिल बना पार्येगे।

(9) नये कार्मिक के प्रथम बिल के साथ नियुक्ति आदेश, जोड़निग रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आदि को स्केन कर पीडीएफ बनावे और बिल के साथ अपलोड करे।

👉 पे मैनेजर इन्फो ग्रुप 👉

प्रश्न:-(366) कार्मिक के उपार्जित अवकाश पर होने के कारण उसकी वेतन वृद्धि का नगद लाभ 4 जुलाई से मिला। अब पेमैनेजर पर वेतन अपडेट कैसे करें ?

👉👉👉👉👉👉👉👉

उत्तर:-3 दिन तक पुरानी बेसिक एवं 28 दिन तक नई बेसिक के अनुसार वेतन की गणना कर उसके अनुसार बेसिक पे PM पर अपडेट कर वेतन बनावे।



प्रश्न:- (367) संचयी एवं असंचयी effective increment में क्या अन्तर है इनका promotion और ACP पर क्या प्रभाव पर पड़ता है ?



उत्तर:- (1) असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने पर वेतनवृद्धि नियमित की तरह ही स्वीकृत होती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ उस वर्ष में नहीं मिलता है।

इसमें एक साल का उसका आर्थिक नुकसान होता है।

(2) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने के पर उस वर्ष की वेतनवृद्धि नहीं लगती है जिसका आजीवन आर्थिक नुकसान होता है।

(3) जितने वर्ष के लिए संचयी या असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी जाती है एसीपी एवं पदोन्नति भी due डेट के उतने वर्ष बाद मिलती है।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:- (368) वित्तीय वर्ष 2017-18 में हितकारी निधि की किसी कारणवश काटी नहीं गई लेकिन जब ऑडिट हुई तब बताया गया कि आप इस वित्तीय वर्ष की हितकारी निधि की राशि जमा करवाए तो अब उस राशि को कहाँ और कैसे जमा करवाये।

अगर चालान बनवाना है तो किस बजट हेड में जमा करवाये ?



उत्तर:- निदेशक एवं अध्यक्ष हितकारी निधि बीकानेर के नाम बैंक से DD बना कर बीकानेर भेजे और उसकी एक प्रति ऑडिट की अनुपालना रिपोर्ट के साथ लगावे।



प्रश्न- (369) क्या पूर्व पदस्थापन स्थान व अवधि की PL वर्तमान DDO जोड़ सकता है ? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें।



उत्तर:-सेवापुस्तिका में किये गए सेवा सत्यापन के आधार पर किसी पूर्व अवधि की PL नहीं जोड़ी गई है तो वर्तमान DDO बकाया PL कार्मिक की सेवापुस्तिका में जोड़ सकते हैं।

यदि वर्तमान DDO नहीं जोड़े तो जहां जिस अवधि में कार्मिक कार्यरत थे वहीं से PL जुड़वा दें।



प्रश्न:- (370) पे मैनेजर पर वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि को कैसे अपडेट करें ?



उत्तर:- वेतनवृद्धि तिथि अपडेट हेतु एम्प्लॉई लॉगिन में ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है।

वेतनवृद्धि की तिथि में सुधार हेतु व्यक्तिगत PM ID से रिकवेस्ट ज़रनेट करें इस हेतु वेतनवृद्धि आदेश भी अपलोड करें वह रिकवेस्ट DDO के पास जायेगी फिर DDO उसे HOD को फोरवर्ड करेंगे HOD से approved होने पर सुधार होगा।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रश्न:- (371) मैंने राजकीय नौकरी में लगने से पहले citizen से अपनी sso id बनाई थी लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद गवर्नमेंट वाली sso id नहीं बन रही है ? उसे कैसे क्रिएट करे प्रोसेस बतावे ?



उत्तर:- (1) SSO ID बनाते समय आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर और ईमेल की आवश्यकता होती है जिसका एक ही SSO आई डी बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। इनको आपने अपनी citizen वाली SSO ID रजिस्टर करने में उपयोग किया है इसलिए Govt SSO id नहीं बन पा रही है।

अतः आपको सबसे पहले अपनी citizen वाली SSO ID डिलीट करवानी होगी उसके बाद ही Govt वाली SSO ID रजिस्टर हो पायेगी।

(2) सिटीजन वाली SSO ID डिलीट करवाने के लिए निम्न विवरण के साथ हेल्प डेस्क पर मेल करे।

मेल एड्रेस

helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

नोट- विवरण में सारी सूचनाएं उसी अनुरूप लिखे जो आपने अपनी सिटीजन वाली ID में रजिस्टर की हुई है।

1-नाम

2-सिटीजन वाली SSO ID

3-आधार नम्बर

4-मोबाइल नम्बर

5-ईमेल एड्रेस

5-एम्प्लॉई आई डी



मेल करने के 24 घण्टे बाद आपकी citizen वाली SSO ID डिलीट हो जायेगी। उसे चेक करें फिर Govt वाली नई SSO ID create कर देवे।

24 घण्टे में citizen वाली ID डिलीट नहीं हो तो इस संबंध में आप निम्न नम्बर पर कॉल भी कर सकते हैं।

0141-2925554

0141-2925555



प्रश्न -(372) मैं सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारी हूँ। मेरे कान से सुनने की शक्ति चली गई। डाक्टर ने श्रवण यन्त्र लगाने का सुझाव दिया है। इस श्रवण यन्त्र (Hearing Add) की पुनर्भरण राशि कितनी व कैसे मिलेगी ?



उत्तर:-यदि डॉक्टर पर्ची पर एडवाइस देते हैं तो बाजार से मशीन क्रय कर मेडिकल परिशिष्ट प्रपत्र भर कर उसे Dr से प्रमाणित कर प्रपत्र मय बिल जिला ट्रेजरी में जमा करावे यदि नियमों में मशीन क्रय का प्रावधान होगा तो राशि का पुनर्भरण हो जायेगा।



प्रश्न:-(373) किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति के बाद पेमेंनेजर पर एंप्लोई स्टेटस में NA की जगह रिटायर्ड कर देने से पेमेंनेजर पर ग्रुप में से उसका नाम हट गया है तो क्या इसके बाद मार्च 2020 का स्थगित किया हुआ वेतन, लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट एवं डीए एरियर के बकाया बिल बन जाएंगे या रिटायर्ड की जगह वापस NA कराना पड़ेगा ? रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड की जगह स्टेटस में NA होना संभव है या नहीं ?



उत्तर:-रिटायर्ड करने के बाद उस कार्मिक का नाम एम्प्लोई पे डिटेल्स से हट जाता है।

अब उनका लीव इन्सेशसमेंट का बिल बन जायेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी लेकिन अन्य बिल प्रोसेस नहीं होंगे उस स्थिति में उनके बिलों पर आवश्यक प्रमाण पत्र लगा कर बकाया विभिन्न प्रकार के बिल सेलेरी एरियर में ही बनेंगे।



प्रश्न:-(374) मेरी पेमेंनेजर आईडी एम्प्लोयी लॉगइन से नहीं खुल रही है फॉरगोट पासवर्ड करने पर मोबाइल नंबर इनवैलिड बता रहा है कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें ?



उत्तर:-DDO लॉगिन से पहले अपने मोबाइल नम्बर अपडेट करावे उसके बाद OTP से पासवर्ड रीसेट करें जिसमें अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम चार डिजिट पासवर्ड लगावे लॉगिन हो जायेगा।



प्रश्न:-(375)SI कटौती के लिए जो RR नंबर जारी किया जाता है क्या उसे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है ?



उत्तर:-अब RR नम्बर जारी नहीं होते हैं । ऑन लाइन सब्मिट किये गये प्रथम घोषणा पत्र के आधार पर सीधे ही SI की पॉलिसी ही जारी होती है जिसमे पॉलिसी नम्बर अंकित होता है साथ ही sipf पोर्टल पर भी पॉलिसी नम्बर शो हो जाते हैं।



प्रश्न:- (376) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्मिक की सेवा पुस्तिका की प्रति मांगता है तो इस नियम के तहत संस्थाप्रधान को क्या करना चाहिए कृपया जानकारी देने का कष्ट करे ?



उत्तर:-किसी अन्य (तृतीय पक्षकार) की निजी सूचना उसकी सहमति के बिना नहीं दे सकते हैं अन्यथा यह निजता के हनन का मामला बनता है।



प्रश्न:- (377) PD के एक कर्मचारी के personal paymanager पर password reset करने के लिए mobile number से OTP भेजने के लिए verify करने पर यह आ रहा है, 'mobile number with this employee ID does not exist in paymanager' जबकि employee details में यही mobile number है। कोई समाधान है तो बताएं ?



उत्तर:-एक बार पुनः (DDO) cbeo ऑफिस से Pri PM पर मोबाइल नम्बर अपडेट करावे।



प्रश्न:- (378) किसी कार्मिक की साधारण मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को नौकरी मिलती है।

मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई कार्मिक सुसाइड कर लेता है तो ऐसी स्थिति में नौकरी के क्या प्रावधान हैं ?



उत्तर:-किसी कर्मिक के सुसाइड करने पर भी उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिलती है परन्तु इस हेतु निर्धारित अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण होनी चाहिए।



प्रश्न:-(379) कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पिछले दो वर्ष का वेतन वृद्धि का इंड्राज नहीं हुआ है जबकि paymanager पर वेतन वृद्धि लगी हुई है। कार्मिक अब दूसरे स्कूल में आ गए हैं क्या अब पुरानी एंट्री वर्तमान ऑफिस से की जा सकती है या पुराने ऑफिस से ही होगी ?



उत्तर:-सेवापुस्तिका में वेतनवृद्धि की एंट्री नहीं करके वेतन आहरण करना वितीय अनियमितता है।

वेतनवृद्धि आदेश के अनुसार वर्तमान DDO बकाया वेतनवृद्धि की एंट्री सेवापुस्तिका में कर सकते हैं।

अगर वर्तमान DDO एंट्री नहीं करे तो जहा उस समय कार्यरत थे वहां से एंट्री पूरी करावे।



प्रश्न:-(380) DDO से employee डेटा वेरिफिकेशन के लिये hod को भेजी गई रिक्वेस्ट में pdf गलत uplod हो गई ।

इस संबंध में क्या किया जाए ?

और Hod से वह ना तो Approve हुई हैं ना ही रिजेक्ट । अब hod से संपर्क के लिए email हो तो उपलब्ध करवाने का श्रम करें।



उत्तर:-रिपोर्ट मेनू में Hod रिपोर्ट देखे जहाँ पेंडिंग बता रही है वहाँ से उसे रिजेक्ट करावे फिर दोबारा सही रिक्वेस्ट जनरेट करे।

caosecedu@gmail.com



प्रश्न:-(381) कोई प्रोबेशन कर्मचारी जिसकी शादी होने के कारण 25 जून से 2 जुलाई तक अवकाश पर था उसे किस प्रकार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता जबकि कार्मिक के खाते में CLI भी शेष है कृपा स्पष्ट करवाने की कृपा करें ?



उत्तर:- (1) CL बचत में हो तो CL ले लेवे अन्यथा प्रोबेशन में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर अवैतनिक अवकाश ले सकते है इसमे 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश लेने पर पूरी अवधि के लिए प्रोबेशन भी आगे बढ़ता है।

(2) प्रोबेशन में पूर्व का विद्यमान वेतन आहरित कर रहे है तो पूर्व की अर्जित PL/HPL ले सकते है।



प्रश्न:- (382) GPF व SI खाता व बैग ट्रांसफर की क्या प्रक्रिया है ? आवेदन का कोई फॉर्म या कोई और तरीका हो तो मार्गदर्शन अपेक्षित हैं।



उत्तर:- अपने ट्रांसफर आदेश एवं रिलीविंग रिपोर्ट की कॉपी साथ में लगा कर बैग ट्रांसफर हेतु सम्बन्धित GPF ऑफिस में आवेदन पत्र लिखे।



प्रश्न:- (383) यदि GA55 और NPS की कटौतियों में अंतर आ रहा हो तो GPF ऑफिस में कौन कौन से प्रपत्र भेजने होंगे ?

सभी पिछले सालों के GA 55, NSDL प्रपत्र के साथ साथ क्या अंतर तालिका (EXCEL) भी भेजनी होगी बुद्धिजन बताने की कृपा कीजिये ?



उत्तर:- वैसे ऑन लाइन कटौतियों के समायोजन होने में थोड़ा समय लगता है फिर भी राशि का समायोजन बकाया हो तो उक्त अवधि के GA 55 एवं बिल के शेड्यूल की कॉपी व कटौतियों का विवरण संलग्न कर GPF ऑफिस में आवेदन कर कटौतियों का समायोजन करावे।



प्रश्न:- (384) अगर किसी कार्मिक का प्रोबेशन पूरा होने के बाद या बीच प्रोबेशन में किसी अन्य विभाग में उसी पदनाम और ग्रेड पे पर चयन होता है तो क्या पुराने विभाग में रिजाइन की एप्लिकेशन स्वीकार होगी या नहीं ?



उत्तर:-सम्बन्धित विभाग से NOC मिल जाती है तो कार्यमुक्त हो कर जॉइन कर सकते हैं अन्यथा त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद जॉइन होगी।

वैसे कोई गम्भीर प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही या जांच नहीं चल रही हो तो त्याग पत्र आसानी से स्वीकृत हो जाता है।



प्रश्न:- (385) LDC 2018 भर्ती कार्मिक की नियुक्ति तिथि 31.03.2018 दोपहर पूर्व की है और स्थायीकरण 31.03.2020 से हुआ है।

इनकी SI कटौती मार्च 2020 से करनी होगी या मार्च 2021 से। कृपया विद्वान साथी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।



उत्तर:-मार्च 2020 से होगी, राशि कम होने के कारण चालान से जमा करवाए। स्थाईकरण एरियर के साथ चालान, शेड्यूल SI-B या GA 79 व प्रथम घोषणा लगावे व साथ में उक्त प्रपत्रों की हार्ड कॉपी जीपीएफ ऑफिस भी भेजें।



शैक्षिक समाचार राजस्थान

संशोधित पोस्ट



प्रश्न- Employee Dates की निम्नांकित तिथियों में क्या पूर्ति की जाएगी ?

1 Date of joining प्रथम नियुक्ती तिथि आएगी।

2 Date of joining regular service में क्रम सख्या एक वाली ही दिनांक आएगी।

3 Date of present designation वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, उस पद पर कार्य ग्रहण दिनांक आएगी।

- 4 Date of joining present DDO → वर्तमान ऑफिस/स्कूल में कार्य ग्रहण तिथि आएगी।
- 5 Date of present pay scale → में वर्तमान pay level/grade pay प्राप्त करने का दिनांक आएगी।
- 6 Date of entering in current grade pay → में 5 नंबर वाली ही डेट आएगी।
- 7 Date of seventh pay option date → सातवे वेतन आयोग में विकल्प लेने की दिनांक आएगी।

•संशोधित पोस्ट👉•



नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नई नियुक्ति पर जॉइन कराने बाबत आवश्यक जानकारी👉

(1) सर्व प्रथम उनके समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करे एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित सभी शपथ पत्र की कॉपी निर्देश अनुसार प्राप्त करे।

(2) मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करे।

नोट:- •निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक -शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/कन0सहा0/2018/2019 दिनांक 16/07/2020 के द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार उक्त दोनों प्रमाण पत्र इनको जिला आवंटन करने की तिथि 01/06/2020 के बाद के मान्य होंगे।•

(3) कार्मिक की पूर्व में सरकारी एम्प्लॉई आई डी बनी हुई है तो शालादर्पण पर ऑन लाइन जोइनिंग नई नियुक्ति में जॉइन करावे अन्यथा ऑफ लाइन जॉइन करावे।

(4) फ्रेश कार्मिक की Ddo लॉगिन से sipf पोर्टल पर एम्प्लॉई आई डी जनरेट की रिक्वेस्ट ऑन लाइन सब्मिट करे इस हेतु कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना,सर्विस एवम बैंक डिटेल्स भरे। इस हेतु बैंक A/C नम्बर , PAN नम्बर , आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य है।

रिक्वेस्ट जनरेट होने के 5-7 दिन बाद sipf पर एम्प्लोई आई डी नम्बर आवंटित हो जाते है।

(5) एम्प्लॉई आई डी नम्बर प्राप्त होने पर शालादर्पण पर ऑन लाइन नई नियुक्ति टेब में जोड़निग करावे एवं प्रपत्र 10 को भी भर कर पूर्ण करे।

(6) एम्प्लॉई आई डी आने के बाद कार्मिक से प्राण नम्बरआवंटन हेतु फॉर्म भरवा कर प्राप्त करे जिसे अपने आफिस में रखे और उसके आधार पर नई व्यवस्था अनुसार Nsdl की साइट पर Ddo लॉगिन से उनका प्राण हेतु ऑन लाइन आवेदन सब्मिट करे फिर उसकी हार्ड कॉपी मय दस्तावेज GPF आफिस भेज देवे।

(7) उपरोक्त हेतु यूजर आई डी आपके SGV ननम्बर के साथ 00 लगावे एवम पासवर्ड nsdl@123 लगावे।

(8) प्राण नम्बर आने के बाद paymanager पर इनके डेटा फीड करे उसके बाद प्रथम बिल बना पायेंगे।

(9) नये कार्मिक के प्रथम बिल के साथ नियुक्ति आदेश, जोड़निग रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आदि को स्केन कर पीडीएफ बनावे और बिल के साथ अपलोड करे।

👉 पे मैनेजर इन्फो ग्रुप 👉

प्रश्न:- (386) पे मैनेजर पर Date of Regular Service में कोन सी Date फीड करनी है ?

👉👉👉👉👉👉👉👉

उत्तर:- pay manager पर new update के अनुसार यदि कार्मिक की नियुक्ति 2004 से पूर्व की है तो उनके Paymanager पर date of regular service में प्रथम joining date ही आयेगी।

(2) जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद की है तो उनको प्रोवेशन समाप्त होने के बाद नियमित वेतन श्रंखला मिलने की तिथि आयेगी।

स्पष्टीकरण 👉

अन्यथा paymanager पर इंक्रीमेंट दिनांक सही नहीं आएगी क्योंकि increament date नियमित वेतन श्रंखला प्राप्त करने की दिनांक से संबंधित है चूंकि यहां पर regular service की डेट इंक्रीमेंट से संबंधित है इसीलिए उपरोक्त

अनुसार आएगी। अन्य प्रकरण जैसे एसीपी, वरिष्ठता आदि में प्रथम ज्वॉइनिंग डेट ही Ragular Service की date होगी।



प्रश्न:- (387) किसी रेगुलर कार्मिक के भूल से status में Death हो गया अब उसे वापस NA कैसे करे Ddo लॉगिन से status में सुधार नहीं हो रहा है ?



उत्तर:- किसी रेगुलर कार्मिक के भूल से status में NA की जगह Death या VRS या अन्य कोई अपडेट हो गया है तो उसे वापस NA करने के लिए paymanager new update के अनुसार स्टेटस को सही करने की सुविधा सीधे Hod लॉगिन पर उपलब्ध करवाई गई है।

स्टेटस को वापस NA अपडेट कराने के लिए अब पर्सनल pm id या Ddo लॉगिन से कोई ऑन लाइन रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी है इस हेतु आप अपने Hod को ऑफ लाइन आवेदन पत्र लिखें। जिसमें आफिस id, कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी लिख कर पूरा विवरण लिख दें कि आप स्टेटस में क्या सुधार करवाना चाहते हैं उक्त पत्र आप Hod को मेल भी कर सकते हैं।



प्रश्न:- (388) मेरी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर 26.4.13 की है। मेरा बेसिक पे सातवे वेतनमान अनुसार 20800 है और मैंने टंकण परीक्षा 2.7.20 को उत्तीर्ण की है तो मुझे इंक्रीमेंट कब से मिलेगा ?



उत्तर:- कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 02/06/2020 के अनुसार वेतनवृद्धि नियमित स्वीकृत होगी जो काल्पनिक होगी। उसका आर्थिक लाभ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से देय होगा।

इस केस में वेतनवृद्धि 1/07/2016 से नोशनल लगेगी एवम उसका आर्थिक लाभ 02/07/20 से मिलेगा।



प्रश्न:- (389) किसी कर्मिक के अनुपस्थिति दर्ज किया गया है और सेवा पुस्तक में लाल स्याही से इन्द्राज किया गया है। अब चिकित्सा अवकाश कर्मचारी द्वारा देने पर वर्तमान डीडीओ क्या कार्यवाही करें।



उत्तर:- कोई अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो कर्मिक आवेदन कर तीन महीने में उसका टाइल बदल सकता है।

इसमें तो कर्मिक को absent घोषित किया गया है अतः अब कुछ नहीं होगा यह अवधि पेंशन परिलाभ की गणना में से कम होगी।

बिना कोई सूचना से अनुपस्थित रहने पर कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है।

नोट:- प्रकरण अभी तक अधूरा है। कर्मचारी को रा.से. नि. 86 के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपस्थिति पर नोटिस दिया गया अथवा नहीं, सीसीए 16 के अंतर्गत आरोप व आरोप विवरण पत्र दिया गया है या नहीं, विभागीय जांच में उसे बचाव का अवसर दिया गया था या नहीं, क्या अनुपस्थिति कर्मचारी के स्वनियंत्रण के बाहर थी या जानबूझकर कर स्वैच्छिक अनुपस्थिति प्रमाणित हुई या नहीं यह सारी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सीधा सेवा पुस्तिका में अनुपस्थित दर्ज करना न्यायोचित नहीं था।



प्रश्न:- (390) जुलाई को प्रसूति अवकाश पर चले रहे कर्मिक की वेतन-वृद्धि कैसे प्रभावित होगी?



उत्तर:- एक जुलाई को आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश पर रहने पर इंक्रीमेंट एक जुलाई को ही स्वीकृत होगा परन्तु इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः जाँइन करने की तिथि से देय होगा।



प्रश्न:- (391) किसी कर्मचारी/अधिकारी के पास किसी अन्य जिले में अन्य कार्यालय का अतिरिक्त चार्ज हो तो

1. क्या उसे यात्रा भता मिलेगा?
2. यदि हाँ तो वो कौनसे कार्यालय से यात्रा भता ले सकता है ?



उत्तर:-उच्च अधिकारी द्वारा दूर प्रोगाम स्वीकृत करने के उपरांत की गई यात्रा पर TA Rules अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा जो मूल स्थान से आहरित होगा।



प्रश्न:- (392) हम डिजिटल साइन से FVC बिल बना रहे हैं। इसके साथ कौनसे डाक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ?



उत्तर:-3000 रु से अधिक के वाउचर जिस पर भुगतान हेतु आदेश एवं भंडार पंजिका में इंड्राज करने का प्रमाण पत्र अंकित हो तथा भुगतान स्वीकृति का कार्यालय आदेश एवं GA 108 FVC बिल के साथ अपलोड करें।



प्रश्न:- (393) क्या प्रोबेशन में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र अन्य कारण से असाधारण अवकाश ले सकते हैं ?



उत्तर:-वित्त विभाग के आदेश 8/08/2019 एवं वित्त विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 08/01/2020 के अनुसार प्रोबेशन में अवैतनिक अवकाश स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के बीमारी प्रमाणपत्र के आधार पर ही मिलेगा।

इसमें भी 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश पर प्रोबेशन भी आगे बढ़ेगा।



प्रश्न:- (394) मेरी कनिष्ठ लिपिक पद पर 09.08.2016 की नियुक्ति है। मेरा बेसिक पे सातवे वेतनमान अनुसार 20800 है और मैंने टंकण परिक्षा 28.02.20 को उत्तीर्ण की है तो मुझे इंक्रीमेंट कब से मिलेगा और वेतन निर्धारण कैसे होगा ?



उत्तर:-कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण आदेश 2/6/20 के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि नियमित स्वीकृत होगी लेकिन आर्थिक लाभ टाइप टेस्ट पास करने की तिथि से होगा।

वेतन निर्धारण:-

(1) 09/08/18 को नियमित वेतन निर्धारण (L5) 20800 काल्पनिक

(2) 01/07/19 को 21400 काल्पनिक

(इनका आर्थिक लाभ 28/02 /20 से देय होगा।)

(3) 01/07/20 को 22000 रु वेतन होगा।



प्रश्न:- (395) समय शिक्षा अभियान में कार्यरत एक संविदा कार्मिक (RP) 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व क्या तैयारी करनी होगी ?



उत्तर:- सेवानिवृत्त हो रहे RP को ग्रेच्युटी व EPF फॉर्म भरने होंगे जिससे इन्हें नियमानुसार ग्रेच्युटी मिलेगी साथ ही EPF का भुगतान भी होगा।



अवकाश सम्बन्धित जानकारी 📄

1. एक सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपाजित अवकाश (Privilege Leave) देय होता है ।

2. एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 300 उपाजित अवकाश अंकित कर सकता है ।

3. किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 120 दिन तक का उपाजित अवकाश (Privilege Leave) स्वीकृत किया जा सकता है । टी बी, कैंसर, कुष्ठ जैसे रोगों इलाज के लिए 300 दिन तक का उपाजित अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है ।

4. किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए 2.5 दिन का उपाजित अवकाश जमा किया जाएगा । इसी प्रकार किसी कर्मचारी की



किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण एक माह की सेवा के लिए 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा ।

5. राजस्थान सिविल सेवा [पद भार ग्रहण काल] नियम 1981 के नियम 54 के अनुसार पद भार ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग किये बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो अनुपियोजित पद भार ग्रहण काल से समान संख्या में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश उसके लेखों में जोड़ दिए जायेंगे लेकिन ऐसे उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) को जोड़ने पर कर्मचारी के अवकाश का अधिकतम बैलेंस 300 से ज्यादा नहीं होगा ।

6. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है [नियम 91क] परन्तु किसी अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

7. समर्पित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर कर्मचारी को उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थे ।

8. अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिए माह का तात्पर्य 30 दिन से है ।

9. किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर उस दिन उसके अवकाश लेखों में बकाया अवकाशों के बदले उनके समान अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि दी जाएगी लेकिन जिन कर्मचारियों को दंड स्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है उन्हें यह लाभ देय नहीं है । सेवा निवृत्ति पर उपार्जित अवकाशों के नकद भुगतान पर के माह के 30 दिन मान कर नकद भुगतान की गणना की जाती है।

10-शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश शीष्मावकाश में कार्य करने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में प्रति 3 दिन पर एक दिन का उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) कर्मचारी के लेखों में जोड़ा जायेगा परन्तु एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक अवकाश कदापि नहीं जोड़े जायेंगे । परन्तु स्थानान्तरण पर देय योग काल का उपभोग नहीं करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे । अवकाश का उपभोग करने पर एक दिन में एक उपार्जित अवकाश कम किया जायेगा ।

11. विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले शिक्षक को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए 1.25 दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा।

सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर एक हजार कि.मी. तक की दूरी वाले स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु 10 दिनों का योगकाल देय है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारूप में इसके बदले 10 पी. एल. सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिये। यह अवकाश आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये।

सेवानिवृत्ति पर पी. एल. का नकद भुगतान = सेवा निवृत्ति के दिन देय वेतन (मय डीपी व डी. ए.)/30 x उपार्जित अवकाश बकाया दिन

प्रश्न:- (396) श्रीमान जी मेरी पत्नी अध्यापिका है, SI बॉर्ड में उसका नाम सुलोचना देवी पत्नी दयानंद बिजारणियां है, जबकि अन्य दस्तावेज में नाम सुलोचना कुमारी पुत्री रामकुमार नेहरा है भविष्य में भुगतान में कोई दिक्कत तो नहीं होगी और यदि होती है तो नाम सही करने की प्रोसेस बताएं?



उत्तर:- महिलाओं के सरकारी अभिलेख में पिता का नाम ही दर्ज होता है।

पति के नाम का विशेष कॉलम कही पर होने पर उसमें पति का नाम लिखा जाता है।

इस हिसाब से नाम अपडेट करावे।



प्रश्न:- (397) किसी कर्मचारी का मार्च 2020 में यात्रा भता बिल बना कर कोषालय में पेश किया जो ईसीएस करके treasury वालों ने बिल पास कर लिया लेकिन जयपुर से अर्थो रिटी नहीं मिलने के कारण बिल का भुगतान संबंधित कर्मचारी के खाते में नहीं आया... अब उसी समय अवधि का नया यात्रा भता बिल नहीं बन रहा है क्या अब भी इस बिल का भुगतान हो सकता है या या बिल पुनः रिवर्ट करना पड़ेगा, बिल रिवर्ट करने का क्या प्रोसेस है?



उत्तर:- बिल पिछले वर्ष 2019 -20 का है इसलिए जिला ट्रेजरी से जयपुर मेल कर बिल निरस्त होगा उसके बाद रिवर्ट करावे फिर ddo स्तर पर रिवर्ट कर उस बिल को डिलीट करे एवम बजट उपलब्ध होने पर इस वर्ष दोबारा बिल बनावे।



प्रश्न:-(398) पेमेंनेजर पर रिटायरमेंट कार्मिक का वेरीफाई ऑप्शन में नाम नहीं आ रहा है जिससे उनका एचओडी से डेटा वेरीफाई नहीं हुआ उनका नाम वेरीफाई ऑप्शन में शो करने के लिए क्या करना होगा किस प्रकार होगा ?



उत्तर:-रिटायर्ड व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है तो उनके deta वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है।

Authrization टैब में deta verification टैब में जिनके नाम शो हो रहे है उनके deta वेरिफिकेशन करावे।



प्रश्न:-(399)जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हैं एवं प्राध्यापक के पास डीडीओ पावर हैं, इस स्थिति में वेतन बिल में सेवा प्रमाणिकरण आदेश किस प्रकार अपलोड करना हैं ? कृपया मार्गदर्शन करें।



उत्तर:-आवश्यक प्रमाण पत्रों की पीडीएफ बना कर other documents में अपलोड कर देवे।

बिल से सम्बंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र बिल के अनुसार इनर शीट पर ऑटो प्रिंट होते हैं।



प्रश्न:-(400) SI और gpf में कार्मिक के मृत्यु पर अंतिम दावा भुगतान के लिए क्या कोई शपथ पत्र नॉमिनी का लगाना होता है क्या।

जानकारी प्रदान करें।



उत्तर:-SI एवम GPF का ऑन लाइन क्लेम सब्मिट करे जिस पर नॉमिनी के हस्ताक्षर होंगे।

GPF क्लेम के साथ 50रु के स्टाम्प पर एक बांड लगता है उसे भर के नॉमिनी से हस्ताक्षर करावे एवम उसे Ddo/नोटरी से प्रमाणित भी करावे।

